Thursday, 18 February, 1965

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

ग्यारहवां सत्र

Eleventh Session

PAR 340
DATE 21.6.65
Preservation ... Fumigated On 26.12.83
Parliament Library
27-5-92

सत्यमेव जयते

खंड 38 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol XXXVIII contains Nos. 1—10

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

2426 (Ai) LS—1.

विषय-सूची

अंक 2, गुरुवार, 18 फरवरी, 1965/29 माघ, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित
प्रश्न संख्या

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1	छिपाया हुआ धन	11–17
2	सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता	18—22
3	नया जल संयंत्र	22—24
4	अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य	25—29
5	वित्तीय वेतन आयोग का प्रतिवेदन	29—31
6	बाढ़ नियंत्रण संबंधी प्रतिवेदन	32—35

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित
प्रश्न संख्या

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
7	आवास योजनाओं का एकीकरण	35–36
8	आगरा में कुष्ठ रोगियों की बस्ती	36–37
9	कृषकों को बिजली पहुंचाना	37–38
10	जल सम्भरण तथा मल निस्सरण समिति	38
11	दिल्ली और कलकत्ता में नये होटल	39
12	दिल्ली में नये होटल	39–40
13	संतालडीह में सुपर थर्मल पावर स्टेशन	40
14	विद्युत् जनन पर केन्द्रीय नियंत्रण	40–41
15	ब्रिटेन के समुद्र पार विकास मंत्री का दौरा	41
16	नर्मदा घाटी का विकास	42
17	कुष्ठ रोगियों का सर्वेक्षण	42–43
18	संयुक्त राज्य अमरीका से सहायता	43–44
19	रोचे प्रोडक्ट्स लिमिटेड, बम्बई	44
20	पूर्व योरोपीय व्यापारिक संस्थायें	44
22	आवास मंत्रियों का सम्मेलन	45–46
23	मलेरिया उन्मूलन "सम्मेलन"	46
24	यमुना के जल को दूषित होने से रोकना	46–47
25	छिपा हुआ धन	47
26	करमरकर समिति का प्रतिवेदन	48

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

Nos. 2—*Thursday, February 18, 1965/Magha 29, 1886 (Saka)*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question. Nos.	*Subject*	PAGES
1	Unaccounted Money . .	11—17
2	D.A. to Government Employees	18—22
3	New Water Plant	22—24
4	Prices of Essential Commodities . . .	25—29
5	Second Pay Commission Report	29—31
6	Report on Flood Control	32—35

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos.	*Subject*	
7	Integration of Housing Schemes	35-36
8	Leper Colony in Agra.	36-37
9	Supply of Electricity to Agriculturists	37-38
10	Water Supply and Sewage Disposal Committee .	38
11	New Hotels in Delhi and Calcutta	39
12	New Hotels in Delhi	39-40
13	Super Thermal Power Station at Santaldih . . .	40
14	Central Control over Power Generation . . .	40-41
15	Visit by British Minister of Overseas	41
16	Development of Narmada Valley	42
17	Survey of Leprosy Patients	42-43
18	Aid from U.S.A.	43-44
19	Roche Products Ltd., Bombay	44
20	East European Trading Concerns	44
22	Housing Ministers' Conference	45-46
23	Malaria Eradication Conference	46
24	Checking Pollution of Jumna Waters	46-47
25	Hidden Wealth	47
26	Karmarkar Committee Report	48

*The sign + marked above the name of a member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
27	जमुना तल से जल निकालना	49–50
28	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा	50
29	बिक्री कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाना	51

अतारांकित प्रश्न संख्या		
1	गोआ में राजस्व वसूली .	51–52
2	हकलाने के उपचार के लिये संस्था . . .	52
3	नई दिल्ली नगरपालिका के कर्मचारियों के लिये निवृत्ति वेतन योजना	52
4	नयी औषधीय जड़ी बूटियां	52–53
5	यूनानी चिकित्सा पद्धति	53
6	दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए क्वार्टर . .	53–54
7	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय . . .	54
8	बिजली की खपत	54–55
9	नेफा की योजना का परिव्यय . . .	55
11	इनामी बाण्ड योजना	56
12	नागपुर के श्री श्रीराम दुर्गा प्रसाद .	56–57
13	प्रति व्यक्ति वार्षिक आय . .	57
14	मुद्रणालय	57–58
15	अमरीकी सहायता	58
16	जीवन बीमा निगम द्वारा दिये जाने वाले ऋण . .	58
17	बाल मृत्यु	59
18	दिल्ली में विद्युत् श्मशान	59
19	उत्पादन शुल्क	59–60
20	परियोजना क्षेत्रों से हटाये गये लोगों का पुनर्वास	60
21	पंजाब में ग्रामीण आवास योजना	60
22	ग्रामीण आवास योजनायें . . .	61
23	कलकत्ता तथा अन्य स्थानों में जल संसाधन .	61–62
24	बिक्री-कर समिति का प्रतिवेदन . .	62
25	केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में इंजीनियर .	62–63
26	संसद्-सदस्यों को जब्त किये गये सामान की नीलामी .	63
27	कृष्णा-गोदावरी जल का उपयोग . . .	63–65
28	मध्य प्रदेश तथा केरल में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से प्राप्त राजस्व .	65
29	भवन तथा नगर आयोजन डिजाइन संगठन . . .	66
30	अफीम . .	66

Starred Question Nos.	*Subject*	PAGE
27	Tapping Water from Jumna Bed .	49-50
28	Central Health Service	50
29	Replacement of Sales Tax by Excise Duties .	51

Unstarred Question Nos.	*Subject*	
1	Revenue Collection in Goa	51-52
2	Institute for Treatment of Stammering	52
3	Pension Scheme for N.D.M.C. Employees . . .	52
4	New Medicinal Herbs	52-53
5	Unani System of Medicine	53
6	Quarters for Government Employees in Delhi	53-54
7	C.G.H.S. Dispensaries	54
8	Consumption of Electricity	54-55
9	NEFA'S Plan Outlay . . .	55
11	Prize Bonds Scheme	56
12	Shri Sriram Durga Prasad of Nagpur . .	56-57
13	Per Capita Annual Income	57
14	Printing Presses .	57
15	U.S. Aid	57-58
16	L.I.C. Loans	58
17	Infantile Mortality	58
18	Electric Crematorium in Delhi	58
19	Excise Duties	59
20	Rehabilitation of Oustees from Project Areas .	59
21	Village Housing Scheme in Punjab .	59-60
22	Rural Housing Schemes	60
23	Water resources in Calcutta and other Plaes	60
24	Sales Tax Committee Report	61
25	Engineers in C.W. & P.C. . . .	61-62
26	Auction of confiscated Articles to M.Ps. .	62
27	Utilisation of Krishna Godawari Waters . . .	62-63
28	Revenue collected from Central Excise in M.P. & Kerala.	63-65
29	Buildings and Town Planning Designs Organisation	66
30	Opium	66

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
31	कोचीन के निकट तापीय संयंत्र	66
32	जापान से सहायता	67
33	विद्युत् का संचारण तथा वितरण	67
34	मकान बनाने के लिये ऋण	67–68
35	उड़ीसा में पीने के पानी का सम्भरण	68
36	श्रव्यतामापी केन्द्र	68
38	बल्लेमेला बांध	69
39	अल्प बचत प्रमाण पत्र	69
40	पोषाहार गृह	69–70
41	कुकरे	70
42	केरल में बिजली की कमी	70–71
43	समुद्र से भूमि कटाव की रोकथाम	71

स्थगन प्रस्ताव 71–72

भाषा के मामले को संभालने में सरकार की असफलता

सभा-पटल पर रखे गये पत्र 72–77

राज्य सभा से सन्देश 77

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति 77

पचपनवां प्रतिवेदन

पी० एल० 480 के अन्तर्गत अनाज से लदे हुए जहाजों के आगमन के बारे में वक्तव्य 77–78

श्री चि० सुब्रह्मण्यम 78

मंत्रियों के त्यागपत्र के बारे में 78

रेलवे आय-व्ययक, 1965–66—प्रस्तुत 78—98

श्री स० का० पाटिल

बैंकिंग विधियां (सहकारी संस्थाओं पर लागू करना) विधेयक 98—108

विचार करने का प्रस्ताव

श्री ब० रा० भगत 98–99

श्री पु० र० पटेल 99–100

श्री शं० श० मोरे 100

श्री फिरोडिया 100–101

श्री गौरीशंकर कक्कड़ 101

श्री सिंहासन सिंह 101

श्री अ० सिं० सहगल 102

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

Unstarred Questions No.	*Subject*	PAGES
31	Thermal Plant near Cochin	66
32	Aid from Japan	67
33	Transmission and Distribution of Power	67
34	House Building Loans	67–68
35	Drinking Water Supply in Orissa	68
36	Audiometer Centres	68
38	Ballemela Dam	69
39	Small Savings Certificates	69
40	Nutrition Houses	69–70
41	Trachoma	70
42	Power Shortage in Kerala	70–71
43	Anti-sea erosion	71

Motion for adjournment . . . 71–72

Failure of Government in handling language issue . .

Papers laid on the Table . . . 72—77

Message from Rajya Sabha . . . 77

Committee on Private Members' Bills and Resolutions . .

Fifty-fifth Report . . . 77

Statement re : PL 480 Food shipment arrivals . . . 77–78

Shri C. Subramaniam . . . 78

Re : resignation of Ministers . . . 78

Railway Budget (1965-66) —Presented . . . 78—98

Shri S. K. Patil . . .

Banking Laws (Application to Co-operative Societies) Bill . 98—108

Motion to consider . . .

Shri B. R. Bhagat . . . 98–99

Shri P. R. Patel. . . . 99–100

Shri S. S. More . . . 100

Shri Firodia . . . 100–101

Shri Gauri Shankar Kakkar . . . 101

Shri Sinhasan Singh . . . 101

Shri A. S. Saigal . . . 102

विषय	पृष्ठ
श्री उ० मू० त्रिवेदी	102
श्री श्रीनारायण दास	102–103
श्री दि० सिं० चौधरी	103
श्री कुं० कृ० वर्मा	103
खण्ड 2 और 3	105–108
कार्य मंत्रणा समिति	108
चौतीसवां प्रतिवेदन	
स्थगन प्रस्ताव	108—126
भाषा के मामले को सम्भालने में सरकार की असफलता	
श्री ही० ना० मुकर्जी	108–109
श्री उ० मू० त्रिवेदी	109–110
श्री पालीवाल	110–111
श्री मनोहरन	111–112
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	112–113
श्री फ्रैन्क एन्थनी	113–114
श्री खाडिलकर	114–115
श्री कपूर सिंह	115–116
श्री भागवत झा आजाद	116–117
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	117
श्रीमती यशोदा रेड्डी	117–118
श्री मधु लिमये	118–119
श्री नि० चं० चटर्जी	119–120
श्री जी० भ० कृपालानी	120–122
श्री नन्दा	122–126

Subject	PAGES.
Shri U.M. Trivedi	102
Shri Shree Narayan Dass . . .	102–103
Shri D. S. Choudhuri . . .	103
Shri K. K. Varma . . .	103
Clauses 2 and 3 . . .	105–108
Business Advisory Committee	108
Thirty-fourth Report .	108
Motion for adjournment.	108–126
Failure of Government in handling language issue	
Shri H. N. Mukerjee . . .	108–109
Shri U. M. Trivedi	109–110
Shri Paliwal	110–111
Shri Manoharan	111–112
Shri Prakash Vir Shastri	112 113
Shri Frank Anthony . . .	113–114
Shri Khadilkar	114–115
Shri Kapur Singh . . .	115–116
Shri Bhagwat Jha Azad	116–117
Shri Surendranath Dwivedy	117
Shrimati Yashoda Reddy	117–118
Shri Madhu Limaye	118–119
Shri N. C. Chatterjee	119–120
Shri J. B. Kripalani	120–122
Shri Nanda	122–126

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 18 फरवरी, 1965/29 माघ, 1886 (शक)

Thursday, February 18, 1965/Magha 29, 1886 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

छिपाया हुआ धन

+
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ज० ब० सिंह :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री प्रभात कार :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स० मो० बनर्जी :

श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री विश्वनाथ राय :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री मधु लिमये :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प० ह० भील :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री बड़े :
श्री विभूति मिश्र :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री हेम बरुआ :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री सेझियान :
डा० श्रीनिवासन :
श्री दे० जी० नायक :
*1. श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पांडय :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री दलजीत सिंह :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम सेवक यादव :
श्री हेम राज :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री गुलशन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० रानेन सेन :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री सूर्य प्रसाद :
श्री प्र० के० देव :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री हे० वी० कौजलगी :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्रीमती मैमूना सुलतान :

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री रा० बरुआ :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री कोया :
श्री वारियर :
श्री दाजी :
श्री महेश्वर नायक :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री बालमीकी :
श्री राम चन्द्र उलाका :
श्री चांडक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छिपाये हुये धन का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ख) अब तक कितनी सफलता मिली है, और 1964 तथा 1965 में अब तक कितना ऐसा छिपा धन पकड़ा गया है ; और

(ग) क्या सरकार यह मालूम कर सकी है कि ऐसा धन कितना है तथा वह धन किस प्रकार प्रयोग में लाया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) और (ख). एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०--3776/65]**

(ग) छिपे धन की मात्रा के बारे में इस समय कोई ठीक ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : वित्त मंत्री के प्रयास के महत्व को बिना कम किए हुये, मैं उनसे यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि सरकार की इस बारे में क्या कार्य प्रणाली है; इस बात को ध्यान में रखते हुए तथा सदस्यों ने भी यह बताया है कि छिपा हुआ धन बजाय 2,000 करोड़ या 3,000 करोड़ के 1,000 करोड़ रुपये है, और जैसा मुझे विवरण से पता चला है कि इस बारे में एक भी राजनैतिक व्यक्ति या महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद का व्यक्ति नहीं पकड़ा गया, यद्यपि उन्होंने काफी धन इकट्ठा कर लिया है, क्या मैं जान सकता हूं कि वह किस प्रकार इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मिली हुई सूचना के अनुसार यह विभाग कार्यवाही करता है, और जैसा माननीय सदस्यों को मालूम है, हाल ही में हमने यह काम शुरू किया था । और मुझे खुशी है कि जो इतने छापे मारे गये थे उनमें से केवल दो स्थानों पर हम निष्फल रहे। इससे मैं काफी आश्वस्त हूं । इस मामले में बहुत सावधान रहना पड़ता है । वह केवल सन्देह पर ही लोगों की तलाशियां नहीं ले सकते या उनकी लेखा पुस्तकें नहीं पकड़ सकते । मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि उन्होंने विभाग के अभी तक किये कार्य की प्रशंसा की है । अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले में धैर्य रखें । यह ऐसा विषय नहीं जिसमें हम समस्या को बहुत कम समय में सुलझा सकें । मेरा विचार है कि इसमें काफी समय लगेगा । मैं अभी छिपे हुये धन का अनुमान

नहीं लगा सकता क्योंकि इसको कई प्रकार से इकट्ठा किया गया है, यह केवल नकदी के रूप में नहीं है बल्कि अन्य कई रूपों में भी है। हमने कार्यवाही आरम्भ कर दी है और यदि माननीय सदस्य इसका अनुमोदन करते हैं—और माननीय सदस्यों के समर्थन से—मेरा विचार है कि यह विभाग अवश्य प्रगति करेगा। शायद आगामी वर्ष हम अधिक धन का पता लगा सकें।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : माननीय मंत्री, कृपया, मेरे प्रश्न के इस भाग का उत्तर दें कि राजनैतिक व्यक्तियों अथवा उच्च प्रशासकीय पदों पर व्यक्तियों में से, जिन्होंने अतुल धन एकत्रित किया, क्यों कोई व्यक्ति नहीं पकड़ा गया। क्या वह कुछ समय के लिये प्रतीक्षा कर रहे हैं अथवा उनकी दृष्टि में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं ? उनकी इस सम्बन्ध में क्या कठिनाइयां हैं ? मेरे प्रश्न के इस भाग का कोई उत्तर नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा था कि उनका विभाग विशिष्ट सूचना पर कार्य करता है न कि केवल सन्देह अथवा अनुमान पर।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मैं यह समझूं कि उनकी दृष्टि में ऐसे व्यक्ति हैं परन्तु उनके पास उनके बारे में कोई सूचना नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य के पास कोई सूचना है तो वह मंत्री महोदय को दे दें।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : हम अधिक से अधिक व्यक्तियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, परन्तु बिना सूचना के हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा विचार है कि विभाग यह कार्य कर रहा है। मैं माननीय सदस्यों को यह बता दूं कि फरवरी और मार्च में उनका कार्य धीमा रहा क्योंकि अधिक धन का पता नहीं लगा। मैं इस सम्बन्ध में चिन्तित हूं। मुझे चालू वर्ष में अधिक आय दिखानी है। यह हमारे लिये दोहरा कार्य हो गया था। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि विभाग को समस्या से पूर्ण जानकारी है और माननीय सदस्यों के किसी भी सुझाव पर विभाग में बहुत सावधानी से विचार किया जायगा।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मंत्री महोदय ने 10 और 100 रुपये के नोटों का चलन बन्द करने के सुझाव पर भी विचार किया है, क्योंकि इससे लोगों की अलमारियों में बन्द धन बेकार हो जायगा, विशेषतया उन लोगों का जिन्होंने अनुचित ढंग से रुपया कमाया है ?

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न सीधे और संक्षेप में होने चाहियें। एक अनुपूरक प्रश्न और उसके उत्तर में पांच मिनट लग गये हैं। 73 सदस्यों को प्रश्न पूछने हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरा सीधा प्रश्न यह है कि क्या उन्होंने 10 और 100 रुपये के नोटों का चलन बन्द करने पर विचार किया है, और यदि कुछ कठिनाइयां हैं तो उनको किस प्रकार दूर किया जायेगा।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : सरकार काफी समय से इस प्रश्न पर विचार कर रही है। इसके कई ऐसे पहलू हैं जिसके कारण सरकार यह नहीं कर सकती।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : वह कठिनाइयां क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन सब को नहीं बताया जा सकता ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या सरकार ने इसका विश्लेषण करने का प्रयत्न किया है कि देश में पिछले दस वर्षों में चोर बाजारी के धन के इकट्ठे होने के वास्तविक कारण क्या हैं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह सिलसिला तो चलता रहता है । हम यह जांच कर रहे हैं कि चोर बाजारी का धन इकट्ठा ही क्यों होता है ।

श्री दाजी : इन अफवाहों में क्या सत्य है कि छिपे हुये धन को बाहर निकालने की कोशिशों के असफल होने के कारण सरकार उन लोगों को कुछ प्रलोभन देने का विचार कर रही है जो अपने छिपे हुये धन को स्वयं बता देंगे ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : अफवाहों पर निर्भर करना बहुत खतरनाक है ।

Shri Prakash Vir Shastri : In other countries also where such black money existed, the Governments there, in order to unearth this money or utilise it for some specific purposes, offered tax-concessions to all those people who invested their money for those purposes. Have the Government also received such proposals here, and, what have been their reaction to them ? Are the Government going to take some decision in this regard ?

अध्यक्ष महोदय : अन्य देशों में इन्हीं परिस्थितियों में छिपा हुआ धन निकालने के लिये क्या उपाय किये गये हैं और क्या सरकार उन्हीं उपायों में से कुछ उपाय करने के लिए तैयार है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं यह नहीं कहता कि इस बारे में हमारी कार्यवाही पूर्ण है अथवा मेरा ज्ञान बहुत विस्तृत है । जो लोग इस समस्या को सुलझाने का कार्य कर रहे हैं, वह इस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं कि अन्य देशों में क्या किया जा रहा है ।

श्री कपूर सिंह : क्या यह सच है कि छिपे हुये धन का पता लगाने के लिये सरकार ने कुछ विदेशी जासूसों की सेवाओं को प्राप्त किया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : वह उन जासूसों की सेवाओं के बारे में पूछ रहे हैं जो इस कार्य में बहुत पटु हैं ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : हमने अभी किसी विदेशी जासूस को इस कार्य में नहीं लगाया । परन्तु जहां तक विदेशी मुद्रा का उल्लंघन करने का संबंध है, वह पुलिस जो यह कार्य कर रही है कभी कभी इस बारे में सूचना का आदान प्रदान कर लेती है ।

Shri Bhagwat Jha Azad : In view of the fact that the number of searches made and the negligible amount recovered, may I know why Government is unsuccessful in unearthing the black money when the officials have been conducting searches in selected places only ?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : As the Finance Minister has replied this work was started only recently and it will take time before it gains momentum.

Shri Ram Sewak Yadav : Is it a fact that because the raids to unearth the black and hidden money were not carried out simultaneously, therefore it has not been a complete success ? Whether this action was taken in this way, and if not, then why ?

Shri B. R. Bhagat : As has been replied just now the raids will be carried out only in places where definite information is available.

Mr. Speaker : He has placed a proposition that since all the raids were not carried out simultaneously therefore it has not been a success, is it a fact ?

Shri B. R. Bhagat : It is a matter of opinion.

Shri Bibhuti Mishra : I want to know whether people having black money have approached the Government with the request that a part of their black money be taken away so that the matter is settled, instead of creating disturbance in the whole of the country ?

Shri B. R. Bhagat : Some people have given information about their hidden wealth.

श्री अ० प्र० जैन : इस छिपे हुये धन को निकालने के लिये छापे मारने के अतिरिक्त क्या सरकार कोई और उपाय भी कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : वह यह सूचना माननीय सदस्य को क्यों देने लगे (**अन्तर्बाधा**) ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Has any such incident come to the notice of the Government that the employees carrying out raids gave advance information to the person who has black money ?

Shri B. R. Bhagat : No such complaint has been received.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि जिन सरकारी अधिकारियों को छिपे हुये धन की जांच करने का काम सौंपा गया है, वह भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों और मंत्रियों के मामलों की जांच करने से डरते हैं; यदि हां, तो उनकी सुरक्षा के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है कि इस जांच के कारण उनको सताया न जाय ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जब तक इन अधिकारियों को, जो यह कार्य कर रहे हैं, सरकार का और इस सदन का विश्वास प्राप्त है, मेरे विचार में वह किसी ऐसी चीज़ से नहीं डरेंगे ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is it a fact that raids were carried out in the houses of those people who are engaged in selling milk or curd, small traders, so that, big businessmen may not remove their money to some other place.

Shri B. R. Bhagat : No sir, it is not true.

Shri M. L. Dwivedi : As the Finance Minister has replied that the raids are carried out on the basis of some information. I want to know whether some information was received when raids were carried out in the houses of film stars. Why these raids have been stopped now.

Shri B. R. Bhagat : Raids have not been stopped. It was done after receiving the information.

श्रीमती सावित्री निगम : जिन लोगों से यह धन प्राप्त हुआ था उनमें से कितने लोगों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमे चलाये गये और कितनों को दंड मिला ?

श्री ब० रा० भगत : अभी तक कोई मुकदमा नहीं चलाया गया है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि इस समय कितना धन चलन में है और छिपे हुए धन की अनुमानित राशि क्या है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : लगभग 2500 करोड़ रुपया इस समय चलन में है। छिपे हुए धन की राशि के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। मैं इसे निकलवाऊंगा।

श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या सरकार को जिनके पास छिपा हुआ धन है कुछ ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे प्रस्ताव मिले हैं कि वह अपना धन बताने को तैयार हैं यदि उनसे यह न पूछा जाय कि उनके पास यह कहां से आया था।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य को पता होगा कि हमने एक अध्यादेश जारी किया था जो विधयक के रूप में सदन में पेश किया गया है; इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि स्वैच्छिक प्रकटीकरण के लिए कोई दंड नहीं दिया जायेगा या दंड दिया जायगा। मेरा विचार है कि कुछ व्यक्ति इस सम्बन्ध में विभाग के पास आये थे। इस समय मैं कोई सूचना नहीं दे सकता। वास्तव में, इस उपाय का एक कारण यह भी था कि जो लोग स्वेच्छा से अपने धन के बारे में बतलायेंगे या जो लोग सरकार की सहायता करेंगे उनके नाम नहीं बताये जायेंगे, अन्यथा एक दफ़ा दंड देने के बाद तो नाम प्रकट करना ही पड़ेगा। यही एक मुख्य कारण है कि यह व्यवस्था की गई है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : कल राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी स्वयं धन बताने के बारे में सरकार की नीति बताई गई थी। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार किस प्रकार इस नीति को लागू कर रही है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर इस सदन में चर्चा होगी तब माननीय सदस्य अपना सुझाव पेश करें।

Shri Yashpal Singh : What action is being taken against those capitalists who openly stated in press that capitalists were being insulted.

Mr. Speaker : Action cannot be taken simply as some body has said something insulting.

Shri Onkar Lal Berwa : What is the amount of foreign exchange seized in this regard ?

Shri B.R. Bhagat : It has no connection with foreign exchange.

Shri M.L. Verma : The bargain which is going on between Finance Minister and capitalists about black money *i.e.* 60% may be taken by us and 40% may be taken by you ...

Mr. Speaker : The Finance Minister told that don't rely on such things.

Shri Raghunath Singh : I want to know whether there is a uniform policy about disclosures in the whole of country or it varies from place to place.

Shri B. R. Bhagat : The Government will consult Hon. members in this regard and then consider it.

2426 (Ai) LS—2.

सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

+

*2. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री दलजीत सिंह :
डा० श्रीनिवासन :
श्री परमशिवन :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री मधु लिमये :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री वारियर :
श्री पराशर :
श्री प्र० के० देव :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० कु० घोष :
श्रीमति रामदुलारी सिन्हा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री कृ० चं० पन्त :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को दास आयोग का प्रतिवेदन मिल गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने की सिफारिश की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग की समस्त सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो वे सिफारिशें कौन सी हैं जिन्हें सरकार ने स्वीकार नहीं किया है तथा उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) महंगाई भत्ते सम्बन्धी स्वतंत्र निकाय की वे सिफारिशें, जो 600 रुपये से 1200 रुपये प्रतिमास तक के वेतन-मानों के बारे में हैं, स्वीकार नहीं की गयीं, क्योंकि इसके विचारणीय विषयों के सम्बन्ध में यह नहीं माना जा सकता कि ये वेतन-मान उनकी सीमा के अन्तर्गत आते हैं ।

(घ) जी नहीं । रिपोर्ट की प्रतियां सभी सदस्यों के पास और संसद्-पुस्तकालय में पहले ही भेज दी गई हैं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : कम वेतन पाने वालों को महंगाई भत्ते में वृद्धि केवल 7.50 रुपये की गई है जब कि अधिक वेतन पाने वालों के भत्ते में 50 रुपये की वृद्धि की गई है । यह बात आय में अन्तर को कम करने की सरकार की वर्तमान नीति से कहां तक मेल खाती है ?

श्री ब० रा० भगत : हम ने दास आयोग की, जिस ने इन सब प्रश्नों की छानबीन की है, सिफारिशों को मान लिया है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह आय में अन्तर को कम करने की नीति के अनुरूप है ?

श्री ब० रा० भगत : जैसा मैंने कहा है, इन सभी पहलुओं पर दास आयोग ने विचार किया है ।

श्री अ० प्र० शर्मा : 600 से 1200 रुपये वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारी हैं ? यदि दास आयोग की इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की सिफारिश को मान लिया जाता तो इससे कितना धन व्यय होता ?

श्री ब० रा० भगत : 600 से 1200 रुपये वेतन पाने वाले कर्मचारियों की ठीक संख्या मालूम नहीं है । प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर मुख्य उत्तर के भाग (ग) में दे दिया गया है ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मूल्य-देशनांक में वृद्धि को बराबर करने की नीति जिस को स्वीकार किया गया है, सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप है और यदि नहीं, तो क्या सरकार कोई अन्य फार्मूला अपनाना चाहती है ?

श्री ब० रा० भगत : आयोग ने सामाजिक न्याय के सिद्धान्त पर विचार किया था और इस बारे में आयोग को अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे । 90 प्रतिशत वृद्धि को अभी बराबर किया गया है । मैं नहीं समझता कि यह सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन है ।

Shri Madhu Limaye : The question of dearness allowance has been arising time and again. Will the Government arrange to give dearness allowance on the basis of which it is being given to the labourers engaged in textile mills in Bombay and Ahmedabad ?

Shri B. R. Bhagat : No such thing is under the consideration of the Government at present. The dearness allowance has been granted on the basis of the decision of the Pay Commission.

Shri D. N. Tiwary : May I know whether any steps are being taken to give assistance to such institutions like Municipal Boards which have no resources, so that dearness allowance could also be given to their employees ?

Shri B. R. Bhagat : No step is being taken to give them any assistance and nor there is any need to do so now.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय को पता है कि सभी केन्द्रीय कर्मचारी आज अर्थात् 18 फरवरी को इस लिये प्रदर्शन कर रहे हैं कि 70 से 109 रुपये तथा 150 से 209 रुपये वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में महंगाई भत्ते का और महंगाई भत्ते सम्बन्धी फार्मूले का पुनरीक्षण किया जाये ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : यह जानकारी मुझे माननीय सदस्य जी दे रहे हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह जानकारी मुझे अब मिली है। इतनी जल्दी प्रतिक्रिया नहीं होती है । इस पर समय लगेगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । वह इसे बहुत सहज से ले रहे हैं । क्या 70 रुपये से 109 रुपये तथा 150 रुपये से 209 रुपये के बीच वेतन पाने वाले कर्मचारी इस लिये बड़े असंतुष्ट हैं क्योंकि उन को कम भत्ता मिला है और क्या वे महंगाई भत्ता फार्मूले के जैसा कि दास आयोग ने सिफारिश की है. पुनरीक्षण की मांग कर रहे हैं सरकार की इस संबन्ध में प्रतिक्रिया क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने कहा कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं । इस के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है "मेरे लिये यह एक जानकारी है" । दूसरा भाग है "सरकार की प्रतिक्रिया क्या हुई है" । उन्होंने कहा कि "इस पर विचार किया जायेगा और इस पर समय लगेगा ; यह इतना जल्दी नहीं हो सकता" ।

श्री स० मो० बनर्जी : दास आयोग ने महंगाई भत्ते सम्बन्धी फार्मूले का पुनरीक्षण करने की सिफारिश की है । क्या सरकार ने इस को स्वीकार कर लिया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक नया प्रश्न है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या अधिक वेतन पाने वाले लोगों को सहायता न देने सम्बन्धी सरकार के इस निर्णय से देश के अत्यधिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए लोक सेवाओं के उच्च संवर्गों के प्रति आकर्षण कम नहीं होता जायेगा जिस के फलस्वरूप प्रतिभाशाली व्यक्ति सरकारी क्षेत्र से गैर-सरकारी क्षेत्र में चले जायेंगे ?

श्री ब० रा० भगत : जैसा मैंने कहा, 600 से 1200 रुपये वेतन पाने वालों के बारे में सिफारिश को स्वीकार न करने का मुख्य कारण यह है कि यह मामला आयोग को निर्दिष्ट मामलों के अन्तर्गत नहीं आता है ।

Shri Bhagwat Jha Azad : May I know the number of employees benefitted as a result of the Das Commission's Report and the category of those who have not been benefitted?

Shri B. R. Bhagat : Those employees who are getting pay upto Rs. 600 per month would be benefitted. Their number is, however, not with me at present. I would require notice for this. These recommendations are not applicable to those who are getting more than Rs. 600 per month.

श्री मुहम्मद इलियास : देश में बदलती हुई स्थिति के कारण विशेषतया जिस तरीके से मूल्यों में वृद्धि हो रही है और अन्य उद्योगों में मंहगाई भत्ते के फार्मूले में परिवर्तन होता रहता है, क्या सरकार दास आयोग की सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये फार्मूले का पुनरीक्षण करने का विचार कर रही है ?

श्री ब० रा० भगत : मामला विचाराधीन है । क्योंकि इस मामले में राज्य सरकारें भी अन्तर्ग्रस्त हैं । अतः उनसे सम्बन्धित कार्यालयों से सलाह करने के पश्चात निर्णय किया जायेगा ।

Shri Bibhuti Mishra : Have the Government taken into consideration that when the Government enhance the salaries of their employees, the various State Governments are affected by it but due to paucity of funds they cannot meet the demand of their employees. Are Government ready to increase the salaries of both Central and State Government's employees in consultation with the State Governments ?

Shri B. R. Bhagat : Certainly, they are affected, but the Central Government are not ready to enhance the salaries of employees of State Governments.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या सरकार को यह जानकारी है कि राज्य सरकारों के कर्मचारियों को जो वेनन-मान और महंगाई भत्ते मिलते हैं वह केन्द्रीय सरकार के कर्मचारिथों को मिलने वाले वेतन-मानों और भत्तों से कहीं कम हैं और क्या सरकार ने दास आयोग के प्रतिवेदन के पश्चात राज्य सरकारों को उनके कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बढ़ाने के लिये कोई अनुदेश दिये हैं ?

श्री ब० रा० भगत : हमारा इस से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि महंगाई भत्ते में वृद्धि मूल्यों में वृद्धि के समनुरूप नहीं है और कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये निर्वाह करना कठिन हो रहा है, क्या सरकार कोई ऐसा फार्मूला बनाना चाहती है जिससे वेतन नकद धन में देने की बजाय कोई चीज दी जा सके जैसा कि औद्योगिक संघटनों में किया गया है ?

श्री ब० रा० भगत : यह एक सुझाव है । हम इस पर विचार करेंगे ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : अभी एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा कि "हमारा इस से कोई सम्बन्ध नहीं है", इस का क्या अर्थ है जब केन्द्रीय सरकार ने राज्य

सरकारों को महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिये अंशदान दिया है, राज्य सरकारों ने उस धन को व्यय कर लिया है और अपने कर्मचारियों को नहीं दिया है, इस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : स्थिति यह है कि केन्द्रीय सरकार केवल अपने कर्मचारियों के लिए जिम्मेदार है । यह हो सकता है कि जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को पहले कुछ ऋण अथवा अर्थसहायता दी है । इस प्रकार की और अधिक सहायता देना कई अन्य बातों पर निर्भर है । सभा जो केन्द्रीय वित्त की अभिरक्षक है, आय-व्यय के पश्चात् यह फैसला कर सकेगी कि क्या केन्द्र ऐसी सहायता दे सकेगा । परन्तु जहां तक कुछ विशिष्ट प्रयोजन के लिये दी गई धनराशि के उपयोग करने का सम्बन्ध है यह मामला राज्य सरकारों के अधीन है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : माननीय वित्त मंत्री, श्री ति० त० कृष्णमाचारी ने इस सभा में यह निश्चित आश्वासन दिया था कि दास आयोग के प्रतिवेदन को पूर्णतया मान लिया जायेगा । अब वह उन्होंने इसको पूर्णतया न मान कर अंशतः क्यों माना है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जहां तक आयोग को निर्देशित पदों का सम्बन्ध है हमने आयोग की सिफारिशों को पूर्णतया मान लिया है । निर्देशित पदों में वही कर्मचारी आते हैं जिनको सहायता दी गई है ।

Shri Kishan Pattanaik : Have the Government thought over the Das Commission's recommendation for the revision of dearness allowance formula ?

Shri B. R. Bhagat : It is under consideration.

नया जल संयंत्र

\+

*3. { **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नगर का जल संभरण बढ़ाने के लिये राजधानी में लगाये जा रहे नये जल-शोधन संयंत्र का कार्य पहले ही निर्धारित समय से काफी पीछे है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संयंत्र के कब चालू किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने बतलाया है कि विलम्ब निम्नलिखित कारणों से हुआ है :—

(1) सीमेंट की कमी । इसकी कमी समय-समय पर अनुभव होती रही ।

(2) स्वच्छ जल के जलाशय तथा पम्प हाउस वाले स्थानों पर बड़ी बड़ी चट्टानें काटने का काम है । इन चट्टानों का पहले अनुमान नहीं लगाया गया था।

(3) उद्वाहक नलों के मार्ग में पड़ने वाली झुग्गियों को उठाने में उपस्थित हुई कठिनाइयां ।

इनके अतिरिक्त निगम द्वारा आयातित पम्पिंग सेटों के लिये आदेश भेजने में भी काफी देर हुई है ।

(ग) लगाये जा रहे जल-शोधन संयंत्र की कुल क्षमता प्रतिदिन 4 करोड़ गैलन की है जिसमें से 1 करोड़ गैलन प्रति दिन देने वाले एक भाग को 6 जनवरी, 1965 से चालू कर दिया गया है । शेष संयंत्र तथा अन्य आनुषंगिक कार्य, आशा है, अप्रैल, 1966 तक पूरे हो जायेंगे ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या यह संयंत्र पूर्णतया चालू होने के पश्चात् राजधानी में पीने के पानी की मांग को पूरा कर सकेगा अथवा क्या भविष्य में इस प्रकार का एक अथवा अधिक संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : अभी तो हमारी आवश्यकतायें पूरी हो जायेंगी । परन्तु दिल्ली की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है । अतः एक और संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह सुनिश्चित करने के लिये कि संयंत्र को कच्चा पानी वर्ष भर बिना किसी अड़चन के निरंतर मिलता रहेगा, क्या कोई प्रभावशाली कदम उठाये गये हैं ?

डा० सुशीला नायर : पंजाब सरकार से, जब आवश्यक हो, अधिक जल छोड़ने के लिए कहा गया है और यह देखने के लिये कि क्या कुछ अन्य उपाय भी हैं, कुछ अन्य अन्वेषण कार्य भी किए गए हैं ।

Shri Naval Prabhakar: The hon. Minister has said that a portion of the Plant has been commissioned. May I know the quantity of water being supplied and the part of Delhi to which it is being supplied ?

Dr. Sushila Nayar : One crore gallons of water is being supplied by the new plant, ten crore gallons by old waterworks and about 50 lakh gallons by Okhla Waterworks and this is being supplied to the whole of Delhi. Water shortage is, however, being experienced in West and South Delhi to some greater extent.

श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस नये संयंत्र से दिल्ली में बनी हुई कुछ नयी कालोनियों को पर्याप्त जल सम्भरण किया जा सकेगा और यदि नहीं, तो दिल्ली में बसी इन कालोनियों को पानी कैसे दिया जायेगा ?

डा० सुशीला नायर : जैसा मैंने पहले कहा है कि इस संयंत्र से सारी दिल्ली को पानी देने का प्रयत्न किया जायेगा । दिल्ली में नयी बसी कुछ दक्षिणी तथा पश्चिमी कालोनियों में पर्याप्त जल नहीं पहुंच रहा है । वहां अधिक पानी देने के लिये 25 नलकूप खोदने के प्रस्ताव हैं ।

श्री प्र० चं० बरुग्रा : क्या दिल्ली में जल की कमी से गृह-निर्माण योजना में बाधा पड़ी है ? क्या यह सच है कि जल की कमी के कारण बहुत भारी संख्या, हजारों की संख्या में मकान खाली पड़े हुए हैं ?

डा० सुशीला नायर : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है । अच्छा समन्वय करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं जिससे नई कालोनियों की मंजूरी उन क्षेत्रों में दी जाये जहां ऐसी सेवायें जल्दी उपलब्ध की जा सकें ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : इस नये जल संयंत्र की लागत क्या है ?

डा० सुशीला नायर : कई लाख रुपये । ठीक आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether water charges are being raised to cover up the expenditure on the new water plant being established to augment the water supply ?

Dr. Sushila Nayar : Sir, it is not known to me. The Corporation authorities would, however, decide whatever they think is reasonable.

Shri Onkar Lal Berwa : There is short supply of water in South Avenue and Rama krishnapuram during summer every year, may I know whether there would be short supply this year also or there will be some improvement in the situation ?

Dr. Sushila Nayar : Sir, I hope that our people in any part of Delhi are not to face much difficulty about it.

श्रीमती सावित्री निगम : यह सुनिश्चित करने के लिये कि इस नये संयंत्र में गंदा जल न मिल सके कोई विशेष ध्यान दिया गया है और यदि हां, तो क्या कदम उठाये गये हैं ?

Dr. Sushila Nayar : Water Works are there for this very purpose, if the water is not pure it will be cleaned so that it does not harm the people who drink it. In view of this, the water works have been commissioned. We would make more efforts in this direction.

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : नगर की गन्दगी पीने के पानी में बार-बार और लगभग प्रतिवर्ष मिलने को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार की यह नीति बन जायेगी कि पीने का पानी गन्दगी में न मिले और उसको ठीक तरह से साफ कर के पीने योग्य बनाया जा सकें ?

डा० सुशीला नायर : ओखला वाटर वर्क्स ही एक ऐसा स्थान है जो इस दृष्टिकोण से असन्तोषजनक है। जैसे ही हमें दूसरे साधनों से पर्याप्त जल मिलने लगेगा हम इस संयंत्र को बन्द कर देंगे । इस बीच जल को शुद्ध और अहानिकारक बनाने के लिये प्रत्येक पूर्वोपाय किया जा रहा है ।

डा० सरोजिनी महिषी : इस संयंत्र की स्थापना में देरी के कारण क्या अनुमानित लागत में कोई अन्तर आ गया है ?

डा० सुशीला नायर : नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है ।

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य

*4. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्रभात कार :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री उइके :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हेम राज :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री प्र० के० देव :
श्री राधेलाल व्यास :
श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री द्वा० ना० तिवारी :

क्या वित्त मंत्री 26 नवम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 219 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो महीनों में खाद्यान्नों को छोड़कर अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकने तथा उन्हें कम करने के लिये सरकार ने और क्या कदम उठाये हैं तथा उनका क्या परिणाम निकला ;

(ख) विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं के मल्यों को किस सीमा तक कम किया जा सका है ; और

(ग) नवम्बर व दिसम्बर, 1964 तथा जनवरी, 1965 के अन्त में उपभोक्ता मूल्य देशनांक क्या था तथा पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों के देशनांक की तुलना में यह कैसा रहा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क), (ख) और (ग). सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें यह सूचना दी गयी है । [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये एल-टी—3779/65**]

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये तथा जमाखोरी को आवश्यक वस्तुओं का जो भंडार करने से रोकने के लिये यह अध्यादेश जारी किया गया था परन्तु यह अध्यादेश अब तक लागू नहीं किया गया ? यदि हां, तो कानून बनाने में इतनी शीघ्रता क्यों दिखाई गयी ?

श्री ब० रा० भगत : अध्यादेश दूसरे मंत्रालय ने जारी किया था । इसलिये मेरे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष अध्यादेश के बारे में बतायें जो लागू नहीं किया गया है तो मैं इस पर विचार करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री इसके लिये समय चाहते हैं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : सरकार के मूल्य वृद्धि रोकने के सभी प्रयत्नों के बावजूद भी मूल्य देशनांक बढ़ते चले गये हैं जैसा यह विवरण से स्पष्ट है । इस दृष्टि से क्या मैं जान सकता हूं कि मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिये क्या विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

श्री ब० रा० भगत : जैसा मैं ने कहा है हाल ही में मूल्य घटे हैं तथा थोक मूल्यों के देशनांक कम हो गये हैं। आंकड़े विवरण में दिये गये हैं। उपभोक्ता मूल्य देशनांक.....

श्री प्र० चं० बरुआ : विवरण से मालूम नहीं होता है कि मूल्य कम हो रहे हैं। दूसरी ओर इसमें स्पष्टतः दिया गया है कि नवम्बर, 1964 में देशनांक 163 थे और अब ये दिसम्बर, 1964 में 164 हो गये हैं। इसलिये यह तो बढ़े ही हैं।

श्री ब० रा० भगत : विवरण का पहला वाक्य ही यह है कि :

"कई आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हाल ही में कमी आई है ।"

Shri K. N. Tiwari : Mr. Speaker, on the second page of the statement it is said :

> "चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिये मिलों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, भारत सरकार ने जनवरी-जून, 1965 के दौरान उत्पादन पर बुनियादी उत्पादन शुल्क छूट देने की घोषणा की है । यह छूट 1964 की इसी अवधि में हुए उत्पादन पर है ।"

I want to know what rebate has been given on the production of sugar and whether it will have any effect on its price also ?

Shri B. R. Bhagat : This announcement is regarding 20 % rebate in Excise Duty. If the hon. Member wants more detail about it he may give separate notice to enable me to give an answer thereon.

Shri D. N. Tiwari : May I know that in the border areas, particulary those in Bihar, large quantities of consumer goods are allowed to go into Nepal and from there to China and whether any steps are taken to prevent this and if so, how this is done ?

Shri B. R. Bhagat : Efforts have been made, are being made, and will continue to be made to check this. Our check posts on borders are being strenghthened and get the information in this regard from time to time.

श्रीमती रेणुका राय : विवरण में बताया गया है कि फलों एवं तरकारियों के थोक-भाव गिरे हैं तथा खुदरा भाव भी इसी प्रकार गिरे हैं। क्या माननीय मंत्री इस वर्ष जनवरी तथा गत दिसम्बर, से तरकारियों के भाव गत वर्ष के इसी समय के भावों की तुलना में बतायेंगे ?

श्री ब० रा० भगत : तरकारियों के भाव दूसरी मंड़ी में हैं।

श्रीमती रेणुका राय : विवरण में लिखा है कि तरकारियों के थोक भाव गिरे हैं।

श्री दाजी : यदि मंत्री जी के पास भाव नहीं हैं तो वह कैसे कह सकते हैं कि भाव गिरे हैं? माननीय सदस्य का प्रश्न सुसंगत है। यदि सरकार के पास ब्यौरा है तो सभा में श किया जाना चाहिये।

श्रध्यक्ष महोदय : यदिजानकारी उपलब्ध नहीं है तो मंत्री महोदय उसकी पूर्वसूचना मांग सकते हैं।

श्री श्याम लाल सर्राफ : मूल्य-वृद्धि तथा उनको कम करने के बारे में की गयी कार्यवाही की चर्चा करते हुए माननीय वित्त मंत्री ने इस से पहले एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि चोर बाजार करने वालों, जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों को धन ग्रासानी से मिल जाता है। चोर बाजारी करने वालों, जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों के पास धन ग्रासानी से न जाये इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री ब० रा० भगत : कुछ हद तक यह ठीक है। छिो धन का पता लगाने के लिो कुछ कार्यवाहियां की गयी हैं।

तरकारी के भावों के बारे में यह मैं बता सकता हूं कि........

श्रध्यक्ष महोदय : उन्होंने ग्रभी बताया था इसकी मंड़ी ग्रलग है ग्रौर ग्रब वह इस बारे में बता रहे हैं।

श्री ब० रा० भगत : मेरे पास थोक भावों के बारे में कुछ जानकारी है। खुदरा भाव दूसरे स्थानों के हैं। नवम्बर, 1964 में देशनांक . . . .

श्रध्यक्ष महोदय : उन्होंने तो दिसम्बर तथा जनवरी के भाव पूछे थे।

श्रीमती रेणुका राय : गत वर्ष के तथा इस वर्ष के।

श्री ब० रा० भगत : दिसम्बर में देशनांक 178 थे ग्रौर 30 जनवरी को 162 थे।

श्रीमती रेणुका राय : गत वर्ष में क्या भाव थे ?

Shri Sarjoo Pandey : On seeing this statement, it appears that prices of certain items have fallen but the reality is quite opposite to this. Prices have come down only on papers, whereas in reality the prices of essential commodities at Fair Price Shops have been increased. I want to know why the prices of wheat and rice have been increased ?

Shri B. R. Bhagat : The question relates to prices of essential commodities and wheat, rice etc. do not come in this category.

Shri Sarjoo Pandey : All such commodities as rice, wheat, ghee, sugar etc. come under this category.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : In Delhi ghee has also become dearer.

Shri Sarjoo Pandey : Things have become cheaper on paper only whereas everything is dearer in reality such as ghee, sugar, rice etc.......

Mr. Speaker : Everything like ghee, rice have been mentioned one by one and now there seems to be some confusion.

Shri B.R. Bhagat : The question relates to essential commodities and not food grains, wheat, rice etc.

श्री स० मो० बनर्जी : विवरण में बताया गया है कि :

"नौकरी पेशा लोगों के उपभोक्ता मूल्य देशनांक (1949-100), नवम्बर, 1964 में 163 तथा दिसम्बर, 1964 में 164 थे। इसकी तुलना में नवम्बर, 1963 में 138 तथा दिसम्बर, 1963 में 140 थे। जनवरी, 1965 के यह अंक अभी एकत्र किये जा रहे हैं।..."

मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है जिससे महाराष्ट्र तथा दूसरे स्थानों में जो कठिनाइयां आई हैं वह दूर हो सकें। इन देशनांकों को ठीक करने के लिये क्या कोई कार्यवाही की गयी है और यदि हां, तो उपभोक्ता मूल्य देशनांकों का पता लगाने का नया आधार क्या है ?

श्री ब० रा० भगत : मैं पूर्वसूचना चाहता हूं। परन्तु मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि केन्द्रीय सांख्यकी संस्था इस प्रश्न पर विचार कर रही है।

श्री स० मो० बनर्जी : इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है। माननीय श्रम मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था और मामले पर चर्चा हुई थी। यह आश्चर्यजनक है कि उसी मंत्रीमंडल का सदस्य सूचना देने के लिये समय मांग रहा है। इसका उत्तर कई बार दिया गया है और स्थिति स्वीकार करके कहा गया था कि इसमें सुधार किया जायेगा। पता नहीं इस मंत्रिमंडल में, मत वैभिन्न क्यों होता जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये इस प्रश्न का उत्तर देने की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय पर है अथवा श्रम मंत्रालय पर ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): केन्द्रीय सांख्यकी संस्था यह आंकड़े इकट्ठा करती है और कई मंत्रालयों पर इसकी जिम्मेदारी है। जहां तक इन आंकड़ों का सम्बन्ध है यह हमें वाणिज्य मंत्रालय से मिलते हैं। उनका अपना गुप्तचर विभाग है तथा और बहुत से कार्यालय हैं। वित्त मंत्रालय तो केवल इन सभी का एजेन्ट है।

माननीय सदस्य जिम्मेदारी की बात कह रहे थे। बेशक हम अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह सजग हैं। परन्तु मैं यह नहीं मानता कि सरकार महाराष्ट्र अथवा अहमदाबाद द्वारा निर्वाह व्यय देशनांक बनाने के लिए अपनाये गये तरीकों को सभी राज्यों में लागू कर सकेगी।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न यह नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अब उन्हें सन्तोष करना चाहिये ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह सच है कि सरकार की अपनी नीति के ही कारण डालडा वनस्पति के मूल्यों में असाधारण वृद्धि हुई तथा लोगों ने मूंगफली का तेल असाधारण रूप से जून तथा जुलाई में खरीदा। ऐसा नियंत्रण हटाने की नीति के कारण हुआ था ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं बल दे कर कहूंगा, जी नहीं ।

श्री मुहम्मद इलियास : मूल्य देशनांक बनाने की गलत प्रणाली के कारण विशेष कर श्रमिकों को बहुत हानि हुई है । उन्हें महंगायी भत्ता नहीं मिल पाता और इसी कारण कभी कभी हड़तालें आदि हुई ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है ?

श्री मुहम्मद इलियास : प्रश्न यह है: केन्द्र सरकार ने मूल्य देशनांक निकालने की गलत प्रणाली को सुधारने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने भी इस प्रणाली को सुधारने के लिये कोई प्रयत्न किया है।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जैसा मैंने कहा मुझे यह जानकारी दूसरे मंत्रालयों से मिलती है ।

Shri Boota Singh : Despite the fact that Central Government and State Governments had imposed restrictions on certain commodities to check or bring down their prices, those commodities were sold in black market and on very high rates. May I know whether in view of the failure of the control scheme, Government wants to retain it or to do away with it ?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : There are certain other factors due to which the prices of certain commodities did not come down and not the restrictions. Therefore until they prove fully effective they are proposed to be continued.

Shri Radhey Lal Vyas : May I know whether there is research section in Finance Ministry to study the fluctuations in prices of essential commodities, if so, the work so far done by that ?

Shri B. R. Bhagat : There is a cell in the Finance Ministry whose duty is to study these things and suggest measures.

द्वितीय वेतन आयोग का प्रतिवेदन

+

*5. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्तीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन की पांच वर्ष की निर्धारित अवधि पूरी हो चुकी है ;

(ख) क्या यह अवधि 1 जुलाई, 1964 को पूरी हो चुकी थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों के संगठनों ने दूसरे वेतन आयोग अथवा मजूरी बोर्ड नियुक्त करने की मांग की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं। रिपोर्ट की वैधता (वेलिडिटी) की कोई अवधि निर्धारित नहीं की गयी थी।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) जी, हां। कर्मचारियों के कुछ संगठनों ने तीसरे वेतन आयोग की स्थापना की मांग की थी ।

(घ) अभी इस विषय पर विचार करने का ठीक समय नहीं आया है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा और रेलवे कर्मचारियों ने देश भर में यह मांग की है कि एक मजूरी बोर्ड नियुक्त किया जाये और यह कि दोनों मामले रेलवे मंत्रालय तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय के विचाराधीन हैं, परन्तु वित्त मंत्री द्वारा उन पर आपत्ति उठाई जा रही है ? यह कहां तक सच है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मुझे भय है कि विभिन्न मंत्रालयों की आन्तरिक नीतियां प्रकट नहीं की जा सकती हैं। वास्तव में मैं यह नहीं जानता कि यह सच है या नहीं। यदि ऐसा हो भी तो ये ऐसे मामले हैं जिन्हें प्रकट नहीं किया जा सकता ।

श्री स० मो० बनर्जी : वेतन आयोग की अवधि 5 वर्ष थी, क्योंकि यह एक पंचाट के बराबर था और एक पंचाट की अवधि 5 वर्ष है। क्योंकि वेतन आयोग की सिफारिश, विशेषतः निम्नतम मजूरी के लिए, इस आधार पर निर्धारित की गई थी कि 32 औंस वस्तुओं की कीमत 1958 में 56 नये पैसे थी, और आज कीमतों के साथ वेतन क्रमों का कोई सम्बन्ध नहीं है, मैं जानना चाहता हूं कि निम्नतम मजूरी बढ़ाने के लिए एक मजूरी बोर्ड अथवा वेतन आयोग की नियुक्ति की कहां तक आवश्यकता है यह अध्ययन करने के लिए क्या सरकार कोई समिति नियुक्त करना चाहती है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं इसे स्वीकार नहीं करता कि वेतन आयोग का काल पांच वर्ष है। वैसे माननीय सदस्यों के सुझावों पर उपयुक्त प्राधिकारी विचार करेंगे ।

Shri Yashpal Singh : May I know whether Government have considered this as pect of the thing that when his Commission was appolinted the living Index was 40, but now it is over 190. Now what is the utility of that old Commission. So I want to know when the new pay Commission is going to be appointed ?

Shri B. R. Bhagat : There is no intention of the Government to appoint the third Pay Commission.

श्री दाजी : माननीय मंत्री कहते हैं कि इस समय तीसरे वेतन आयोग की नियुक्ति की बात सोचना समय से पूर्व है। मेरा निवेदन है कि जब सब ओर से इसकी मांग हो रही हो तब भी यह मांग समय से पूर्व ही है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरे विचार में इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए आवश्यक नहीं। हमने उसे समय पूर्व कहा है और वह समय से पूर्व ही है।

श्री दाजी : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी सहायता करें। मैं जानना चाहता हूं कि वेतन आयोग 5, 10 अथवा 15 वर्ष बाद नियुक्त किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : वह स्वयं इस पर विचार करेंगे।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्योंकि भारतीय रेलवे कर्मचारी राष्ट्रीय संघ ने इसकी मांग की है तो वित्त मंत्री को उनकी मांग को स्वीकार करने में क्या आपत्ति है। यदि रेलवे कर्मचारियों के लिए अलग से मजूरी बोर्ड स्थापित हो जाय तो कोई अन्तर नहीं आयेगा ?

श्री दाजी : समय से पूर्व।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : माननीय रेलवे मंत्री अभी अपना बजट पेश करेंगे, शायद वह इन समस्याओं पर उस समय कुछ प्रकाश डालें।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्योंकि कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं, उसे देखते हुए, क्या सरकार कुछ महंगाई भत्ते की बात सोचेगी ?

श्री ब० रा० भगत : आयोग ने 90 प्रतिशत की सिफारिश की है और हमने इसे स्वीकार कर लिया है। 100 प्रतिशत में 90 प्रतिशत में कोई अन्तर नहीं है।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या सरकार केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतनों में जो अन्तर है, उसे दूर करने का यत्न कर रही है और क्या शिक्षकों तथा अन्य वर्गों के वेतनों पर विचार करने के लिए भी कोई वेतन आयोग स्थापित किया जा रहा है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य के लिए मेरे मन में बड़ा आदर है। परन्तु इस मामले में स्थिति राज्य सरकारों के हाथ में है। अतः केन्द्रीय सरकार इस तरह के मामलों में कोई अपने सुझाव प्रस्तुत ही नहीं करती।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बात को मानते हुए कि सरकार दास आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर रही है और तीसरे वेतन आयोग और मजूरी बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं समझती तो दास आयोग की सिफारिशों के अनुसार महंगाई भत्ते के पुनरीक्षण के लिए किस प्रकार की मशीनरी की व्यवस्था कर रही है ?

श्री ब० रा० भगत : अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, हम मामले पर विचार कर रहे हैं।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know the steps taken by the Central Government to get report accepted by the State Governments ?

Shri B. R. Bhagat : The question does not arise. It is up to them to accept this report.

बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी प्रतिवेदन

+

*6. { श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री ज० ब० सिंह :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री दे० द० पुरी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी राज्य मंत्रियों की समिति ने अपना प्रतिवेदन केन्द्र को दे दिया है ।

(ख) यदि हां, प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०--3778/65**]

(ग) समिति द्वारा की गई सिफारिशों की जांच की जा रही है । राज्य सरकारों को उन के विचारों के लिए लिखा गया है और निर्णय करने से पहले उन के विचारों पर भी ध्यान दिया जाएगा ।

Shri D. N. Tiwari : The amount of money which will be expected to be spent in order to fully implement the recommendation of the Commission ?

डा० कु० ल० राव : सिफारिशों का विवरण सभा पटल पर रखा दिया गया था । इसमें अपेक्षित धन का कोई प्रश्न नहीं है । फिर भी कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों के सम्बन्ध में वित्तीय निर्णय भी लेने होंगे । उदाहरण के लिए समिति की सिफारिश है कि भविष्य में बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं को 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाय । यह सब बातें उस में दी गयी व्यय होगी ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री यह बतायें कि कितनी राशि इसमें व्यय होगी ।

डा० कु० ल० राव : विशेष रूप में कोई राशि का अनुमान नहीं है । चौथी योजना के अन्तर्गत 300 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने की सिफारिश है ।

Shri D. N. Tiwari : The number of schemes received from Bihar, and the number of those which have been considered or being considered ?

डा० कु० ल० राव : बिहार राज्य में बहुत सी योजनायें चल रही हैं। हमें जो प्राप्त हुई हैं वे सब विचाराधीन हैं और कार्यान्वित भी हो रही हैं। विशेषरूप से कोसी नदी, बागमति बरही गंदक इत्यादि।

श्रीमती रेणुका बड़कटकी : क्योंकि आसाम की नदियों में और विशेष रूप से ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आती है और जन जीवन और सम्पत्ति का भारी विनाश होता है, क्या भारत सरकार बाढ़ नियन्त्रण का काम आसाम में अपने हाथ में ले लेगी। इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में समिति और सरकार का क्या मत है ?

डा० कु० ल० राव : यह बिल्कुल ठीक है। समिति ने यह सिफारिश की है कि जांच और कार्यान्वत करने का काम केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। मामला विचाराधीन है।

श्री लीलाधर कटकी : विवरण की मद संख्या 11 के अनुसार ब्रह्मपुत्र की बाढ़ों की जांच के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों को लगाये जाने का सुझाव था। इस दिशा में क्या किया जा रहा है ?

डा० कु० ल० राव : यह सिफारिश नहीं है, हम वैसे ही प्रयत्न करते हैं कि कठिनाइयों को हल किया जाय। आसाम की समस्या सचमुच बड़ी कठिन समस्या है।

Shri S. N. Chaturvedi : After spending Rs. 300 crores the area of land which will be saved from flovds in the Fourth Plan ?

डा० कु० ल० राव : वैसे कोई राशि निश्चित तो नहीं है परन्तु वैसे व्यवस्था 125 करोड़ रुपये की है। समिति ने 300 करोड़ की सिफारिश की है। फिर भी राशि ठीक तरह से कितनी होगी, इस सम्बन्ध में अभी पूरा ज्ञान नहीं है। परन्तु आशा है कि बाढ़-नियन्त्रण के लिए चौथी योजना में काफ़ी कुछ हो जायेगा।

Shri S. N. Chaturvedi : The area that will be benefited by this scheme of 300 crores ?

अध्यक्ष महोदय : क्षेत्र जो कि संरक्षित हो सकेगा।

डा० कु० ल० राव : क्षेत्र का सम्बन्ध चौथी योजना के अन्तर्गत मिलने वाली राशि पर आधारित रहेगा।

Shri Vishwa Nath Rai : May I know whether there is some country-wide flood control scheme under the consideration of the Government ?

डा० कु० ल० राव : बहुत से राज्यों में इसके लिए वृहद योजनायें बनाई गई हैं। जहां नहीं बनाई गई वहां बनाई जा रहीं हैं।

Shri A. S. Sehgal : The recommendations of the State Ministers' Conference regarding first priority second priority, and third priority schemes and their names ?

डा० कु० ल० राव : केन्द्रीय बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड की मुख्य सिफारिशें यह हैं जो कि हाल ही की बैठक में उन्होंने प्रस्तुत की हैं। पानी का जमा होना तथा समुद्र के तट टूटने के

मामले को बहुत महत्व दिया जा रहा है। और इन सारी समस्याओं पर विचार किया जा रहा है। यह भी सम्भव है कि चौथी योजना के अन्तर्गत इस मामले को बहुत महत्त्व दिया जा रहा है।

Shri Bhagwat Jha Azad : If the Government have accepted the recommendations of the FloodControl Report then what is the amount of money that is being given according to the recommendations No. 6 *i. e.* 50 percent grant and subsidy should be given ?

डा० कु० ल० राव : समिति के प्रतिवेदन को अभी सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। यह विचाराधीन है।

Shri Parkash Vir Shastri : It was stated by the Minister that last year floods in small rivers were more than in big rivers. Whether there is a scheme to control the floods in small rivers ?

डा० कु० ल० राव : गत वर्ष का अनुभव यही है कि हमें छोटी नदियों की ओर अधिक ध्यान देना है। हमने राज्य सरकारों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाया है और हमें आशा है कि छोटी नदियों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : May I know whether this Committee has given any attention to the flood in Dhansaa, whether the matter was discussed by the Punjab Government, if so the decision taken thereon ?

डा० कु० ल० राव : जी हां, पंजाब के मंत्री समिति के सदस्य थे और उन्होंने पंजाब का मामला बड़े अच्छे प्रकार से प्रस्तुत किया है।

डा० मा० श्री० अणे : क्या कोई विशेष नदियों के नियन्त्रण की योजना महाराष्ट्र सरकार की ओर से प्राप्त हुई है ?

डा० कु० ल० राव : कोई योजना विशेप रूप से हमें प्राप्त नहीं हुई है। यदि कोई नदी में बाढ़ का कष्ट बढ़ेगा तो वह कोई योजना भेज देंगे।

श्री कपूर सिंह : क्या ऐसे उदाहरण मिले हैं कि बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं का राजनीतिक लाभ उठाने का यत्न किया गया हो। यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है ?

डा० कु० ल० राव : नहीं जी।

श्री कपूर सिंह : मैं कई एक मामले मंत्री महोदय के नोटिस में लाया था, परन्तु मंत्री महोदय साफ इन्कार कर रहे हैं।

Shri Yashpal Singh: May I know whether Government have considered this aspect of the problem that Irrigation Department and Flood Relief Department should be separated ?

डा० कु० ल० राव : जी हां, इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : सारे देश में बाढ़ नियन्त्रण की दिशा में जो कदम उठाये जा रहे हैं, उसे देखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य वार आवश्यकताओं का कोई अनुमान लगाया गया है और यदि हां, तो क्या कोई प्राथमिकतायें निर्धारित की गई हैं ?

डा० कु० ल० राव : बाढ़ नियन्त्रण समिति ने राज्यवार राशियों की सिफारिश की है और कुल राशि 300 करोड़ रुपये की है। राशि पर यह निर्धारित करता है कि कितनी कमी तथा वृद्धि की जाय।

Shri Buta Singh : I want to know that Dhansa Bund is very harmful to Punjab. Whether Punjab Government has given any such information that Dhansa Bund will be demolished. Whether Government are thinking of demolishing it ?

डा० कु० ल० राव : ढांसा बांध के बारे में प्रान्तीय सरकार तथा केन्द्रीय सरकार में कोई मतभेद नहीं है। योजनायें चल रही हैं और हमें आशा है कि अब कष्ट काफी कम हो जायेगा।

Shri Madhu Limaye : May I know whether Government are thinking over this serious problem of erosion in river Ganga in Bihar. Whether there is any scheme to control this?

डा० कु० ल० राव : समस्या बिहार सरकार के सामने है। परन्तु उन्होंने कोई योजना भेजी नहीं। यदि कोई योजना प्राप्त हुई तो उसकी ओर पर्याप्त ध्यान दिया जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

आवास योजनाओं का एकीकरण

*7. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री उ. के :
श्री अ० रं० चक्रवर्ती :
श्री अ० चं० बरुआ :
श्री राधे लाल व्यास :
श्री .भात कार :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मकानों के निर्माण-कार्य को बढ़ावा देने तथा आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्गों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न आवास योजनाओं का एकीकरण करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव पर कब अमल किया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क), (ख) और (ग). इस मामले की एक कमेटी के द्वारा परीक्षा की जा रही है, जो कि दिसम्बर, 1964 में नियुक्त की गई थी ।

आगरा में कुष्ठ रोगियों की बस्ती

*8 **श्री बी० चं० शर्मा** :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री नवल प्रभाकर :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सं० ब० पाटिल :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री दे० जी० नायक :
श्री प्र० के० देव :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० कु० घोष :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री 24 दिसम्बर, 1964 के तारांकित **प्रश्न** संख्या 667 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या जापानी कुष्ठ शिष्टमंडल द्वारा आगरा में बनाई जाने वाली कुष्ठ रोगियों की बस्ती के लिए स्थान के बारे में अन्तिम निश्चिय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निश्चय किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) जापानी लेप्रसी मिशन फार एशिया की सहायता से बनाये जा रहे कुष्ठ आश्रम के स्थान के बारे में भारत सरकार ने निम्नलिखित निर्णय किये हैं :—

(1) इस केन्द्र को नियत किये गये क्षेत्र में कुछ हल्के परिवर्तन करके कुष्ठ आश्रम की इमारत वर्तमान स्थान पर ही रहेगी ।

(2) ताज और कुष्ठाश्रम के बीच स्थित मौजूदा कुष्ठ अस्पताल को कुष्ठाश्रम के स्थान से परे ताज से 1 1/2 मील दूर हटा दिया जायेगा ।

(3) कुष्ठाश्रम के अहाते और ताज के बीच का 4 फरलांग का क्षेत्र सरकार ले लेगी और उस पर एक राष्ट्रीय पार्क बना देगी ताकि ताज के नजदीक भविष्य में और कोई इमारत न बने।

(4) इस कुष्ठ केन्द्र में मुख्यतः परीक्षण, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण कार्य किये जायेंगे ।

कृषकों को बिजली पहुंचाना

*9. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
महाराज कुमार विजय आनन्द :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प० ह० भील :
श्री सेझियान :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री ज० ब० सिंह बिष्ट :
श्री राम चन्द्र उलाका :
श्री बुलेश्वर मीना :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषकों को दी जाने वाली बिजली की कीमत कम करने के लिये प्रभावी उपाय निकाले हैं; और

(ख) यदि हां, तो योजना की रूप रेखा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) कृषि के सम्बन्ध में दी गई बिजली की दरों के लिये उत्पादान के प्रश्न पर 5—8—64 को हुई कृषि उत्पादन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया था, और यह निर्णय किया गया था कि समस्त भारत में कृषि के लिए बिजली दरों के संबन्ध में उपदान देना वांछनीय नहीं होगा और फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश व उत्तर बिहार जैसे विशेष क्षेत्रों में, जहां कि बिजली के दर अत्यधिक हैं, विचार किया जा सकता है। बोर्ड के इस निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश व बिहार की राज्य सरकारों ने अपनी स्कीम रिपोर्टें जिन में उपदान की ऐच्छित मात्रा बताई गई हैं, भेज दी है और सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।

(ख) किसानों को दी जाने वाली बिजली की दरों में कमी लाने के संदर्भ में कृषि सम्बन्धी कामों के लिए दिये गये सर्विस कुनेक्शनों की लागत को पूर्णतः अनुदान के रूप में देने

के प्रस्ताव पर 16–1–65 को हुई कृषि उत्पादन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया था और यह फैसला किया गया था कि इस प्रस्ताव को संहत क्षेत्रों में दिये गये सर्विस कुनेक्शनों तक ही सीमित रखा जाए और यदि इस उद्देश्य के लिए अधिक पैसे की जरूरत हो तो सारी लागत को उप अनुदान के रूप में देने की बजाए केवल 50 प्रतिशत अनुदान देने के प्रश्न पर विचार किया जाए। राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे चौथी योजना अवधि के लिए, वर्ष वार, अपनी आर्थिक आवश्यकताएं भेजें, ताकि यह मंत्रालय प्राक्कलन तैयार कर सके।

(ग) राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय कार्य प्रणाली सम्बन्धी वेंकटारमण समिति ने, अन्य बातों के साथ साथ, यह सुझाव दिया कि राज्य बिजली बोर्डों को चाहिये कि वे इस बात पर विचार करें कि आया कृषि सम्बन्धी उपभोग पर उन के द्वारा ली जाने वाली न्यूनतम गारन्टी को कम किया जा सकता है अथवा बिल्कुल हटाया जा सकता है कि नहीं। इस मामले पर राज्य सरकारों से सलाह कर के विचार किया जा रहा है।

जल संभरण तथा मल निस्सारण समिति

*10. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री 10 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 456 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम की जल संभरण तथा मल निस्सारण समिति के संकल्प के अनुसरण में नदी के पानी के दूषित होने के कारणों की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस के सदस्य कौन-कौन हैं तथा निर्देश-पद क्या हैं;

(ग) क्या प्रतिवेदन के पेश किये जाने के लिए कोई अन्तिम तिथि निर्धारित की गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) इस समिति के नियुक्ति सम्बन्धी संकल्प की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है। [पुस्तकालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० 3774/64]

(ग) समिति को 31 मार्च, 1965 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देना है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली और कलकत्ता में नये होटल

*11. श्री विश्वनाथ राय :
श्री बृजेश्वर प्रसाद :
श्री राजदेव सिंह :
श्री बालकृष्ण सिंह :
श्री प्र० र० चक्रवर्ती :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री राम हरख यादव :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कोया :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली और कलकत्ता में सरकारी क्षेत्र में कुछ होटल बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी हां।

(ख) तीन-चार महीने के अन्दर मिन्टो रोड एरिया, दिल्ली में रणजीत होटल पूरा बन जाने की उम्मीद है। इसमें लगभग 220 बिस्तर की जगह होगी। अभी हाल ही में जनपथ और अशोक रोड के कोने पर एक और होटल (अकबर होटल) को बनाये जाने की मंजूरी दी गई है जिसमें 300 बिस्तर होंगे। दिल्ली में एक या दो और तथा कलकत्ता में एक होटल को बनाने के प्रस्ताव की योजना पर विचार किया जा रहा है।

New Hotels in Delhi

*12. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Bade :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Mohan Swarup :
Shri Daji :
Shri Warior :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:—

(a) whether it is fact that the third Government hotel in Delhi is likely to be completed by March, 1965;

(b) if so, the amount to be spent on it;

(c) the names of the Companies which have been awarded various contracts for its construction; and

(d) the capacity of this hotel ?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) Ranjit Hotel in Minto Road area is expected to be completed within 3—4 months.

(b) It will only be known after the building has been completed and final bills paid.

(c) 1.	Main building including sanitary and water supply installations.	M/S C.Lyall and Company.
2.	Compound wall.	Shri Naval Kishore
3.	Storm water drainage.	Shri Mahinder Singh Dhamiat.
4.	Supply of earth.	Shri Dharam Dass Palvaria.
5.	Electric work.	M/S Laro Engineering Company, New Delhi.
6.	Horticultural work.	Shri Brij Mohan Lall

(d) About 220 beds.

संतालडीह में सुपर थर्मल पावर स्टेशन

*13. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री पश्चिम बंगाल में संतालडीह में सुपर थर्मल पावर प्लांट के निर्माण सम्बन्धी 17 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 257 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस दिशा में और क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग परियोजना रिपोर्ट की जांच कर रहा है। ताप बिजली केन्द्र के उपयुक्त स्थल को निश्चित करने के लिए केन्द्र और राज्य अधिकारियों में विचार विमर्श हो रहा है।

विद्युत् जनन पर केन्द्रीय नियंत्रण

*14. **श्री हेम बरुआ :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री समनानी :
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने समूचे देश में विद्युत् जनन पर केन्द्रीय नियंत्रण का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि राज्यों ने इस सुझाव का सामान्यतया विरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क), (ख) और (ग). विवरण सभा पटल पर रखा है [पुस्तकालय में रखा गया, **देखिये** संख्या एल० टी० 3780/65].

ब्रिटेन के समुद्रपार विकास-मंत्री का दौरा

*15. **श्री विश्राम प्रसाद** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे **कि** :

(क) क्या ब्रिटेन की समुद्रपार विकास मंत्री श्रीमती बारबेरा कैसल ने हाल में भारत का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो दौरे पर आये मंत्री तथा सरकार के बीच क्या बातचीत हुई ; और

(ग) हमारे विकास कार्यक्रमों के लिये जो और सहायता प्राप्त होने की आशा है उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). भारत के सामूहिक आर्थिक विकास के सम्बन्ध में सामान्य प्रकार की बातचीत हुई थी । सहायता के किसी खास प्रस्ताव पर बातचीत नहीं हुई, क्योंकि भारत सहायता संघ का सदस्य होने के नाते, ब्रिटेन, सहायता के किसी खास प्रस्ताव पर तभी विचार करेगा जब 16 और 17 मार्च को पेरिस में संघ के तत्वावधान में होने वाली बातचीत हो चुकेगी ।

नर्मदा घाटी का विकास

*16. श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री रा० गि० दुबे :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री दे० जी० नायक :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री प्र० के० देव :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री रा० बरुग्रा :
श्री ल० ना० भंजदेव :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और गुजरात में नर्मदा के जल के उपयोग के लिए उस घाटी के बेसिन के विकास में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इससे सम्बन्धित परियोजनाओं को शीघ्र आरम्भ करने के लिए क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). भारत सरकार ने नर्मदा जल संसाधनों के इष्टतम एवं समेकित विकासार्थ एक मास्टर प्लैन बनाने के लिए उड़ीसा के राज्यपाल, डा० ए० एन० खोसला की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है। रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

कुष्ठ रोगियों का सर्वेक्षण

*17. डा० श्रीनिवासन :
श्री परमशिवन :
श्री गुलशन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प० ह० भील :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी तक कुष्ठ रोगियों का कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रोगियों की खोज करने तथा उनके उपचार के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन स्थापित किये गये कुष्ठ नियंत्रण एककों तथा सर्वेक्षण शिक्षा एवं उपचार केन्द्रों द्वारा जन संख्या का सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अधीन अब तक किये कार्य का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1)	अंतर्हित जन संख्या	4 करोड़ 16 लाख
(2)	सर्वेक्षित जन संख्या	2 करोड़ 40 लाख
(3)	पुनर्सर्वेक्षित जन संख्या	52 लाख
(4)	जांच किये गये व्यक्ति	2 करोड़ 9 लाख
(5)	रजिस्टर्ड रोगियों की कुल संख्या (सर्वेक्षण तथा अन्य प्रकार से)	612975
(6)	उपचार किये जा रहे रोगियों की कुल संख्या	568853

(ग) कुष्ठ रोगियों का पता लगाने तथा उनका उपचार करने के लिए देश भर में अब तक 166 कुष्ठ नियंत्रण एकक तथा 507 सर्वेक्षण शिक्षा एवं उपचार केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम में भाग लेने वाली 32 स्वेच्छा संस्थायें भी भारत सरकार से सहाय्यानुदान ले रही हैं।

संयुक्त राज्य अमरीका से सहायता

*18. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि के लिए अधिक सहायता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी अभिकरण के निदेशक, डा० जान पी० लूइस के साथ कोई बातचीत हुई थी ;

(ख) इस सहायता का स्वरूप क्या है; और

(ग) यदि सहायता मिल गई तो क्या उसे उपयोग करने के लिए कोई कृषि औद्योगिक निगम स्थापित करने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

Roche Products Ltd., Bombay

***19. Shri Kishen Pattnayak** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to their reply given to Starred Question No. 451 on the 10th December, 1964 and state:

(a) whether the scrutiny of seized documents by the Enforcement Directorate from the premises of M/s. Roche Products Ltd., Bombay has since been completed; and

(b) if so, whether any proof of over-invoicing in the import of Chlor-diazi Poxide in particular has been found ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Rameshwar Sahu): (a) & (b). The seized documents have been scrutinised. Further enquiries are also being made. It is premature to say whether there has been any over-invoicing in the import of the drug by the firm.

पूर्व योरोपीय व्यापारिक संस्थायें

*20. **श्रीमती रेणुका राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सीमा शुल्क विभाग ने हाल में इस बात का पता लगाया है कि कुछ पूर्व योरोपीय व्यापारिक संस्थायें भारतीय खनिजों को रुपयों में खरीद कर डालर वाले देशों को बेचती हैं; और

(ख) यदि हां, तो अब तक भारत को हुई कितनी विदेशी मुद्रा की हानि का पता लगा है और इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आवास मंत्रियों का सम्मेलन

*22. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० च० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री रा० गि० दुबे :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री हेडा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बड़े :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री उइके :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री हेम राज :
श्री राधे लाल व्यास :
श्री गुलशन :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1964 में चंडीगढ़ में आवास मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) इस सम्मेलन में कितने राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ;

(ग) किन-किन मुख्य विषयों पर इस सम्मेलन में विचार किया गया ; और

(घ) इस सम्मेलन ने कौन-कौन मुख्य सिफारिशें की हैं तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां।

(ख) केरल को छोड़ कर सभी ।

(ग) और (घ). सम्मेलन में जिन विषयों पर विचार किया गया था और जो सिफारिशें सम्मेलन ने की थीं वह सम्मेलन की कार्रवाई के विवरण में दी गई हैं, जिसकी कि छपी हुई प्रतियां संसद् सदस्यों में परिचारित की जा चुकी हैं और संसद् के पुस्तकालय में भी रखी हैं। सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

मलेरिया उन्मूलन "सम्मेलन"

*23. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा, भारत और पाकिस्तान के मलेरिया उन्मूलन समन्वय कार्य सम्बन्धी प्रतिनिधियों का सम्मेलन हाल ही में चण्डीगढ़ में हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर मलेरिया उन्मूलन के कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए क्या निर्णय किये गये ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां। पांचवां बर्मा-भारत-पाकिस्तान मलेरिया उन्मूलन समन्वय सम्मेलन 21 से 23 दिसम्बर, 1964 को चण्डीगढ़ में हुआ । इस सम्मेलन में बर्मा, भारत और पाकिस्तान की सरकारों के प्रतिनिधियों तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के प्रेक्षकों ने भाग लेना था किन्तु पाकिस्तान का शिष्टमण्डल इस में भाग न ले सका।

(ख) इस सम्मेलन में अपनाये गये संकल्पों के प्रारूप का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल टी-3781/65]** ।

यमुना के जल को दूषित होने से रोकना

*24. श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम ने लोक स्वास्थ्य सम्बन्धी कुछ अमरीकी विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त की हैं जो यमुना जल को दूषित होने से रोकने के लिये मार्गोपायों का सुझाव देंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इन विशेषज्ञों ने इस बारे में क्या योजनायें तथा सुझाव प्रस्तुत किये हैं और उन पर कितना व्यय होने की संभावना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). जी नहीं। तथापि स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक के अनुरोध पर यू० एस० ए० आई० डी० के मुख्य जन स्वास्थ्य इंजनियर ने दिल्ली वाटर वर्क्स में उपलब्ध प्रयोगशाला सुविधाओं का एक अध्ययन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट विचाराधीन है ।

छिपा हुआ धन

*25. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री किशन पटनायक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संयुक्त सदाचार समिति द्वारा हाल ही में भेजे गये उस टिप्पण की ओर दिलाया गया है जिसमें यह अनुमान लगाया गया है कि देश में छिपा हुआ धन परिचलन में कुल मुद्रा से अधिक है ;

(ख) यह अनुमान कहां तक ठीक है ;

(ग) छिपे हुए धन में से कितना धन मुद्रा के रूप में तथा कितना धन अन्य रूपों में होने का अनुमान है ; और

(घ) सरकार का विचार इस मामले में क्या कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) निर्दिष्ट टिप्पण की अखबारी रिपोर्टों को देख लिया गया है ।

(ख) यह समिति का अनुमान है न कि सरकार का ।

(ग) मुद्रा या अन्य रूपों में छिपाये गए धन के ब्योरों के बारे में सरकार का कोई अनुमान नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

करमरकर समिति का प्रतिवेदन

*26. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ग्रोंकारलाल बेरवा :
श्री प० ह० भील :
श्री हेडा :
श्रीमती ग्रक्कामा देवी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :
श्री रा० बरुग्रा :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या दिल्ली के ग्रसैनिक ग्रस्पतालों में काम करने वाले निवासी चिकित्सकों तथा हाउस सर्जनों को दिये जाने वाले भत्तों के बारे में करमरकर समिति का प्रतिवेदन सरकार को मिल गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) सरकार ने कौनसी सिफारिशें स्वीकार की हैं ; ग्रौर

(घ) उनमें से कितनी सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

(ग) ग्रौर (घ). समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ग्रौर इस पर शीघ्र ही निर्णय किये जाने की ग्राशा है । [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी-3782/65]

जमुना तल से जल निकालना

*27. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रा० गि० दुबे :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री कपूर सिंह
श्री प्र० के० देव :
श्री हेडा :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में पीने के पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिये जमुना के निकट जमीन के नीचे से जल निकालने की एक फ्रान्सीसी फर्म ने एक बड़ी योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की रूपरेखा क्या है तथा उस पर कितना धन व्यय होगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) दिल्ली नगर निगम ने मेसर्ज़ मेस्कारन्हस एण्ड तारापोर वाला नामक फर्म को यमुना नदी से जमीन के नीचे से जल निकालने की संभावना खोज निकालने के बारे में कहा है । यह फर्म एक फ्रान्सीसी मांन० पी० क्लोसे के सहयोग से इस कार्य को कर रही है । जमीन के नीचे से पानी निकालने की सम्भावना का निर्धारण करने के लिये जो परीक्षण किया जायेगा उसके खर्च का एक प्राक्कलन इस फर्म ने दे दिया है ।

(ख) मेसर्ज़ मेस्कारन्हस एण्ड तारावाला नामक फर्म ने 2 करोड़ गैलन प्रति दिन भूमितल से पानी निकालने की सम्भावना का निर्धारण करने के परीक्षण पर होने वाले खर्च का प्राक्कलन दिल्ली नगर निगम को दे दिया है। रेनी सिस्टम के लिए यह इतनी यूनिट कम से कम मानी गई है । इस प्राक्कलन के तीन भाग हैं ।

भाग–1. 50,600 रुपये का अनुमानित खर्च में छिद्रण समन्वेषण तथा पानी निकालने पर आने वाला खर्चा आ जाता है ।

भाग–2. 19,100 रुपये के अनुमानित व्यय में फांसीसी विशेषज्ञ और फर्म के मुखियों का यात्रा भत्ता भी आ जाता है ।

भाग–3. 12,000 रुपये के अनुमानित खर्च फर्म के व्यावसायिक शुल्क आ जाते हैं ।

फर्म ने यह कहा है कि यदि योजना की व्यवहारिकता स्थापित हो जाती है और विस्तृत प्रा-योजना तैयार करने का काम उनको सौंप दिया जाता है तो वे भाग-3 के व्यय को लौटा देंगे । तीनों भागों का कुल व्यय 81,700 रुपये होगा ।

जल एवं मल निष्कासन समिति ने 31-1-65 को हुई अपनी बैठक में उपर्युक्त प्राक्कलन को सैद्धान्तिक रूप में स्वीकृति दे दी है बशर्ते फर्म के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करके अनुमानित खर्च में कुछ परिवर्तन किये जा सकें ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा

*28. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री कोल्ला वैंकय्या :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के अधीन पद स्थानों को सम्मिलित करने के लिये एक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके गठन का निश्चित स्वरूप तथा उसमें स्थानों की अधिकृत संख्या क्या है ।

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में संघीय सरकार (रेलवे तथा रक्षा मंत्रालयों के अतिरिक्त) संघ क्षेत्रों तथा कतिपय स्वशासी निकायों जैसे अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान् बंगलौर, दिल्ली नगर निगम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालिज तथा नई दिल्ली नगरपालिका के अन्तर्गत पड़ने वाले चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य पद स्थान सम्मिलित हैं ।

(ख) ये विवरण केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 में दिये गये हैं जिसकी एक प्रति सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

बिक्री-कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाना

*29. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० स० तिवारी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हेम राज :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1964 के अन्तिम सप्ताह में हुए मद्रास विक्रय कर सम्मेलन में वाणिज्य तथा उद्योग के भारतीय मंडलों की फैडरेशन के प्रधान द्वारा दिये गये इस सुझाव की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि विक्रय कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाये जाने चाहियें ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) इस आशय की कुछ प्रेस रिपोर्टें निकली हैं कि मद्रास विक्रय–कर सम्मेलन में दिये गये अपने उद्घाटन अभिभाषण में वाणिज्य तथा उद्योग के भारतीय मंडलों के फैडरेशन के प्रधान ने विक्रय-कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाने के सुझाव से सहमत होने के लिए राज्य सरकारों से आग्रह किया था ।

(ख) इस प्रस्ताव पर 7 नवम्बर, 1963 को हुए राज्य वित्त मंत्रियों के एक सम्मेलन में विचार किया गया था ; लेकिन राज्यों की ओर से सर्वसम्मतिपूर्ण विरोध के कारण इस प्रस्ताव को समाप्त कर दिया गया था क्योंकि संविधान के अधीन विक्रय–कर समान्यतः कराधान का राज्य विषय है, इसलिए जब तक सभी राज्य सरकारें इससे सहमत न हों जायें तब तक सुझाव को कार्यान्वित नही किया जा सकता ।

गोवा में राजस्व वसूली

1. श्री शिव मूर्ति स्वामी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963–64 में गोआ के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के रूप में कितना राजस्व वसूल किया गया ;

(ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क राजस्व वसूल करने के लिए गोआ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क राजस्व कलेक्टर के नियंत्रण में क्यों नहीं किया है ; और

(ग) वे कौन कौन सी मदें हैं जिन पर गोआ में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लिया जाता है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष	वसूल किया गया राजस्व (रुपये,000)
1963–64	96,78

(ख) गोश्रा का सीमा शुल्क कलेक्टर ही उस क्षेत्र का केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का भी कलेक्टर है । गोश्रा में सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सम्बन्धी काम इतना अधिक नहीं है जिसके लिये अलग अलग दो पदाधिकारी नियुक्त किये जायें ।

(ग) गोश्रा में वर्तमान में केवल तम्बाकू, खनिज तेल, पेटैन्ट अथवा विशेष रूपसे निर्मित औषधियों, गैसों, साबुन तथा दियासलाइयों में ही उत्पादन शुल्क लगाया जाता है ।

हकलाने के उपचार के लिए संस्था

2. **श्री राम हरख यादव :**

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हकलाने तथा भाव--विक्षोभ के उपचार के लिए मैसूर में अखिल भारतीय संस्था स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो वह कहां स्थापित की जायेगी ; और

(ग) इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) मैसूर में वाक्-चिकित्सा तथा हकलाने के उपचार के लिए एक लागोपाइडिक्स संस्था खोलने का विचार किया गया है ।

(ख) मैसूर शहर । महाराजा जे० वादयार ने इस संस्था के भवन के लिये 20 करोड़ रुपये की भूमि दान में देने के लिये मंजूर किया है । इस संस्था के लिये स्थायी भवन का निर्माण किये जाने तक की अवधि के लिये उन्होंने दो भवनों को भी इस संस्था को अस्थायी प्रयोग के लिये दिया है ।

(ग) चालू योजना में 7 लाख 50 रुपये की व्यवस्था की गई है और चौथी योजना में 35 लाख रुपये की व्यवस्था करने का विचार है ।

PENSION SCHEME FOR N.D.M.C. EMPLOYEES

3. **Shri Naval Prabhakar :** Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(*a*) whether Pension Scheme is being extended to the employes of the New Delhi Municipal Committee; and

(*b*) if so, when ?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) and (b). A proposal to that effect is under considerarion of the New Delhi Municipal Committee No decision in this regard has been taken so far.

नयी औषधीय जड़ी बूटियां

4. **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री भागवत झा श्राजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमालय के क्षेत्र में हाल में ही ऐसी नयी औषधीय जड़ी बूटियों का पता लगा है जिनसे रक्त चाप तथा तपेदिक का उपचार किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो पाई गई जड़ी बूटियों के क्या नाम हैं; और

(ग) क्या अस्पतालों में किये गये परीक्षणों से यह बात सिद्ध हो गई है कि रक्तचाप तथा तपेदिक के इलाज के लिये ये जड़ी-बूटियां गुणकारी हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) जटामांसी (Nardostachys Jatamansi D.C.) और रुद्रवन्ती (Astragalus Candolleanus Royle)।

(ग) जटामांसी का औषध-प्रभाव सम्बन्धी जांच किये जाने पर यह पता चला है कि यह औषधि अतिरुधिर तनाव में लाभदायक होती है जिसका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। औषधालयों में 28 मामलों की जांच किये जाने पर इस बात का पर्याप्त प्रमाण मिला है कि इस औषधि के बारे में अग्रेतर विस्तृत अध्ययन किया जाये। रुद्रवन्ती के बारे में अभी तक नैदानिक अथवा औषध-प्रभाव सम्बन्धी जांच नहीं की गई है।

यूनानी चिकित्सा पद्धति

5. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार यूनानी चिकित्सा पद्धति की दो स्नातकोत्तर और गवेषणा संस्थायें स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वे कब और कहां स्थापित होंगी; और

(ग) इस समय भारत में यूनानी कालेजों की कुल संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख). यूनानी चिकित्सा पद्धति के दो स्नातकोत्तर और गवेषणा संस्थायें आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बिया कालेज, दिल्ली और मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में स्थापित करने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

(ग) भारत सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार इस समय 15 यूनानी कालेज हैं।

QUARTERS FOR GOVERNMENT EMPLOYEES IN DELHI

6. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri R. S. Tiwari :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(*a*) the extent to which the housing accommodation problem for the Central Government employees in Delhi has been solved;

(*b*) the number of such employees as had been provided with Government accommodation up till December 31, 1964 as compared to the total number of Government Employyees eligible for the allotment of accommodation in the General Pool; and

(*c*) the steps Government propose to take to provide accommodation to the rest of the employees ?

Minister of works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) and (*b*). As against a demand of 1, 01, 406 residences as on 31st December, 1964, only 35, 311, units were available in the general pool.

(c) Government has taken up an accelerated programme of construction of residential accommodation in the general pool. At present about 4,4000 houses are under construcrtion, out of which about 2500 are expected to become available shortly. Funds have been also sought from the Planning Commission to undertake large scale construction to close the gap between demand and availability in all types of residential units.

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय

7. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा सरकार के उच्चाधिकारियों के निमित्त चालू केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों तथा राजधानी के भीड़भाड़ वाले स्थानों में अन्य वर्गों के कर्मचारियों के लिये चालू इस प्रकार के औषधालयों में स्वच्छता तथा कार्यकुशलता के स्तरों में विषमता है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख). कन्स्टीट्यूशन क्लब, नौथ एवेन्यू तथा साउथ एवेन्यू में स्थित केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में जहां कि संसद् के सदस्यों की सुविधा के लिये विशेष समय निर्धारित किये गये हैं, के अतिरिक्त इस योजना से लाभ उठाने वालों के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बर्ता गया है। कुछ डिस्पेन्सरियां जो कि बहुत भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में स्थित हैं, उनके पास इस समय समुचित तथा पर्याप्त स्थान नहीं है ।

बिजली की खपत

8. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्राप्त किया जाने वाला बिजली की प्रति व्यक्ति अनुमानित खपत का लक्ष्य क्या है;

(ख) उस समय प्रत्येक राज्य/संघ प्रशासित राज्य क्षेत्र में अलग अलग प्रति व्यक्ति कितनी खपत होगी; और

(ग) चौथी योजना में प्रत्येक राज्य में तथा समूचे देश में बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़ा कर कितनी कर दी जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ला० राव) : (क) और (ख). विभिन्न राज्यों आदि में तीसरी योजना के अन्त तक अनुमानित प्रति व्यक्ति खपत का अनुमान बताने वाला विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी 3783/65**]

(ग) चौथी योजना में विद्युत् कार्यक्रम के बारे में अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

नेफा की योजना का परिव्यय

9. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा स्वीकृत वर्ष 1965–66 के लिये नेफा के लिये योजना का वार्षिक परिव्यय क्या है; और

(ख) विकास योजनाओं की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) वर्ष 1965–66 के लिये नेफा की योजना का परिव्यय 272 लाख 74 हजार रुपये है ।

(ख) विकास के मुख्य चरणों के बारे में परिव्यय बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

विकास का शीर्षक	वर्ष 1965–66 के लिये स्वीकृत परिव्यय—नेफा (रुपये—लाख)
कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम	41.46
सहकारिता तथा सामुदायिक विकास	32.46
बिजली	21.40
ग्राम्य तथा लघु उद्योग	9.50
परिवहन	51.98
सामाजिक सेवायें	110.28
विविध	5.66
योग	272.74

इनामी बाण्ड योजना

11. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार पहली इनामी बाण्ड योजना के स्थान पर पांच वर्ष तक न भुनाये जा सकने वाले धारक बाण्डों की नई योजना चालू करने का है;

(ख) क्या विनियोजन की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले चार वर्षों में इनामी बाण्ड योजना के कार्यकरण का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नागपुर के श्री श्रीराम दुर्गा प्रसाद

12. { **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या वित्त मंत्री नागपुर के श्री श्रीराम दुर्गा प्रसाद के मामलों सम्बन्धी 17 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 562 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जांच कार्य को पूरा करने में इतनी अधिक देरी होने के क्या कारण हैं ;

(ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के साथ पठित समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 के उपबन्धों के अधीन प्रस्तावित अभियोग कब चलाये जायेंगे;

(ग) क्या सम्बन्धित व्यक्तियों के मुकद्दमों की सुनवाई के लिये कोई विशेष न्यायाधीश अथवा न्यायाधिकरण नियुक्त किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) जब तलाशी ली जा रही थी तो श्री श्रीराम दुर्गाप्रसाद ने दो याचिकायें (रिट पैटिशन) प्रस्तुत कीं—एक महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के नागपुर बेंच में और दूसरी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद के बेंच में। इन याचिकाओं के कारण सम्बन्धित विभाग को न्यायालयों ने आदेश दे दिये थे कि जब तक इस मामले की सुनवाई नहीं हो जाती और इन याचिकाओं का निबटारा नहीं हो जाता, उस समय तक कागज़ात की छानबीन न करें। और कोई कार्यवाही न करें। फरवरी, 1964 में नागपुर न्यायालय द्वारा और नवम्बर, 1964 में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने जब अपने आदेश वापस ले लिये तब जांच आरम्भ की जा सकी।

(ख) इस बारे में जांच पूरी हो जाने के बाद ही मुक़दमा चलाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

(ग) तथा (घ). इस समय प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

Per Capita Annual Income

13. **Shri Madhu Limaye:**
Shri Bibhuti Mishra:
Shri K. N. Tiwary:

Will the Minister of **Planning** be pleased to state whether Government are formulating a scheme to find out,exact *per capita* annual income in different States and districts for taking it into consideration while formulating development plans for the purpose of uniform development of all the States and Districts in the country?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): In view of the importance of estimates of State incomes for purposes of planning, Planning Commission have requested the Central Statistical Organization to undertake, in cooperation with State Statistical Bureaux, the task of preparing estimates of State incomes on a comparable annual basis. Standard concepts and methods have been laid-down and training facilities and technical advice on specific issues have been given to the State Statistical Bureaux by the Central Statistical Organisation. The problem is not merely of adoption of uniform methodology but of improvement of basic data relating to the various sectors of the economy at the State level spread over a number of years. A short-term programme has however been drawn up for the preparation of comparable estimates of incomes originating from the commodity producing centres at the State level for 1960-61 to 1962-63 by all Statistical Bureaux for the use of the Planning Commission.

Printing Presses

14. **Shri Bade:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri D. C. Sharma:

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to State:

(a) whether it is a fact that Government propose to set up five more printing presses in the country during the Fourth Plan Period;

(b) if so, the places where these will be located;

(c) whether any request for participation from the private sector has also been received; and

(d) if so, the reaction of Government thereon?

The Minister of works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) the intention is to set up two Photolitho and five Forms Presses in the Fourth Plan.

(b) One Photolitho Press will be located at Faridabad and one Forms press at Ghaziabad. The location of the remaining presses has not so far been decided.

(e) No.

(d) Does not arise.

U. S. Aid

15. { **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri P. H. Bheel :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a delegation on behalf of the Government of India is going to U. S. A. to have talks on the American aid;

(b) if so, the quantum of aid to be asked for and the nature thereof;

(c) whether such delegations are proposed to be sent to other countries also; and

(d) if so, where ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) (a) No, sir. (b), (c) and (d) Do not arise.

L. I. C. Loans

16. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that life Insurance Corporation have recently extended the scheme for grant of loans on mortgage of immovable property to ten more cities;

(b) if, so from what date and the names of those cities: snd

(c) the terms and conditions of the scheme ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) and (b) The scheme has been extended to the following ten cities with effect from 1st January, 1965.

Agra, Ajmer, Asansol, Jabalpur, Jullunder, Ludhiana, Meerut, Nasik, Rajkot, & Varanasi.

(c) No change has been made to the existing terms and conditions of the scheme, *viz.*,

(1) Interest at 8% per annum payable half yearly with a rebate of 1% for punctual payment of interest and principal instalments;

(2) Maximum duration of 15 years;

(3) Repayment of instalments every half year, and

(4) Maximum loan limited to 50% of the value of the property.

Infantile Mortality

17. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether Government propose to conduct a survey in collaboration with the Russian experts to investigate the causes of high infantile mortality in India; and

(b) if so, when and the broad outlines of this project ?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) and (b). No such proposal is, at present, under consideration of the Government of India.

Electric Crematorium in Delhi

18. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :

Will the Minister of **Health** be pleased to state;

(a) whether it is a fact that an electric crematorium has started functioning in Delhi.

(b) if so, whether Government have agreed to the grant of any special reduction in the rates of power to be supplied to it; and

(c) if so, the details thereof?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) No.

(b) There is no such proposal under the consideration of the Municipal Corporation of Delhi or the Government.

(c) Does not arise.

उत्पादन शुल्क

19. **श्री सोलंकी :**
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा मिलों में विद्युत्-चालित करघों से वर्ष 1963–64 में कितना उत्पादन शुल्क वसूल किया गया ; और

(ख) मिलों के बाहर प्रयुक्त होने वाले विद्युत-चालित करघों से उपरोक्त अवधि में कितना उत्पादन शुल्क वसूल किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री ति०त० कृष्णमाचारी): (क) और (ख) संयुक्त मिलों और बिजली से चलने वाली यूनिटों द्वारा उत्पादित सूती वस्त्रों के विषय में वसूल किये गये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सम्बन्धी राजस्व के बारे में सूचना देने वाला एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

	धन राशि रुपये (000)
निम्नलिखित वस्तुओं के विषय में 1963–64 के दौरान वसूल किया गया	
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सम्बन्धी राजस्व	
(क) संयुक्त मिलों द्वारा उत्पादित सूती वस्त्र . .	75,90,58
(ख) बिजली से चलने वाली यूनिटों द्वारा उत्पादित सूती वस्त्र .	51,51

परियोजना क्षेत्रों से हटाये गये लोगों का पुनर्वास

20. { **श्री दलजीत सिंह :**
श्री हेमराज :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री 17 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1504 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पोंग बांध, सतलज्ज–व्यास सम्पर्क और हरिके परियोजनाओं से हटाये गये लोगों के पुनर्वास को अन्तिम रूप देने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कु० ल० राव): राजस्थान नहर क्षेत्र में लोगों को बसाने के बारे में चर्चा करने के लिये निर्देश समिति की प्रस्तावित बैठक अभी नहीं हुई है इसलिये यह विषय अभी विचाराधीन है।

पंजाब में ग्रामीण आवास योजना

21. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना काल में ग्रामीण आवास परियोजनाओं की योजना के अंतर्गत पंजाब को कुल कितनी राशि निर्धारित की गयी है ; और

(ख) अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) 42 लाख रुपये।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में राज्य सरकार ने 5.85 लाख रुपये निकाले हैं। चालू वर्ष तथा अगले वर्ष में उन्होंने इस योजना के लिए अपनी वार्षिक योजनाओं में कोई व्यवस्था नहीं की है।

ग्रामीण आवास योजनाएं

22. { **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री उइके :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री राधेलाल व्यास : }

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में 31 दिसम्बर, 1964 तक ग्रामीण आवास योजनाओं पर कितना धन व्यय किया गया है ;

(ख) मध्य प्रदेश सरकार को इस कार्य के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है ;

(ग) क्या उस सरकार ने नये प्रव्रजकों को बसाने की दृष्टि से ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए और अधिक राशि नियत करने के लिए प्रार्थना की है ; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख). तीसरी पंच वर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत राज्यों और संघीय क्षेत्रों के द्वारा कुल 195 लाख रुपये निकाले गये जिनमें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा निकाले गये 17.73 लाख रुपये शामिल हैं। चालू वर्ष की अपनी वार्षिक योजना में राज्य सरकारों और संघीय प्रशासनों ने 96.7 लाख रुपये की व्यवस्था की है जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के 6.25 लाख रुपये शामिल हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल ही नहीं उठता।

कलकत्ता तथा अन्य स्थानों में जल संसाधन

23. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता तथा अन्य स्थानों में जल के संसाधनों का सर्वेक्षण करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि से कोई विशेष धनराशि आवंटित की गई है ;

(ख) क्या सरकार को इस विशेष धनराशि में कुछ अंशदान करना पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए अंशदान की रकम कितनी होगी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (घ). संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि ने अब तक भारत में जल के संसाधनों के सर्वेक्षण सम्बन्धी निम्नलिखित दो परियोजनाओं का अनुमोदन किया है :—

(1) वृहद कलकत्ता के जल संभरण संसाधनों का सर्वेक्षण।

(2) राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भू-जल सर्वेक्षण।

इन परियोजनाओं के लिये क्रमशः 722,600 अमरीकी डालर और 941,900 अमरीकी डालर की विशेष धनराशि दी गई है।

भारत सरकार को भी रुपये की शकल में इतना ही अंशदान देना है। जितनी की इस निधि में से धनराशि दी गई है। हम ने जो रुपया इन दो परियोजनाओं के लिये दिया है वह क्रमशः 387,960 अमरीका डालर और 904,000 अमरीकी डालर के बराबर है।

बिक्री-कर समिति का प्रतिवेदन

24. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने निर्यात पर बिक्री कर के प्रभाव के सम्बन्ध में बिक्री-कर समिति के प्रतिवेदन की जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किये गये हैं?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) तथा (ख). सरकार ने बिक्री-कर समिति के प्रतिवेदन की जांच कर ली है। फिर भी इसकी मुख्य मुख्य सिफारिशों पर अभी तक विचार किया जा रहा है।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में इंजीनियर

25. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में राज्यों के कितने इंजीनियर काम कर रहे हैं; और

(ख) 1963-64 में किन राज्यों ने आयोग द्वारा दी गयी प्रशिक्षण सुविधाओं का उपयोग नहीं किया?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) प्रतिनियुक्ति कोटे पर इस समय केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में राज्यों के 54 इंजीनियर काम कर रहे हैं।

(ख) 1963-64 में प्रतिनियुक्ति कोटे पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में नियुक्ति के लिये इन इन राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों ने उनके कुछ अधिकारियों को की गई पेशकशों से लाभ नहीं उठाया :—

(1) आन्ध्र प्रदेश

(2) मद्रास

(3) केरल

(4) मैसूर

(5) राजस्थान

(6) पश्चिम बंगाल

प्रतिनियुक्ति कोटे पर नियमित नियुक्ति के अतिरिक्त, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में राज्यों के सेवी इंजीनियरों के लिये विशेषित विषयों में छोटी अवधियों के लिये प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं जैसे कि बांध, बड़ी शक्ति के संयंत्र आदि के डिजाइन तथा निर्माण के तरीके। जी हां, 1963–64 में किसी भी राज्य सरकार ने इन सुविधाओं से फायदा नहीं उठाया।

Auction of Confiscated Articles to M.Ps.

26. **Shri Kishan Pattanayak :**
Shri R. Barua :
Shri D. D. Mantri :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a special auction was held exclusively for M. Ps. in December, 1964 to dispose of the articles confiscated by the Customs Department ;

(b) whether it is a fact that the prices charged were much higher than the usual market prices of some of those articles ;

(c) whether any representation or request was made by M.Ps. for it ;

(d) whether the system of special auction would continue ; and

(e) the categories of other officers who would be allowed this facility ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) A retail sale, and not a special auction, of confiscated articles for M.Ps. was arranged by the Customs Department on 24th December, 1964.

(b) The retail prices are fixed slightly below the usual market prices.

(c) No, Sir.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

कृष्णा-गोदावरी जल का उपयोग

27. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा मैसूर राज्य द्वारा पहली, दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं (1964 के अन्त तक) में अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के लिये गोदावरी-कृष्णा का कितना जल प्रयोग किया गया है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इनमें से प्रत्येक राज्य में अब तक कितनी परियोजनाओं की स्वीकृत दी गई है ;

(ग) प्रत्येक राज्य में प्रस्तावित परियोजनाओं के सभी प्रक्रमों के लिये गोदावरी तथा कृष्णा नदियों में कितने जल की आवश्यकता है ; और

(घ) कितनी परियोजनाओं को काम शुरू करने के लिये तकनीकी स्वीकृति दे दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क), (ख) और (घ) महाराष्ट्र, मैसूर और आन्ध्रप्रदेश राज्यों में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय योजनाओं में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई बड़ी तथा मध्यम योजनाओं के लिये कृष्णा तथा गोदावरी नदियों की पद्धति के पानी की आवंटित की गई माता इस प्रकार है :—

कृष्णा नदी प्रणाली

राज्य का नाम	योजना पूर्व परियोजनाओं की संख्या	योजना पूर्व आवंटित जल (टी०एम०सी०)	प्रथम योजना परियोजनाओं की संख्या	प्रथम योजना आवंटित जल (टी०एम०सी०)
1	2	3	4	5
महाराष्ट्र	11	85.04	5	17.65
मैसूर	5	15.91	6	179.23
आन्ध्र प्रदेश . .	7	270.67	6	319.35

राज्य का नाम	द्वितीय योजना परियोजनाओं की संख्या	द्वितीय योजना आवंटित जल (टी०एम०सी०)	तृतीय योजना परियोजनाओं की संख्या	तृतीय योजना आवंटित जल (टी०एम०सी०
	6	7	8	9
महाराष्ट्र	7	101·63	*2	71.40
मैसूर	7	47.86	3	129.75
आन्ध्र प्रदेश	1	19.92	*2	2.47

गोदावरी नदी प्रणाली

1	2	3	4	5	6	7	8	9
महाराष्ट्र	10	35.99	4	8.80	17	86.84	4	41.24
मैसूर	—	—	—	— .	—	—	—	—
आन्ध्र प्रदेश .	8	356.43	*1	16.20	*4	7.67	*1	66.00

*ये शुद्ध विद्युत परियोजनाओं के अतिरिक्त हैं।

विभिन्न राज्यों द्वारा द्वितीय योजना के अन्त तक इस्तेमाल किये गये पानी की मात्रा इस प्रकार है। प्रथम योजना के अन्त अथवा तृतीय योजना (1964 के अन्त तक) के लिये पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

राज्य का नाम	योजना पूर्व (टी० एम० सी०)	द्वितीय योजना के अन्त तक (टी० एम० सी०)
कृष्णा नदी प्रणाली		
महाराष्ट्र	81.00	96.40
मैसूर	78.30	172.60
आन्ध्र प्रदेश . . .	290.10	398.00
गोदावरी नदी प्रणाली		
महाराष्ट्र .	56.0	59.7
मैसूर .	0.2	0.2
आन्ध्र प्रदेश . . .	392.8	405.5

(ग) कृष्णा गोदावरी आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार प्रत्येक राज्य में सभी प्रस्तावित परियोजनाओं के सभी प्रक्रमों के लिये पानी की आवश्यकता इस प्रकार है :—

	कृष्णा (टी० एम० सी०)	गोदावरी (टी० एम० सी०)
महाराष्ट्र	718.4	612.9
मैसूर	1091.5	28.1
आन्ध्र प्रदेश . . .	1892.3	2567.4

[टी० एम० सी०-1000,000,000 क्युबिक फुट]

[आवंटित, इस्तेमाल किये गये अथवा उपयोग के लिये प्रस्तावित जल के आंकड़ों में जलाशय से उड़ जाने वाले जल की मात्रा शामिल नहीं है]

मध्य प्रदेश तथा केरल में केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क से प्राप्त राजस्व

28. **श्री वारियर :**
श्री दाजी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1962-63 और 1963-64 में मध्य प्रदेश तथा केरल राज्य से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है :—

वसूल की गई राशि (.000 रुपयों में)

	1962-63		1963-64	
	मध्य प्रदेश	केरल	मध्य प्रदेश	केरल
सकल	19,13,07	17,88,08	22,04,76	25,04,14
वापस की गई राशि	2,47	65	शून्य	1,51
शुद्ध	19,10,60	17,87,43	22,04,76	25,02,63

भवन तथा नगर आयोजन डिजाइन संगठन

29. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार एक ऐसा भवन तथा नगर आयोजन डिजाइन संगठन बनाने का है जो बड़ा हो और जिसमें उचित रूप में कर्मचारी रखे गये हों ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय वास्तुशिल्पियों तथा इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने के लिए कुछ वर्षों तक कुछ विदेशी विशेषज्ञ नियुक्त किये जायेंगे ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख) एक सुझाव दिया गया है कि एक संस्था, जिसमें शिल्पी और इंजीनियर काम करते हों, स्थापित किया जाना चाहिये। सुझाव पर विचार किया जायेगा।

Opium

30. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on purifying per kilogram of raw opium procured from the producers and the overall price of opium per kilogram inclusive of all incidental charges ;

(b) whether the varying prices are charged for opium exported to different countries ; and

(c) if so, the names of countries to which opium is exported and the prices charged from them ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) The expenditure on purifying raw opium varies from time to time, but during the year 1963-64 it was about Rs. 1.80 per kilogram. The same year the per kilogram cost of opium after including all the consequential expenditure was Rs. 69.03.

(b) Yes, Sir.

(c) The question does not arise.

कोवोर के निकट तापीय संयंत्र

31. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**
श्रीमती रेणु बड़कटकी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावोर के निकट 100 मेगावाट का एक तापीय संयंत्र लगाने का प्रस्ताव सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र के कब तक लग जाने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) अभी नहीं किया गया।

(ख) प्रस्ताव के स्वीकार होने के उपरान्त ही यह प्रश्न उठेगा।

जापान से सहायता

32. श्री विभूति मिश्र :
श्री महेश्वर नायक :
श्री कोया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान ने भारत को दी जाने वाली अपनी सहायता को दुगना करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक किस प्रकार की सहायता दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के अन्तिम वर्ष के लिए जापान से कितनी और किस प्रकार की सहायता मिलेगी, यह विश्व बैंक द्वारा बुलाई जाने वाली भारत सहायता संघ की अगली बैठक के बाद ही मालूम हो सकेगा ।

विद्युत् का संवारण तथा वितरण

33. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत् के संवारण तथा वितरण व्यवस्थाओं की देख भाल तथा उनको सुरक्षित ढंग से चलाने की संहिता की प्रतियां राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) अभी नहीं। संहिता छपने के लिये भेज दी गई है और छापखाने से प्राप्त होने पर प्रतियां राज्य सरकारों को भेज दी जायेंगी ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मकान बनाने के लिए ऋण

34. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में मकान बनाने के लिए ऋण के लिए उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) सरकार ने कितने प्रार्थना-पत्रों को स्वीकार किया है ; और

(ग) उनको उक्त अवधि में अब तक कुल कितना ऋण दिया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) 13

(ख) 6

(ग) 93,250 रुपये ।

उड़ीसा में पीने के पानी का संभरण

35. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) नगरपालिकाओं को सुरक्षित पीने का पानी देने के लिए केन्द्र ने उड़ीसा सरकार को 1964-65 में कितनी धनराशि दी है; और

(ख) उक्त उद्देश्य के लिए उड़ीसा को 1965-66 के लिए कितनी धनराशि देने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) राष्ट्रीय जल सप्लाई और स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत नगरीय जल सप्लाई और जल निःसारण योजनाओं की सहायता के लिए और नगरपालिकाओं की सुरक्षित पीने के पानी की सप्लाई की योजनाओं के लिए राज्य सरकार को वर्ष 1964-65 के दौरान 40 लाख रुपये का ऋण दिया गया था ।

(ख) वर्ष 1965-66 के आवंटन का अभी निर्णय नहीं हुआ है । राज्य सरकार ने 30 लाख रु० का प्रस्ताव किया था ।

श्रव्यतामापी केन्द्र

36. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) उन श्रव्यतामापी केन्द्रों की संख्या क्या है जो सरकार ने 1964-65 में यह जांच करने के लिए भारत में खोले हैं कि बहरापन किस प्रकार का और कैसा है; और

(ख) उक्त अवधि में इस सम्बन्ध में कुल कितना व्यय हुआ है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : विभिन्न राज्यों में श्रव्यतामापी केन्द्र खोलने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है । मांगी गई सूचना अभी उपलब्ध नहीं है और राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है । सूचना प्राप्त होने पर सभा पटल पर रखी जायेगी ।

बल्लेमेला बांध

38. { **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कोरापुट जिले में बल्लेमेला बान्ध परियोजना के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) भवनों तथा संचार व्यवस्था सम्बन्धी कार्य में प्रगति हो रही है। बांधों तथा भित्तियों सम्बन्धी मिट्टी का काम शुरू कर दिया गया है। आवाही कुल्या मार्ग, अवधारक नल सुरंग, बिजली घर और विसर्जनी कुल्या मार्ग के लिए खुदाई में भी प्रगति हो रही है। लगभग समस्त निर्माण सम्बन्धी मशीनें कार्यस्थल पर प्राप्त हो गई हैं। सोवियत गणराज्य संघ से बिजली संयंत्र तथा बिजली का सामान प्राप्त करने के लिए एक समझौता हो गया है।

(ख) इस परियोजना पर मार्च, 1965 तक निम्न व्यय होने की आशा है :—

	(लाख रुपये)
मार्च, 1964 तक व्यय	394.25
1964-65 में अनुमानित व्यय	380.79

अल्प बचत प्रमाणपत्र

39. { **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1964 के अन्त तक दिल्ली में अल्प बचत प्रमाणपत्रों से कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : कुल 2.47 करोड़ रुपये जिस में डाकघर बचत बैंक तथा सावधि संचयी जमा लेखों में जमा रुपये भी सम्मिलित हैं।

पोषाहार गृह

40. { **श्री फ० गो० सेन :**
श्री राम सेवक :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) दिल्ली में कितने पोषाहार गृह खोले गये हैं;

(ख) उनका प्रबन्ध व कार्य किन व्यक्तियों के हाथ में है; और

(ग) इन गृहों को किस उद्देश्य से खोला गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क), (ख) और (ग). स्वास्थ्य मंत्रालय की वैभागिक कैंटीन का पोषाहार गृह के रूप में पुनर्गठन किया गया है और सरकारी कर्मचारियों को पौष्टिक आहार उचित मूल्यों पर सप्लाई करने के उद्देश्य से इस को महिलाओं की खाद्य तथा पोषाहार परिषद् के अभिकरण द्वारा चलाया जा रहा है ।

कुकरे

41. श्री रामपुरे : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में कुकरों का रोग बहुत फैला हुआ है; और

(ख) इस रोग के उन्मूलन के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) चिकित्सा गवेषणा की भारतीय परिषद् द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में अप्रैल, 1961 से जून, 1963 की अवधि में अनियत व्यादर्श के आधार पर किये गये एक परिमाप के अनुसार पहाड़ी ज़िलों में कुकरों के रोग की व्यापकता निम्न दर से पाई गई थी :—

ज़िले का नाम	कुकरे के रोग की कुल व्यापकता (प्रतिशत)
(1) अलमोड़ा	63·6
(2) देहरादून	91·0
(3) नैनीताल	80·9
(4) पौड़ी गढ़वाल	65·1
(5) टिहरी गढ़वाल	35·5

(ख) कुकरे नियंत्रण सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यक्रम को मार्च, 1963 में आरम्भ किया गया था। कुकरे नियंत्रण सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यक्रम के अधीन उत्तर प्रदेश में छः कुकरे नियंत्रण एकक स्थापित किये गये हैं। सरकार उत्तर प्रदेश में इन कुकरे नियंत्रण एककों को चलाने के लिए 100 प्रतिशत सहायता दे रही है। सरकार द्वारा स्थापित किये गये कुकरे नियंत्रण एककों के अतिरिक्त, कुकरे नियंत्रण कार्य एक स्वच्छिक संगठन (अर्थात्, सीतापुर आई अस्पताल, सीतापुर) की अभिकरण द्वारा भी किया जा रहा है जिन को इस प्रयोजन के लिए आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। इस कार्यक्रम को चौथी पंचवर्षीय योजना में और बढ़ाया जा रहा है।

केरल में बिजली की कमी

42. श्री अ० व० राघवन : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में बिजली की भारी कमी का पता है;

(ख) क्या मद्रास तथा मैसूर सरकारें केरल को बिजली देने के लिए सहमत हो गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). मद्रास सरकार केरल को जनवरी से जुलाई, 1965 तक निरन्तर 25 मेगावाट बिजली देने के लिये सहमत हो गई है। केरल सरकार ने मैसूर सरकार को ऐसी सहायता देने के लिए नहीं कहा था।

समुद्र से भूमि के कटाव की रोकथाम

43. **श्री अ० व० राघवन** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में समुद्र द्वारा होने वाले भूमि के कटाव को रोकने के कार्यों के लिए केन्द्र वित्त की व्यवस्था करने के लिए तैयार हो गया है;

(ख) यदि हां, तो 1965-66 में कार्यान्वित किये जाने के लिये कौन-सी योजनायें स्वीकार की गई हैं; और

(ग) इस योजना के लिए राज्यवार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) केन्द्र समुद्र द्वारा होने वाले भूमि कटाव को रोकने के कार्यों के लिये सहायतार्थ ऋण देता रहा है।

(ख) और (ग). केरल सरकार समुद्र द्वारा होने वाले भूमि कटाव को रोकने के लिए 1965-66 में 80 लाख रुपये व्यय करना चाहती है। कार्यकारी दल ने, जिस ने उनके वार्षिक योजना सम्बन्धी प्रस्तावों पर चर्चा की है, इस व्यवस्था के लिए सिफारिश की है। किसी अन्य राज्य ने 1965-66 में क्रियान्विति के लिये समुद्र द्वारा होने वाले भूमि कटाव को रोकने के लिए कोई योजना प्रस्तुत नहीं की है।

स्थगन प्रस्ताव

MOTION FOR ADJOURNMENT

भारत के नागरिकों को संभालने में सरकार की असफलता

अध्यक्ष महोदय : मुझे कई स्थगन प्रस्तावों की पूर्वसूचना मिली है। इन सब प्रस्तावों में श्री हो० ना० मुकर्जी की पूर्वसूचना बहुत स्पष्ट है। मैं उनसे प्रस्ताव पेश करने के लिए सभा की अनुमति मांगने के लिए कहता हूं।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आप प्रस्ताव का पाठ पढ़ दीजिये।

श्री नाथपाई (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, आप हमारे प्रस्तावों के पाठ भी पढ़ दीजिये।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, आप कृपया हम सभी लोगों द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल श्री मुकर्जी द्वारा दिया गया प्रस्ताव पढ़ूंगा । इसमें कहा गया है :—

"भाषा के मामले को संभालने में सरकार की पूर्ण असफलता जिसके फलस्वरूप भारत के कई भागों में सर्वव्यापक असन्तोष तथा आन्दोलन उत्पन्न हो गया जिससे जीवन तथा सम्पत्ति की बहुत अधिक क्षति हुई और पुलिस तथा सेना द्वारा अकारण गोली चलाये जाने के कारण बहुत संख्या में लोग मारे गये।"

अब मैं श्री मुकर्जी से सभा की अनुमति मांगने के लिये कहूंगा ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उक्त स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस प्रस्ताव पर अनुमति दिये जाने के बारे में किसी सदस्य को आपत्ति है ?

कई माननीय सदस्य : जी, हां ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे सभा के मतदान के लिए रखता हूं । वे सदस्य जो इस स्थगन प्रस्ताव को अनुमति दिये जाने के पक्ष में हैं अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जायें । चूंकि खड़े होने वाले सदस्यों की संख्या 50 से अधिक है इसलिए अनुमति दी जाती है । इस स्थगन प्रस्ताव को 4 बजे म० प० लिया जायेगा ।

एक माननीय सदस्य : इस प्रस्ताव के लिये कितना समय नियत किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : ढाई घंटे का समय ।

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : विषय के महत्व तथा देश में व्याप्त स्थिति को दृष्टि में रखते हुए मैं अनुरोध करता हूं कि इसके लिये समय सीमा बढ़ा कर एक पूरा दिन नियत कर दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं कर सकता । यदि सदन की इच्छा हो तो वह कुछ और देर तक बैठ सकता है किन्तु इसके लिये और कोई दिन नहीं दिया जा सकता है ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I had given a notice regarding Call Attention but there is no mention about any Calling Attention Notice in the Order Paper today.

Mr. Speaker : The hon. Member will just now receive an information about it, if he has not already received it.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

पीकिंग-समर्थक साम्यवादियों द्वारा राष्ट्र-विरोधी कार्यवाहियां

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं पीकिंग समर्थक साम्यवादियों की राष्ट्र-विरोधी कार्यवाहियों और तोड़-फोड़ तथा हिंसात्मक कार्यवाही के लिए उनकी तैयारियों सम्बन्धी एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3763/65]**

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : अध्यक्ष महोदय, इस दस्तावेज के महत्व को देखते हुये मैं अनुरोध करता हूं कि आप प्रक्रिया के नियम 382 के अन्तर्गत इसे देश की विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित करवा दें, ताकि इसका वितरण तथा विक्रय हो सके और देश के नागरिकों को यह दस्तावेज उपलब्ध हो सके ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा की यह राय है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां ?

अध्यक्ष महोदय : तब मैं विभिन्न भाषाओं में इसका मुद्रण तथा प्रकाशन किये जाने की अनुमति देता हूं जिससे कि जनता में इसका वितरण हो सके ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस दस्तावेज को पढ़ सके ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरा अनुरोध है कि इस दस्तावेज को पूरा अथवा संक्षिप्त रूप में सभा में पढ़ा जाये ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं । यह सभा पटल पर पहिले ही रखा गया है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : साम्यवादी दल (पीकिंग समर्थक) संसद् में मान्यता-प्राप्त एक दल है । किन्तु इस सिलसिले में लगातार कुछ ऐसी घटनायें होती रही हैं जिनसे देश में द्वेष की भावना उत्पन्न होती है । तथापि इस बात की सच्चाई मालूम करना हमारे लिये अति आवश्यक है । केवल इस दस्तावेज के नाम पर ही मैं इसकी सच्चाई मानने के लिये तैयार नहीं हूं । अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि श्री नन्दा जी द्वारा सभा पटल पर रखे गये इस दस्तावेज पर इस सदन में पूरी चर्चा किये जाने का अवसर दिया जाये ताकि तथ्य की वास्तविकता प्रकाश में आ सके ।

Mr. Speaker : The demand for a full dress discussion on the matter appears to be justified. Anybody feeling like that, and desiring to have a discussion, might give a proper notice. If I receive any notice, I will consider it.

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : चूंकि श्री मुकर्जी ने इस पर बहुत जोरों से आपत्ति की है अतः मेरा अनुरोध है कि सभा की अनुमति लेकर इस दस्तावेज को सभा में पढ़ा जाये ।

अध्यक्ष महोदय : 50 पृष्ठ का यह दस्तावेज सभा में नहीं पढ़ा जा सकता ।

Shri Mani Ram Bagri (Hissar) : Sir, on a point of order. It has been a practice in the House that whenever the attention of a Minister is called, every Member who has signed the Calling Attention Notice is given an opportunity to ask a supplementary after the Statement is made by the Minister concerned thereon. Today's Notices were also connected with the document which has laid on the Table. The notices were regarding arrest of Communists. In the light of the above fact, at least these members may be allowed to put one question each who had signed these Notices.

Mr. Speaker : I will certainly give them opportunity to ask questions if I do not receive any Notice demanding a discussion on the matter or if a discussion is not held in this connection.

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : Sir, If any notice demanding a discussion on the matter is accepted, then the time allotted for it would hardly exceed two hours. I would, therefore, like to make a submission through you to the Government that they should take an initiative in the matter in order to enable this House to have a full dress discussion so that the truth of the matter may come to light.

Shri U. M.Trivedi : Sir,a document consisting of 50 pages has been laid on the Table which has not been read to the House. The Government should give an opportunity to us to have a discussion on the subject so that we may know the truth about the matter. Government should also take into consideration the fact that we are not happy with those who are traitors to the country, whosoever they might be.

Shri Prakashvir Shastri (Bijnor) : Sir, I would like to invite your attention to a mistake committed by the Government. The hon. Home Minister, Shri Nanda has just now stated that the document which has been laid on the Table is connected with the anti-national activities of Pro-Peking Communists I submit that there is no difference between, the Pro-Peking and Pro-Moscow Communists and they are one and the same. It is only circumstances which have separated them.

It is, therefore, not proper on the part of the Home Minister to classify these Communists in two groups. This policy of dividing them is wrong in principle and practice.

Mr. Speaker : The hon. Member need not discuss.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह-कार्य मन्त्री जी से एक बात स्पष्ट रूप से मालूम करना चाहता हूं कि जब इन साम्यवादियों के विरुद्ध इतने अधिक अभियोग हैं तो क्यों उनके विरुद्ध न्यायालय में मामला दर्ज नहीं किया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक बिल्कुल अलग बात है ।

श्री हेम बरुग्रा : गृह-कार्य मन्त्री महोदय ने केवल एक वक्तव्य ही सभा पटल पर रखा है जिससे कि उद्देश्य हल नहीं होता है । अतः उन्हें एक श्वत-पत्र रखना चाहिये जिसमें सम्बन्धित सभी पत्र तथा दस्तावेज शामिल हों ।

समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्री (श्री कृष्णमाचारी) : मैं समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) दिनांक, 19 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1800 में प्रकाशित समवाय न्यायाधिकरण (अपील) नियम, 1964 ।

(दो) दिनांक 16 जनवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 97 में प्रकाशित समवाय (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम तथा प्रपत्र (संशोधन) नियम, 1965 ।

[पुस्तकालय में रखी गईं । देखिये संख्या एल० टी०—3765/65]

भारतीय तेल निगम का वार्षिक प्रतिवेदन—लेखा परीक्षित लेखे आदि

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : मैं श्री हुमायूं कबीर की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(3) (एक) समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अंतर्गत इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई की वर्ष 1963–64 की वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखा-परीक्षित लेखे तथा उनपर नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(दो) उपरोक्त कारपोरेशन के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा

[पुस्तकालय में रखी गईं। देखिये संख्या एल० टी०—3766/65]

खाद्य अपमिश्रण (तीसरा संशोधन) नियम

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : मैं डा० सुशीला नायर की ओर से खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत दिनांक 31 अक्तूबर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1589 में प्रकाशित खाद्य अपमिश्रण रोक (तीसरा संशोधन) नियम, 1964 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०—3766/65]**

दिवाला सम्बन्धी विधियों के सम्बन्ध में विधि आयोग का छब्बीसवां प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : मैं श्री जगन्नाथ राव की ओर से दिवाला सम्बन्धी विधियों के बारे में विधि आयोग का छब्बीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—3767/65]**

सीमा-शुल्क के अन्तर्गत आयात जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, आयात जोखिम (कारखाने) अधिनियम, सम्पदा-शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, आय-कर (संशोधन) नियम और जीवन-बीमा निगम के लेखा परीक्षित लेखों की अधिसूचना

श्री रामेश्वर साहू : मैं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 को धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं जिनके द्वारा सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, 1960 में कुछ और संशोधन किये गये हैं, की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) दिनांक, 19 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1801

(दो) दिनांक 19 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1802।

[पुस्तकालय में रखीं गईं। देखिये संख्या एल० टी०—3768/65]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 14 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1732

(दो) दिनांक 14 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1783

(तीन) दिनांक 14 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1784

(चार) दिनांक 14 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1785

(पांच) दिनांक 19 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1803 में प्रकाशित परिवर्तित स्पिरिट (सुनिश्चित तथा निर्धारित करना) संशोधन नियम, 1964

(छः) दिनांक 26 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1827

(सात) दिनांक 23 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1841

(आठ) दिनांक 30 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1853

(नौ) दिनांक 30 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1854

(दस) दिनांक 30 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1855

(ग्यारह) दिनांक 30 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1856

(बारह) दिनांक 30 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1857

(तेरह) दिनांक 1 जनवरी, 1965 की जी० एस० आर० 33

(चौदह) दिनांक 1 जनवरी, 1965 की जी० एस० आर० 34

(पन्द्रह) दिनांक 1 जनवरी, 1965 की जी० एस० आर० 35

(सोलह) दिनांक 1 जनवरी, 1965 की जी० एस० आर० 36

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—3769/65]

आपात जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, 1962 की धारा 5 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 28 दिसम्बर, 1964 का एस० ओ० 4389

(दो) दिनांक 28 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4391 में प्रकाशित आपात जोखिम (माल) बीमा (चौथा संशोधन) योजना, 1964।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—3770/65]

आपात जोखिम (कारखाने) बीमा अधिनियम, 1962 की धारा 3 की उप-धारा (7) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 28 दिसम्बर, 1964 का एस० ओ० 4390

(दो) दिनांक 28 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4392 में प्रकाशित आपात जोखिम (कारखाने) बीमा (चौथा संशोधन) योजना, 1964

(पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—3771/65)

सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 की धारा 85 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 17 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1810 में प्रकाशित, सम्पदा शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 1964 की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—3772/65]**

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत, दिनांक 5 जनवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 169 में प्रकाशित आय-कर (संशोधन) नियम, 1965 की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—3773/65]**

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अन्तर्गत, दिनांक 31 मार्च, 1964 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के जीवन बीमा निगम की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति लेखा-परीक्षित लेखे सहित। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—3774/65]**

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सूचना देनी है :—

"मुझे लोक-सभा को सूचित करने का निदेश मिला है कि राज्य सभा ने अपनी 17 फरवरी, 1965 की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया है कि बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1964 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को पेश करने का समय बढ़ा दिया जाये :—

प्रस्ताव

"कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को पेश करने का समय राज्य-सभा के तिरेपनवें अधिवेशन के पहिले दिन तक बढ़ा दिया जाये।"

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

पचपनवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का पचपनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

पी० एल० ४८० के अन्तर्गत अनाज से लदे हुए जहाजों के आगमन के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: PL 480 FOOD SHIPMENT ARRIVALS

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): संयुक्त राज्य अमरीका के पूर्वी तट के और खाड़ी के बन्दरगाहों में जहाज से माल उतारने और लादने वाले मजदूरों की जो हड़ताल 11

[श्री चि० सुब्रह्मण्यम]

जनवरी, 1965 से चल रही है उसके कारण भारत को पी० एल० 480 के अन्तर्गत गेहूं आने में बाधा पड़ी है । यद्यपि पूर्वी तट के कुछ बन्दरगाहों में हड़ताल समाप्त कर दी गई है परन्तु खाड़ी के बन्दरगाहों में जहां से हमारे देश को अधिकांश गेहूं भेजा जाता है, हड़ताल अभी जारी है । परिणामस्वरूप गेहूं की आमद में खास कर मार्च के महीने में कमी होगी । अमरीका सरकार को हमारी कठिनाइयों का ध्यान है और उन्होंने हमारी सहायता करने के लिये जहां तक हो सका है ऐसे बन्दरगाहों से गेहूं भेजने का प्रबन्ध किया जहां हड़ताल नहीं है, इसके अलावा पी० एल० 480 के अन्तर्गत दूसरे देशों को जो गेहूं भेजा जाता है उसे भी उन्होंने भारत भेजने को कहा है । इसी दिशा में कोशिश हो रही है । इसी बीच विदेशी मुद्रा की कठिनाई के बावजूद सरकार ने आस्ट्रेलिया से और गेहूं खरीदा है तथा आस्ट्रेलिया और अन्य देशों की सरकार से बातचीत की है जिससे और गेहूं खरीदा जा सके जिसका दाम धीमे धीमे बाद में दिया जाय । मुझे प्रसन्नता है कि आस्ट्रेलिया सरकार ने हमें बिना शर्त 150,000 टन गेहूं का उपहार दिया है और ज्योंही जहाज का इन्तजाम हो जायेगा ये गेहूं भारत रवाना कर दिया जायगा । भारत सरकार की ओर से इस कठिन समय पर ऐसी तुरन्त सहायता देने के लिए मैं आस्ट्रेलिया सरकार को धन्यबाद देता हूं । इस गेहू के आजाने से हमें आशा है कि मार्च के महीने में हमारी गेहूं की आवश्यकता पूरी हो जायेगी । हमारी गेहूं की फसल बहुत अच्छी होने की आशा है । यह भी आशा है कि अमरीका की खाड़ी के बन्दरगाहों की हड़ताल भी जल्दी ही खत्म हो जाएगी और शीघ्र ही हमारे पास गेहू का काफी भन्डार हो जाएगा ।

मंत्रियों के त्याग पत्र के बारे में

Re : RESIGNATION OF MINISTERS

श्री नाथ पाई (राजापुर) : यह एक साधारण सा संसदीय कायदा है कि जब कोई मंत्री त्यागपत्र देता है तो वह संसद् को बताता है कि उसने त्यागपत्र क्यों दिया है । श्री सुब्रह्मण्यम को बताना चाहिए कि उन्होंने क्यों त्यागपत्र दिया ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अध्ययन करके बताऊंगा कि इस मामले में स्थिति क्या है ।

रेलवे आय-व्ययक, 1965-66

RAILWAY BUDGET 1965-66

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : मैं 1965-66 का रेलवे आय-व्ययक प्रस्तुत करने के लिये खड़ा हूं ।

यह प्रथम बजट है जो कि देश के प्रिय नेता श्री जवाहरलाल जी की अनुपस्थिति में प्रस्तुत किया जा रहा है । जितने भी देश में उपक्रम हैं सबने विकास की ओर पग उठाया है, उसी तरह रेलवे की योजनाओं के कार्यक्रमों से लाभ हुआ है । अब मैं आय-व्ययक प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं 1965–66 का रेलवे आय-व्ययक प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हूं।

1963–64 का लेखा

1963–64 के वित्तीय परिणाम

2. सबसे पहले मैं अन्तिम वर्ष 1963–64 के वित्तीय परिणामों की रूप-रेखा बताऊंगा जिसका सम्पूर्ण लेखा जोखा उपलब्ध है। संशोधित अनुमान की तुलना में इस वर्ष के वित्तीय परिणाम कुछ अच्छे निकले। यात्री यातायात की आमदनी में 5 करोड़ रुपये से अधिक और माल-यातायात की आमदनी में 3.5 करोड़ रुपये से अधिक वृद्धि हुई। इसके अलावा निलम्बित लेखे में 1.3 करोड़ रुपये की कमी हुई और इस प्रकार संशोधित अनुमान की तुलना में यातायात से कुल प्राप्ति लगभग 10 करोड़ रुपये या 1.6 प्रतिशत अधिक रही। संचालन व्यय में 1.2 करोड़ रुपये या लगभग $\frac{1}{4}$ प्रतिशत की उपान्तिक बचत और राजस्व लेखे से किये जाने वाले निर्माण कार्यों पर लगभग 1 करोड़ की बचत हुई। लेकिन सामान्य राजस्व को दिये गये लाभांश में इतनी ही वृद्धि के कारण बचत वस्तुतः संतुलित हो गयी। परिणामस्वरूप इस वर्ष के संचालन में 49.24 करोड़ की बचत हुई जबकि बचत का संशोधित अनुमान 37.75 करोड़ रुपये रखा गया था। बचत की रकम विकास निधि में जमा कर दी गई।

1964–65 के संशोधित अनुमान

कुल यातायात प्राप्ति, 1964–65

3. रेलें इस बात पर संतोष कर सकती हैं कि चालू वर्ष में माल-यातायात के लिए जितने डिब्बों की जरूरत हुई उसे पूरा करने के साथ साथ वे काफी तादाद में नयी सवारी गाड़ियां भी चला सकीं हैं। परिवहन-क्षमता बढ़ाने के लिये जो रकम लगायी गयी और जो उपाय किये गये, उनके परिणामस्वरूप इस दिशा में आशा के अनुरूप वृद्धि हुई है। पिछले साल का बजट पेश करते समय तत्कालीन रेल मंत्री ने कहा था कि 1963–64 की तुलना में रेलें 1964–65 में 70 लाख मीटरिक टन अधिक माल ढोने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन अभी दृढ़ता के साथ यह नहीं कहा जा सकता कि अतिरिक्त यातायात उस मात्रा तक बढ़ेगा या नहीं। बाद की घटनाओं ने सिद्ध कर दिया कि उन का सन्देह ठीक ही था। 1963-64 के अन्त में कोयले की मांग में जो गिरावट शुरू हुई थी, वह चालू वर्ष में भी जारी रही। अंशतः इससे यह परिलक्षित होता है कि सभी वर्ग के रेल उपयोगकर्त्ताओं में यह विश्वास बढ़ रहा है कि उन्हें जितने कोयले की आवश्यकता होगी, रेलें उसे ढो सकती हैं। इसके अलावा उनमें यह प्रवृत्ति भी दिखायी पड़ी है कि वे कम स्टाक से भी काम चलाने को तैयार हैं। पिछले वर्ष के पहले नौ महीनों की तुलना में इस वर्ष इसी अवधि में कोयले का यातायात लगभग 25 लाख मीटरिक टन कम रहा और इस्पात कारखानों के लिये कच्चे माल की यातायात में भी गिरावट आयी। इस अवधि में इस्पात के उत्पादन की संस्थापित क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई। निर्यात खनिज में 10 लाख मीटरिक टन वृद्धि की आशा थी, लेकिन वास्तव में खनिज निर्यात में केवल एक चौथाई वृद्धि हुई। अन्य उपार्जक यातायात में दिसम्बर तक लगभग 15 लाख मीटरिक टन की वृद्धि हुई, जो प्रायः औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर के अनुरूप थी, लेकिन इस वर्ष के लिए 50 लाख अतिरिक्त मीटरिक टन का जो अन्दाज लगाया गया था, उससे यह वृद्धि बहुत कम है। पिछले कुछ हफ्तों में यातायात में वृद्धि के संकेत दिखायी पड़े हैं, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक से अधिक लगभग केवल 30 लाख मीटरिक टन वृद्धि की संभावना है। इन परिस्थितियों में ऐसा जान पड़ता है कि बजट में माल यातायात से 432 करोड़ रुपये आमदनी का जो अनुमान है, उसमें लग-

भग 25 करोड़ रुपये की कमी होगी । लेकिन यात्री यातायात की आमदनी में भारी वृद्धि के फलस्वरूप माल यातायात की आमदनी का घाटा बहुत कुछ पूरा हो जाता है । यात्री यातायात से लगभग 200 करोड़ रुपये की आमदनी की संभावना है जबकि इसका बजट अनुमान 184 करोड़ रुपये है । अन्य कोचिंग यातायात और फुटकर मदों से प्रायः बजट अनुमान के अनुरूप आमदनी होने की आशा है । इस प्रकार यातायात से कुल प्राप्ति का अनुमान अब 660 करोड़ रुपये रखा जा रहा है, जो बजट से 8 करोड़ रुपये या लगभग $1\frac{1}{4}$ प्रतिशत कम है ।

संचालन व्यय, 1964–65

4. दूसरी ओर संचालन व्यय में 18.00 करोड़ रुपये की अनिवार्य वृद्धि हुई है जिसके फल–स्वरूप 414.68 करोड़ रुपये के बजट की तुलना में इसका अनुमान अब 432.68 करोड़ रुपये लगाया गया है । संचालन–व्यय में यह वृद्धि प्रायः कर्मचारियों की लागत बढ़ जाने के कारण है । बजट के बाद मंहगाई भत्ते में दो बार संशोधन हुआ––एक बार मई, 1964 में जो फरवरी, 1964 से लागू हुआ और फिर पिछले महीने, जो अक्तूबर, 1964 से लागू हुआ । मंहगाई भत्ते में ये दोनों संशोधन केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के समान रेल कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं । चालू वर्ष में साधारण संचालन व्यय पर इस संशोधन का प्रभाव क्रमशः 6.58 करोड़ रुपये और 8.2 करोड़ रुपये है। बजट के बाद केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारियों के बच्चों की स्कूल फीस की प्रतिपूर्ति की जो योजना बनाई है उससे सम्बन्धित खर्च को मिलाकर केवल इस वर्ष इन मदों पर 16 करोड़ रुपये की लागत आती है । इसके अलावा रनिंग, मील और समयोपरि भत्तों की दरों में किये गये संशोधन के कारण 1.44 करोड़ का खर्च बढ़ा है । निर्वाह–निधि और उपदानों में सरकारी अंश–दान की रकम भी बढ़ गयी है, क्योंकि जितनी आशा की जाती थी, उससे कम कर्मचारियों ने नये उदारीकृत पेंशन-योजना को अपनाया । कुछ अन्य फुटकर मदों में भी खर्च बढ़ गया है । संचालन व्यय में कुल मिलाकर कर्मचारियों की लागत लगभग 19 करोड़ रुपये बढ़ गयी है । इस वर्ष कोयले की लागत में चार बार वृद्धि हुई है । कोयले पर बिक्री कर और उत्पादन कर को लेकर इस मद में 1.19 करोड़ रुपये अधिक खर्च हुए । बिजली गाड़ियों के लिए बिजली की दर में कुछ समय पहले किये गये संशोधन के कारण और कुछ दूसरी छोटी मदों में लगभग 34 लाख रुपये अतिरिक्त खर्च हुए । इसके अलावा रेल–पथ की सुरक्षा के लिए किये गये सिविल इंजीनियरिंग के काम, पाम्बन पुल को फिर से चालू करने, टेलीग्राफ और टेलीफोन के तारों के किराये के हिसाब में संशोधित दर पर डाक और तार विभाग को 1.5 करोड़ रुपये के लेखा–भुगतान और कुछ दूसरी फुटकर मदों में भी खर्च बढ़ा । लेकिन खर्च घटाने के लिए किये गये उपायों और प्रत्याशित स्तर से कम यातायात के कारण खर्च में जो कमी हुई, उससे ऊपर बतायी गयी वृद्धियां संतुलित हो गयीं । लेकिन इस घट–बढ़ के परिणामस्वरूप संचालन व्यय 18.00 करोड़ रुपये बढ़ गया है जिसके लिए पूरक मांगें पेश की जा रही हैं ।

अन्य प्रभार और बचत, 1964–65

5. इसके अतिरिक्त दो और परिवर्तन हुए हैं जिनसे वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है । विविध व्यय के अन्तर्गत चालू लाइन निर्माण (राजस्व) खाते में 1.5 करोड़ की कमी की गयी है । पेंशन योजना अपनाने वाले कर्मचारियों के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जीवनांकिक गणना के आधार पर राजस्व लेखे से पेंशन निधि में विनियोग की रकम 19 करोड़ रुपये से घटा कर 11.6 करोड़ कर दी गयी है । लेकिन सामान्य राजस्व को देय लाभांश में 1.3 करोड़ की वृद्धि हुई है, क्योंकि प्रत्याशित

खर्च की तुलना में पिछले वर्ष पूंजीगत खर्च बढ़ गया है। इन सभी परिवर्तनों के परिणामस्वरूप बचत 30.87 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से घटकर 12.4 करोड़ रुपये रह गयी है।

निर्माण-व्यय, 1964–65

6. इस वर्ष निर्माण कार्यों पर बजट में 370 करोड़ की व्यवस्था की गयी थी, और यह विचार था कि यदि खर्च में प्रगति के आधार पर उचित प्रतीत हुआ, तो इस मद में 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था करके इसे 380 करोड़ रुपये कर दिया जायेगा। लेकिन बढ़ती हुई कीमतों के सन्दर्भ में पिछले वायदों का ध्यान रखते हुए सरकारी खर्च घटाने के लिए यथा सम्भव पूरा प्रयास किया गया है। अब चालू वर्षमें निर्माण-कार्य और दूसरे पूंजीगत व्यय के लिए 15 करोड़ कम,अर्थात् 365 करोड़ की रकम निर्धारित की गयी है। बजट में निर्माण कार्यों के लिए जितने पूंजीगत व्यय की व्यवस्था की गयी है, उसकी तुलना में भी इस वर्ष इस मद में कुल 5 करोड़ रुपये कम खर्च होने की सम्भावना है।

परिचालन कुशलता

7. हाल के वर्षों में कर्मचारियों, पूंजीगत उपस्करों और भंडार पर जितना खर्च बढ़ा है, वह बहुत कुछ संचालन-कुशलता में वृद्धि के फलस्वरूप पूरा हो गया है। उदाहरण के लिए, रेल कारखानों में प्रोत्साहन-योजना शुरू करने के साथ-साथ कर्मचारियों को बोनस के रूप में जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसके फलस्वरूप मानक मरम्मत कार्य के लिए पहले जितने कर्मचारियों की ज़रूरत होती थी, उतने कर्मचारियों की ज़रूरत अब नहीं है और मरम्मत की लागत भी घट गयी है। कर्मचारियों की भर्ती पर कड़ा नियन्त्रण रखने, संगठन में सुधार, प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण और बड़े-बड़े कारखानों में प्रोत्साहन-योजना के क्रमिक विस्तार के फलस्वरूप-मरम्मत के काम पर लगाये गये कर्मचारियों की संख्या घट गयी है। इन कारखानों में मरम्मत आदि के काम पर 1957–58 में 116 हजार कर्मचारी लगाये गये थे, जबकि 1963–64 में इनकी संख्या घट कर 99,900 रह गयी। इस प्रकार कर्मचारियों की संख्या में 13.9 प्रतिशत कमी हुई, जबकि मरम्मत का काम कुल 22.6 प्रतिशत बढ़ा है।

चल-स्टाक का उपयोग

8. परिचालन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। 1950–51 में प्रतिदिन दस लाख शुद्ध मीटरिक टन किलोमीटर माल ढोने के लिए डब्ल्यू० जी० मानक रेल इंजनों के हिसाब से 25 इंजनों की ज़रूरत होती थी। इंजनों के अधिक उपयोग के फलस्वरूप 1963–64 में इतने ही माल की ढुलाई के लिए केवल 20 इंजनों का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह मीटर लाइन पर प्रतिदिन 10 लाख शुद्ध मीटरिक टन किलोमीटर माल की ढुलाई के लिए 1950-51 में वाई० जी० भाप इंजनों के हिसाब से, 65 इंजनों की ज़रूरत पड़ती थी। जबकि 1963–64 में इतने ही माल के लिए केवल 42 इंजनों का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह माल डिब्बों के उपयोग में भी सुधार हुआ है। 1950–51 में बड़ी लाइन पर प्रतिदिन दस लाख शुद्ध मीटरिक टन किलोमीटर माल ढोने के लिए 22 टन क्षमता वाले 1402 माल डिब्बे इस्तेमाल किये गये थे जबकि 1963–64 में उतने ही माल के लिए 1018 माल डिब्बों का इस्तेमाल किया गया। उसी काम के लिए मीटर लाइन पर 14.6 मीटरिक टन क्षमता वाले डिब्बों के हिसाब से 1950–51 में 2771 माल डिब्बों की ज़रूरत होती थी जबकि 1963–64 में इतने ही माल की ढुलाई के लिए केवल 2053 डिब्बों से काम लिया गया। दूसरे शब्दों में माल डिब्बों के उपयोग में 36 प्रतिशत से अधिक सुधार हुआ है जिसके परिणामस्वरूप यातायात क्षमता में दुगुनी वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त पूंजीगत लागत में बहुत अधिक बचत हुई है।

2426 (Ai) LS—6.

9. यातायात सम्बन्धी लेखा रखने और आंकड़े संकलित करने के काम में जितने कर्मचारी अभी कुछ समय तक लगे हुए थे, यातायात में वृद्धि के कारण प्राय: उसी समानुपात में इन कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ानी पड़ती। लेकिन आंकड़े संकलित करने के लिए जो यांत्रिक प्रणाली अपनायी गयी है और यातायात सम्बन्धी लेखा कार्यविधि को युक्तियुक्त बनाया गया है, उसके परिणामस्वरूप न केवल अधिक आंकड़े संकलन करना सम्भव हो सका है, बल्कि चौथी योजना में यातायात की सम्भावित भारी वृद्धि के प्रसंग में लेखा रखने और आंकड़े संकलन करने का जो अतिरिक्त काम होगा, उसके सम्हालने की भी व्यवस्था हो गयी है और इस प्रयोजन के लिए अब कर्मचारियों और उपस्करों में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं होगी।

10. रेलें अपनी गतिविधियों के अन्य क्षेत्रों में, जहां बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी रखे जाते हैं, प्रोत्साहन-योजना लागू करने की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है। रेलों के सामने जो कठिन काम है, उन्हें पूरा करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है, क्योंकि कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि मात्र से यह समस्या हल नहीं होती। प्रोत्साहन योजनाओं के फलस्वरूप रेल प्रशासन लागत पर नियन्त्रण रख सकेंगे और साथ ही प्रोत्साहन के रूप में कर्मचारियों को अधिक रकम भी मिलेगी। लेकिन नयी कार्य-प्रणालियों को अपनाकर खर्च में केवल धीरे-धीरे कमी की जा सकती है। लेकिन इधर कुछ वर्षों से लागतों में जो भारी वृद्धि हुई है, उसे नयी प्रणालियों के आधार पर पूरा नहीं किया जा सकता।

रेलवे आयोजना की प्रगति

11. यद्यपि आसन्न परिस्थितियों के सन्दर्भ में चालू वर्ष में पूंजीगत व्यय कुछ कम कर दिया गया है, फिर भी आगामी वर्ष और यथासमय अगली आयोजना की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से लाइन-क्षमता बढ़ाने के कार्यक्रम की प्रगति जारी है। इसी प्रकार असम मार्ग और दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास को मिलाने वाली व्यस्त लाइनों की क्षमता भी बढ़ायी जा रही है। यद्यपि ये लाइनें भारतीय रेलों के कुल मार्ग किलोमीटर का केवल 14.4 प्रतिशत हैं, फिर भी इन लाइनों पर अधिकतम यातायात होता है। आपात के सन्दर्भ में असम में रेल परिवहन की क्षमता बढ़ाने के लिए जो विनिश्चय किया गया था, उसके अनुसार सिलीगुड़ी और हल्दीवाड़ी के बीच का खण्ड बड़ी लाइन में बदल कर यातयात के लिए खोल दिया गया है और आशा है कि जोगीघोपा तक जो बड़ी लाइन बनायी जा रही है, वह इस वर्ष के मध्य तक बन कर तैयार हो जायेगी। फरक्का और खजुरिया घाट के बीच फेरी की वर्तमान क्षमता बड़ी लाइन के 200 माल डिब्बों की है; वर्ष के मध्य में यह बढ़ कर दुगुनी हो जायेगी। सेंथिया और बड़हरवा के बीच साहिबगंज लूप पर दोहरी लाइन बिछाने के काम में अच्छी प्रगति हुई है। इस प्रकार असम मार्ग की लाइन-क्षमता बहुत बढ़ जायेगी। इससे बरौनी और कटिहार के रास्ते असम के लिए समूची मीटर लाइन पर भी यातायात सुगम हो जायेगा, विशेषरूप से उस समय जबकि बोंगाईगांव और चंगसारी के बीच केन्द्रीकृत यातायात नियन्त्रण प्रणाली (जिस पर काम शुरू किया जा रहा है) चालू हो जायेगी। नार्थ लखीमपुर और मुरकांगसेलेक के बीच की लाइन गोगामुख तक यातायात के लिए खोल दी गयी है और आशा है कि बाकी 114 किलोमीटर लाइन दो चरणों में मार्च 1966 तक पूरी हो जायेगी।

ग्रैंड ट्रंक मार्ग

21,80 किलोमीटर लम्बे दिल्ली-मद्रास ग्रैंड ट्रंक मार्ग में दोहरी लाइन वाले खंड 531 किलो-मीटर से बढ़ कर 800 किलोमीटर से अधिक हो गये हैं और चौथी आयोजना के मध्य तक इस मार्ग पर 200 किलोमीटर और दोहरी लाइन बिछाने की मंजूरी दी जा चुकी है। इस मार्ग पर आग और दोहरी

लाइन बिछाने के प्रस्ताव तयार किये जा रहे हैं। आगरा और मथुरा के बीच 54 किलोमीटर इकहरी लाइन पर दोहरी लाइन बिछाने का काम बजट में शामिल कर लिया गया है। पेंच, चांदा, सिंगरेनी कोयला क्षेत्रों के विकास के फलस्वरूप इस मार्ग पर यातायात बढ़ेगा और उसे सम्हालने के लिए इस मार्ग पर डीजल रेल इंजन से गाड़ियां चलायी जायेंगी और इटारसी में 95 लाख रुपये की लागत से एक बड़ा डीज़ल शेड बनाने की योजना तैयार की जा रही है।

दिल्ली-बम्बई मार्ग

पश्चिम रेलवे का दिल्ली-बम्बई मार्ग 1390 किलोमीटर लम्बा है। इस समय इस पर 745 किलोमीटर दोहरी लाइन है। इसके अलावा 212 किलोमीटर में दोहरी लाइन बिछाने की मंजूरी दी गयी है इस तरह इस मार्ग पर केवल 433 किलोमीटर इकहरी लाइन रह जायेगी और इस पर दोहरी लाइन तब बिछायी जायेगी जब यातायात की वृद्धि को देखते हुए ऐसा करना आवश्यक हो। मध्य रेलवे में दिल्ली और बम्बई के बीच कई लम्बे खण्डों पर ग्रैंड ट्रंक मार्ग के अंग के रूप में दोहरी लाइन बिछायी जा रही है। इगतपुरी और भुसावल के बीच 1967–68 तक बिजली लाइन बना दिये जाने की आशा है। आगरा, इटारसी, भुसावल और कल्याण में यार्डों की क्षमता भी बढ़ायी जा रही है।

दिल्ली-कलकत्ता मार्ग

गाज़ियाबाद और टूंडला खण्ड पर दोहरी लाइन बिछायी जा रही है। इस खण्ड पर दोहरी लाइन बिछाये जाने के बाद लगभग 1966 के अन्त तक दिल्ली से हावड़ा तक समूची लाइन दोहरी लाइन हो जायेगी। दुर्गापुर और मुगलसराय के बीच बिजली गाड़ियां चलायी जा रही हैं और पूर्व में कलकत्ता डाक्स और पश्चिम में कानपुर तक बिजली-कर्षण का विस्तार किया जा रहा है। इस प्रकार लगभग अप्रैल 1966 तक ग्रैंड कार्ड के रास्ते कलकत्ता डाक्स से कानपुर तक समूचे मार्ग पर बिजली गाड़ियां चलने लगेंगी। इसके अलावा इस मार्ग पर लम्बे सफ़र की कुछ सवारी गाड़ियां भी बिजली से चलने लगेंगी। मुगलसराय यार्ड का विस्तार किया गया है और इसमें जो आधुनिक उपस्कर लगाये गये हैं, उनकी सहायता से यहां दोनों ओर से आने वाले 3600 माल डिब्बे सम्हाले जा सकते हैं।

दिल्ली क्षेत्र

दिल्ली क्षेत्र में बड़ी तेज़ी से यातायात बढ़ रहा है। इस बढ़ते हुए यातायात को सम्हालने के लिए टर्मिनल सुविधाएं बढ़ायी जा रही हैं और परिहार लाइनें बनायी जा रही हैं ताकि माल गाड़ियों को दिल्ली और नयी दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले खंडों से होकर न जाना पड़े। इस काम में यमुना पर दूसरे पुल का निर्माण भी शामिल है। इन निर्माण-कार्यों के पूरा हो जाने पर दिल्ली क्षेत्र से होकर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम यातायात सुगम हो जायेगा।

कलकत्ता-नागपुर-बम्बई मार्ग

नागपुर के रास्ते कलकत्ता और बम्बई के बीच समूचे ट्रंक मार्ग पर अगले वर्ष तक दोहरी लाइन बिछ जाने की सम्भावना है। इस मार्ग पर राउरकेला से हावड़ा तक बिजली-कर्षण बढ़ाया जा रहा है जो प्रगति के विभिन्न चरणों में है और 1967 के अन्त तक उसके पूरा होने की सम्भावना है। इसमें हावड़ा और खड़गपुर के उपनगरी यातायात के लिए बिजली गाड़ी चलाने का कार्यक्रम भी शामिल है। हावड़ा से पंचकुड़ा तक तीसरी लाइन बिछायी जा रही है और टिकियापाड़ा और संतरागाछी यार्ड के ढांचे बदले जा रहे हैं। हावड़ा में रूट रिले

इन्टरलाकिंग लगायी जा रही है । संतरागाछी और शालीमार स्टेशनों के बीच एक नया माल यार्ड बनाया जा रहा है और शालीमार में टर्मिनल सुविधाएं बढ़ायी जा रही हैं । बिलासपुर, भिलाई और बोंडामुंडा के प्रमुख यार्डों का विस्तार किया जा रहा है । जिन इस्पात कारखानों का यातायात भिलाई और बोंडामुंडा से होता है, उन कारखानों की क्षमता बढ़ने के साथ साथ इन स्टेशनों के यार्डों का भी विस्तार किया जा रहा है ।

पूर्वी किनारे का मार्ग

हावड़ा—मद्रास ग्रैंड ट्रंक मार्ग 16,70 किलोमीटर लम्बा है । इसके 650 किलोमीटर खंड पर दोहरी लाइन बिछायी जा चुकी है; बाकी हिस्से में केवल 220 किलोमीटर इकहरी लाइन को छोड़कर, जहां एक समानान्तर वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है, दोहरी लाइन बिछाने की मंजूरी दी गयी है । दोहरी लाइन बिछाने के काम में 6.9 करोड़ रुपये की लागत से गोदावरी पर एक दूसरा रेलवे पुल बनाने की व्यवस्था भी शामिल है । बालतेरु, खड़गपुर और विजयवाड़ा में नये मार्शलिंग यार्ड बनाये जा रहे हैं । गाड़ियों की तेज़ मार्शलिंग के लिए बालतेरु और खड़गपुर के यार्डों में यांत्रिक व्यवस्था की जायेगी ।

मद्रास-बेंगलूर और मद्रास-कोच्चिन मार्ग

मद्रास को बेंगलूर, कोच्चिन और मंगलूर से मिलाने वाली दक्षिण रेलवे की दक्षिण-पश्चिम लाइन पर मद्रास और ईरोड के बीच दोहरी लाइन बिछाने का काम प्रायः पूरा हो गया है । दक्षिणी क्षेत्र में तेज़ी के साथ डीज़ल-कर्षण का विस्तार किया जा रहा है और आशा है अगले साल कोच्चिन तक डीज़ल इंजन से माल गाड़ियां चलने लगेंगी । कोरुक्कुपेट में माल गाड़ियों का एक नया टर्मिनल बनाकर मद्रास के पास टर्मिनल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है । मुख्य लाइन और उपनगरी गाड़ियों के संचालन को सुगम बनाने के उद्देश्य से आवडी तक स्वचल सिगनल-प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है । बेंगलूर सिटी स्टेशन का ढांचा बदला जा रहा है । इसके अलावा बढ़ते हुए माल यातायात को सम्हालने के लिए बेंगलूर क्षेत्र में कुछ दूसरे काम भी किये जा रहे हैं, जिनकी लागत 1.13 करोड़ रुपये है और ये काम प्रायः पूरे हो रहे हैं ।

निर्यात खनिज लाइनें और सर्वेक्षण

कोट्टवलासा—वैलाडिल्ला लाइन विशाखापट्टणम बन्दरगाह में हर साल 60 लाख मीटरिक टन खनिज लोहा ले जाने के लिए बनायी जा रही है । इसके निर्माण में अच्छी प्रगति हुई है और लाइन निर्धारित समय में बन कर तैयार हो जायेगी । हासपेट से गुन्तकल्लु तक नयी बड़ी लाइन के कुछ भाग पर खनिज लोहे का परिवहन शुरू हो गया है, बाकी लाइन पर इस साल काम पूरा हो जायेगा और इससे मद्रास तक खनिज लोहा भेजना सुगम हो जायेगा । गुन्तकल्लु—हास्पेट खण्ड से हुबली तक खनिज लोहा भेजने के लिए मीटर लाइन के डीज़ल रेल इंजनों की व्यवस्था की जा रही है । हुबली से आगे यह माल सड़क के रास्ते कारवार और वहां से मार्मुगाओ बन्दरगाह भेजा जायेगा । ताड़ेपल्लि से निर्यात के लिए मचिलीपट्टणम् और काकिनाडा बन्दरगाहों तक खनिज लोहा भेजने के लिए ताड़ेपल्लि में यानान्तरण की सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है और काम प्रायः पूरा हो रहा है । मंगलूर के पास जो नया बन्दरगाह

बनाया जा रहा है, उसे देश के भीतरी भाग से जोड़ने के लिए मंगलूर-हसन लाइन के निर्माण की मंजूरी दे दी गयी है । बोकारो में बनने वाले नये इस्पात कारखाने के लिए माराफारी में 7.5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक बड़ा मार्शलिंग और एक्सचेंज यार्ड बनाया जा रहा है । चन्द्रपुरा और बोंडामुंडा के बीच हाल में जो नयी लाइन खोली गयी है, उससे किरिबुरु कोयला क्षेत्र से कच्ची धातु बोकारो पहुंचाने में भी सहायता मिलेगी । दण्डकारण्य के खनिज साधनों का उपयोग करने के उद्देश्य से दातेवारा से भद्राचलम् रोड तक लाइन बनाने की मंजूरी दी गयी है । यह सबसे बाद का सर्वेक्षण है जिसके लिए संसद् के पिछले अधिवेशन में पूरक अनुदान लिया गया था । तिरुनेबेलि और कन्याकुमारी/तिरुवनन्तपुरम के बीच नयी रेलवे लाइन बनाने और मीरज–मर्मुगाओ और हास्पेट–लोंडा खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है और प्रायोजना रिपोर्ट शीघ्र तैयार की जा रही है । इसी प्रकार प्रचुर खनिज लोहा वाले नयागढ़ क्षेत्र को परदीप बन्दरगाह से मिलाने के लिए एक संभाव्य नयी लाइन का सर्वेक्षण किया जा रहा है । ये कुछ नयी प्रायोजनाएं हैं जिन पर चौथी आयोजना में उपलब्ध साधनों और प्राथमिकता निर्धारित करने वाले सम्बद्ध तथ्यों का ध्यान रखते हुए विचार किया जायेगा ।

नयी लाइनें

इस आयोजना में 3600 किलोमीटर नयी लाइनों के निर्माण का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें 1000 किलोमीटर वे नयी लाइनें भी शामिल हैं जिन पर आयोजना के शुरू में काम हो रहा था । आशा है इसमें से 2100 किलोमीटर नयी लाइनें आगामी वर्ष के अन्त तक, जो इस आयोजना का अन्तिम वर्ष भी है, खुल जायेंगी । दिवा–पेनवेल खण्ड, कलकलीघाट–धर्मनगर लाइन, मानमदुरै–विरुधनगर और रांची–हटिया बोंडामुंडा खण्ड यातायात के लिये खोले जा चुके हैं और उदयपुर–हिम्मत नगर लाइन शीघ्र खुलने को है । झुण्ड से काण्डला और पंचकुड़ा से हल्दिया तक बड़ी लाइन बनाने का काम शुरू हो गया है । मैंने जो कुछ कहा है, उससे माननीय सदस्य यह अनुभव करेंगे कि तीसरी आयोजना में देश के प्रायः हर क्षेत्र में लाइन क्षमता बढ़ाने के लिए जो नयी लाइनें बनायी जा रही हैं और दूसरे बड़े काम किये जा रहे हैं, उन सब में अच्छी प्रगति हो रही है ।

डीज़ल और बिजली कर्षण

12. भाप की जगह उत्तरोत्तर अधिक डीज़ल और बिजली कर्षण अपनाना परिवहन-क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है । अनुमान है कि इस आयोजना के अन्त तक भारतीय रेलों में 6000 किलोमीटर से अधिक लम्बे मार्ग पर चलने वाले बड़ी लाइन के लगभग 460 डीज़ल रेल इंजन और 2000 किलोमीटर से अधिक लम्बे मार्ग पर चलने वाले मीटर लाइन के 174 डीज़ल रेल इंजन होंगे । आशा है कि बिजली रेल इंजनों की संख्या बढ़ कर बड़ी लाइन में लगभग 380 और मीटर लाइन में 22 हो जायेगी । बिजली और डीज़ल रेल इंजनों द्वारा ढोये गये माल यातायात का समानुपात 1955-56 में 2 प्रतिशत से बढ़ कर 1963-64 में 37 प्रतिशत हो गया और यह साल-ब-साल बढ़ता जायेगा ।

विदेशी मुद्रा

13. तीसरी आयोजना की अवधि में विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित रेलों की ज़रूरतें प्रायः विश्व बैंक और उससे सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था (International Development Association) और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कुछ मित्र देशों से लिये गये कर्ज़ से पूरा किया जा रहा है। तीसरी आयोजना में विदेशी मुद्रा पर ख़र्च के लिए लगभग 244 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा चुकी है, जिसमें यूरोप के पूर्वी देशों के साथ रुपये में भुगतान की व्यवस्था भी शामिल है। इस रकम में कुल मिलाकर 41 करोड़ रुपये के कर्ज़ भी शामिल हैं जो बजट के बाद भारतीय रेलों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था, अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमरीकी एजेन्सी और वाशिंगटन के आयात-निर्यात बैंक से लिये गये।

रेलों के विकास कार्यक्रम के लिए बाहर से जो सहायता मिली है, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं।

उत्पादन यूनिटें

चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना

14. पिछले वर्ष के अन्त तक प्रथम चौदह वर्षों में चित्तरंजन रेल इंजन कारख़ाने में 1691 भाप रेल इंजन, 21 डी० सी० बिजली रेल इंजन और 2 ए० सी० रेल इंजन तैयार किये गये। इस वर्ष इस कारखाने में 153 भाप रेल इंजन और 27 ए० सी० बिजली रेल इंजन बनाने का कार्यक्रम है। भारतीय रेलों में भाप कर्षण की जगह उत्तरोत्तर बिजली और डीज़ल कर्षण अपनाने का निश्चय किया गया है। इसी निश्चय के अनुसार चौथी आयोजना के दौरान चित्तरंजन में भाप रेल इंजन का उत्पादन धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जायेगा और यहां बिजली रेल इंजन, कर्षण मोटर और उनके पुर्ज़े बनाये जायेंगे।

इस परिवर्तन के लिए कारखाने में अतिरिक्त सुविधाओं और विशिष्ट उपस्करों की व्यवस्था की जा रही है। आशा है कि अगले साल इस कारख़ाने में बिजली रेल इंजनों का उत्पादन लगभग दूना हो जायेगा और साथ ही भाप रेल इंजनों का निर्माण भी होता रहेगा और इस तरह कुल मिलाकर लगभग 200 भाप और बिजली रेल इंजन बनाये जायेंगे। इस कारखाने की स्टील फाउन्ड्री में उत्पादन नवम्बर, 1963 में शुरू हुआ। अन्त में इसकी वार्षिक उत्पादन-क्षमता प्रति वर्ष 10 हज़ार मीटरिक टन रखी गयी है और इस समय उत्पादन प्रायः इसके आधे के बराबर पहुंच चुका है। फाउन्ड्री में इस समय भाप रेल इंजनों के लिए इस्पात के ढले सामान तैयार किये जाते हैं। निकट भविष्य में यहां बिजली और डीजल रेल इंजनों के लिए ढले सामान और मैंगनीज़ स्टील ट्रैक क्रासिंग के निर्माण का भी कार्यक्रम बनाया गया है।

सवारी डिब्बा कारखाना

दस वर्षों में सवारी डिब्बा कारखाने में 4000 से अधिक सवारी डिब्बों के खोल बनाये गये हैं और उनमें से 2000 से अधिक डिब्बों में साज-सामान लगाया गया है। आशा है इस वर्ष इस कारखाने में 597 खोल तैयार किये जायेंगे और इतने ही डिब्बों में साज-सामान लगाया जायेगा। अगले वर्ष भी लगभग इतना ही उत्पादन होगा। तीसरे दर्जे के सवारी डिब्बों के निर्माण के अलावा इस कारखाने में लगेज और ब्रेकवान, दो टायर और तीन टायर वाले तीसरे दर्जे के शयन-यान, पहले दर्जे के डिब्बे पहिले और तीसरे दर्जे के मिले-जुले डिब्बे आदि

दूसरी किस्म के डिब्बे भी बनाये जा रहे हैं। इस कारखाने में बड़ी लाइन के ए० सी० बिजली गाड़ी के सवारी डिब्बे और मीटर लाइन के सवारी डिब्बे भी बनाये गये हैं। इसके अलावा यहां मीटर लाइन बिजली गाड़ी के सवारी डिब्बे और प्रस्तावित वातानुकूल एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए बड़ी लाइन के सवारी डिब्बे बनाने का भी कार्यक्रम है।

डीज़ल रेल इंजन कारखाना

वाराणसी में डीजल रेल इंजन कारखाने का निर्माण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है। विदेशी पुर्जों से कारखाने में बारह डीजल रेल इंजनों की जुड़ाई की जा चुकी है और चार रेल इंजन तैयार किये गये हैं जिनकी चेसिस और ऊपरी संरचनाएं इसी कारखाने में बनायी गयी थीं। डीज़ल रेल इंजन का निर्माण 1966 में शुरू होगा और उसी समय भोपाल में बिजली के उपस्करों का निर्माण भी शुरू हो जायेगा। आशा है इस कारखाने में बनाये जाने वाले डीज़ल रेल इंजनों में अधिकाधिक देशी पुर्जे लगाये जायेंगे और चौथी आयोजना के अन्तिम वर्षों में देशी पुर्जों का अनुपात बढ़कर लगभग 90 प्रतिशत हो जायेगा।

रेल उपयोगकर्ताओं के लिए सुख-सुविधाएं

यात्री गाड़ियां

15. आज रेल परिवहन की जितनी आवश्यकता है, उसकी तुलना में रेलों ने कहीं अधिक साधन जुटा लिये हैं और इस स्थिति में यात्रियों को अधिक सुख-सुविधा देने और माल यातायात में सुधार करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस वर्ष सवारी गाड़ी किलोमीटर के आंकड़ों में प्रतिदिन 28,500 से अधिक वृद्धि हुई जो पिछले दस वर्षों की औसत वार्षिक वृद्धि के दूने से भी अधिक है। बड़ी लाइन पर 54 नयी गाड़ियां और 61 उपनगरी गाड़ियां चलायी गयीं; 40 गाड़ियों और 33 उपनगरी गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाया गया। पिछले अक्टूबर से जो नयी गाड़ियां चलायी गयी हैं, उनमें ताज एक्सप्रैस भी है। यह गलियारे-दार गाड़ी है और इसके डिब्बे बड़े आकर्षक और आरामदेह हैं। दिल्ली और आगरा के बीच 195 किलोमीटर की दूरी यह गाड़ी तीन घंटे में तय करती है। यदि पर्यटक आगरा और फ़तेहपुर सीकरी के दर्शनीय स्थल देखना चाहें, तो उन्हें रेलगाड़ी के टिकट के साथ इन स्थानों के लिए बस टिकट भी दिये जाते हैं ताकि वे ऐतिहासिक नगरों को देख कर उसी दिन आराम से दिल्ली लौट आयें। मीटर लाइन पर 69 नयी गाड़ियां चलायी गयीं जिनमें दो उपनगरी गाड़ियां हैं। 23 गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढाया गया जिनमें एक उपनगरी गाड़ी है। छोटी लाइन पर 4 नयी गाड़ियां चलायी गयीं। अगली समय-सारणी में कई और सवारी गाड़ियां चलाने के सुझाव या तो मान लिये गये हैं या उन पर विचार किया जा रहा है। नये सवारी डिब्बों के अनुरूप ही तीसरे दर्जे के पुराने सवारी डिब्बों में 2460 पंखे लगाये गये। नये सवारी डिब्बों में पंखे शुरू में ही लगा दिये जाते हैं। पिछले अक्टूबर के अन्त में बड़ी लाइन पर तीसरे दर्जे के 250 और मीटर लाइन पर 124 शयन-यान चलाये जा रहे थे। आशा है इस वर्ष के अन्त तक बड़ी लाइन पर शयन-यानों की संख्या बढ़ कर 340 और मीटर लाइन पर 257 हो जायेगी। अगले वर्ष बड़ी लाइन पर तीसरे दर्जे के लगभग 120 और शयन-यान चलाने का कार्यक्रम है।

सवारी गाड़ियों की रफ्तार

भारतीय रेलों ने ट्रंक मार्गों पर सवारी गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अग्रगामी प्रायोजना के रूप में दिल्ली-आगरा खण्ड को धीरे-धीरे ऐसा बना देने का विचार है ताकि इस खण्ड पर प्रति घंटा 120 किलोमीटर (75 मील) तक की रफ्तार से गाड़ियां चलायी जा सकें। इससे इस बात का पता चलेगा कि तेज रफ्तार से पटरी तल, रेलपथ, इंजन और सवारी डिब्बों पर क्या असर पड़ता है। रेल पथ के यांत्रिक अनुरक्षण के लिए ऐसी मशीनें चनने के सम्बन्ध में जांच की जा रही है जो पटरी पर रख कर या पटरी के बाहर से काम में लायी जा सकें और भारतीय परिस्थितियों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हों।

माल गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाना

माननीय सदस्यों ने संभवतः सुना होगा कि देश के महत्वपूर्ण नगरों, जैसे बम्बई—दिल्ली, बम्बई—अहमदाबाद, दिल्ली—कलकत्ता, कलकत्ता—बम्बई, मद्रास—बेंगलूर और मद्रास—कलकत्ता, के बीच ऐक्सप्रेस माल गाड़ियां चलायी जा रही हैं। ये गाड़ियां यातायात की आवश्यकता के अनुसार विज्ञापित समय के अनुसार हफ्ते में दो या तीन बार चलायी जायेंगी और रास्ते के महत्वपूर्ण स्टेशनों पर भी रुकेंगी। आशा है कि इन गाड़ियों से जो माल भेजा जायेगा, वह विज्ञापित समय पर अपने गंतव्य स्टेशनों पर पहुंचेगा। धीरे-धीरे दूसरे महत्वपूर्ण स्टेशनों के बीच भी ये गाड़ियां चलायी जायेंगी।

संरक्षा

16. रेल कर्मचारियों में संरक्षा की भावना पदा करने का अभियान इस वर्ष भी निरन्तर चलता रहा। हर क्षेत्रीय रेल में केवल संरक्षा-सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए एक अनुभवी अफ़सर तैनात है। यह अफ़सर संरक्षा-सम्बन्धी कार्यक्रम बनाता और उस पर अमल करता है। इस कार्यक्रम में संरक्षा-कार्यविधि के बारे में कर्मचारियों को हिदायत देना और इश्तहारों, पुस्तिकाओं, फिल्मों आदि के माध्यम से प्रचार कार्य शामिल है। रेलवे के मण्डलों या ज़िलों में 50 संरक्षा अफ़सर काम कर रहे हैं और उनकी सहायता के लिए यातायात, लोकोमोटिव और सिविल इंजीनियरिंग विभागों के 150 संरक्षा सलाहकार रखे गये हैं। रेलवे बोर्ड के संरक्षा निदेशक रेलों में संरक्षा-सम्बन्धी गतिविधियों का समन्वय करते हैं और यह देखते हैं कि रेल दुर्घटना समिति की सिफारिशों पर अमल पर किया जा रहा है। स्टेशन मास्टर, गार्ड, ड्राइवर, केबिनमैन, गाड़ी परीक्षक आदि गाड़ी के संचालन से सम्बन्धित कर्मचारियों को एक हफ्ते के लिये संरक्षा शिविर में भेजा जाता है जहां संरक्षा के दृष्टिकोण से उन्हें अपने दैनिक कार्य के सम्बन्ध में हिदायतें दी जाती हैं। इन शिविरों में उन्हें संरक्षा की समस्याओं पर स्वतंत्र रूप से विचार प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विभिन्न रेलों में इस तरह के 23 शिविर चलाये जा रहे हैं। वहां निवास और भोजन की व्यवस्था रेलवे की ओर से की जाती है। 1963-64 में सवारी गाड़ियों की केवल पांच गम्भीर दुर्घटनायें हुई जबकि पिछले वर्षों में इस तरह की दुर्घटनाओं का औसत 9 से 25 तक रहा है। पिछले बीस वर्षों में गंभीर दुर्घटनाओं की यह सबसे कम तादाद है। यह रुख चालू वर्ष में भी जारी है।

यद्यपि यह सन्तोष की बात है, लेकिन 22 दिसम्बर, 1964 को देश के दक्षिण-पूर्वी किनारे पर जो समुद्री तूफ़ान आया, उसमें जन-धन की बहुत बड़ी हानि हुई है। पाम्बन पुल के 145 गर्डरों में से 124 गर्डर तूफ़ानी लहरों में बह गये। एहतियात के रूप में इस पुल पर तूफ़ान से कुछ समय पहले गाड़ियों का आना-जाना रोक दिया गया था। लेकिन रामेश्वरम् द्वीप में एक सवारी गाड़ी भारी लहरों की लपेट में आ गयी और उसे पहले चेतावनी देने का अवसर नहीं मिल सका। इस दैवी विपत्ति के 10 दिन के अन्दर मंडपम् तक गाड़ियां फिर चलने लगी। द्वीप में जाने वाले यात्रियों और माल के लिए फेरी सर्विस की व्यवस्था की गयी है और द्वीप में पाम्बन और रामेश्वरम् के बीच शटल गाड़ियां चलायी जा रही हैं। दो किलोमीटर लम्बे पाम्बन पुल को फिर चालू करने के सम्बन्ध में तत्परता से कार्रवाई की जा रही है और आशा है कि यह काम जून तक पूरा हो जायेगा।

सिगनल-व्यवस्था की आधुनिकतम प्रणालियां अपनायी जा रही हैं। स्वचालित सिगनल-व्यवस्था में प्रसार और सेमोफोर सिगनल की जगह रंगीन रोशनी वाले सिगनलों का प्रयोग करके तथा ट्रैक सर्किटिंग और बहुत से स्टेशनों पर रूटरिले इन्टरलाकिंग लगा कर रेल संचालन को अधिक सुरक्षित बनाया जा रहा है। आधुनिक ढंग के सिगनल उपस्करों की सप्लाई में सुधार करने के उद्देश्य से अनुभवी निर्माताओं के सहयोग से सिगनल उपस्कर तैयार करने का एक कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर अन्तिम रूप से विचार किया जा रहा है।

विभागीय खान-पान व्यवस्था

17. 1963-64 में विभागीय खान-पान व्यवस्था में कुल लगभग 4 करोड़ रुपये की बिक्री हुई और पहली बार इससे लाभ हुआ, यद्यपि यह बहुत कम था। आवश्यक वस्तुओं की कमी और बढ़ती हुई कीमतों के बावजूद सेवा के स्तर में सुधार करने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। रेफ्रीजरेटर गरम बक्से, गैस या बिजली के चूल्हे आदि आधुनिक उपस्करों की व्यवस्था की जा रही है और भोजनयानों के बेअरों को अच्छी किस्म की वर्दियां दी जा रही हैं ताकि वे अपने काम में सुधार कर सकें।

मुआवजे के लिए दावे

18. जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, रेलों को जो माल ढोने के लिए सौंपा जाता है, उसके लिए उन्होंने सार्वजनिक वाहक की सांविधिक दायिता ग्रहण की है। इसके फलस्वरूप रेलों की दायिता बढ़ गयी है और इसके अलावा कीमतों और यातायात में भी वृद्धि हुई है, फिर भी इस वर्ष क्षतिग्रस्त या खोये हुए माल के लिए रेलों ने जितना मुआवजा दिया, वह पिछले वर्ष की तुलना में केवल 64 लाख रुपये अधिक है। 1963-64 में जितना मुआवजा दिया गया है, वह कुल आमदनी के एक प्रतिशत से भी कम है। आशा है चालू वर्ष में मुआवजे का प्रतिशत और गिर जायेगा।

दावों के भुगतान में जो कमी हुई है, उसका श्रेय रेलवे सुरक्षा दल को है जिसने अपनी कार्य-कुशलता बढ़ाकर चोरी और उठाईगिरी की घटनाओं को रोका और अधिक समानुपात में चुराये गये माल को बरामद किया। रेलवे सुरक्षा दल अधिनियम के अधीन 1963-64 में 2972, अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में दूने से अधिक गिरफ्तारियां की गयीं। इस वर्ष

दल के सदस्यों को 31 अवसरों पर कुख्यात अपराधियों पर गोलियां चलानी पड़ीं। ये अपराधी माल-डिब्बों को लूटने के लिए गिरोहों में संगठित थे। सुरक्षा दल के कुत्तों के दस्तों ने 74 अपराधियों का पता लगाया।

इस अवसर पर मैं विशेष रूप में इस बात का भी उल्लेख करना आवश्यक समझता हूं कि नवम्बर, 1962 में विशेष आपात दल में जो हथियारबन्द बटालियन बढ़ाये गये थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने महत्वपूर्ण स्थानों और रेल संस्थानों की हिफ़ाजत की, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की गाड़ियों को विद्रोही नागाओं के हमलों से सुरक्षित रखा और जिस समय बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थी देश में आ रहे थे, उस समय पूर्वी सीमा के बहुत स्थानों और नागरिक उपद्रवों के समय पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में शान्ति और व्यवस्था कायम रखी।

चौकसी

19. भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए नियुक्त संथानम् समिति की सिफारिशों के अनुसार रेलों में चौकसी संगठन सुदृढ़ किया गया है। रेलवे बोर्ड में केवल चौकसी सम्बन्धी काम की देखभाल के लिए एक अपर सदस्य की नियुक्ति की गयी है। क्षेत्रीय रेलों में चौकसी, जनता की शिकायतों और जन-सम्पर्क का कार्य-भार सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजरों को सौंपा गया है। रेलों के शिकायत संगठन भी गतिशील बनाये गये हैं और जनता की शिकायतों पर की गयी कार्रवाई को समन्वित करने के लिए रेलवे बोर्ड के कार्यालय में अब एक पूर्णकालिक अवर सचिव लगा दिये गये हैं। 1963–64 में केन्द्रीय जांच एजेन्सी ने 514 मामलों की जांच की। रेलों के चौकसी संगठनों ने 1700 मामलों में जांच की और जो कर्मचारी दोषी पाये गये, उन पर विभागीय कार्रवाई की गयी। अनियमित कार्यों के लिए पांच ठेकेदारों के नाम काली सूची में दर्ज किये गये।

1965–66 का बजट अनुमान

यातायात से कुल प्राप्ति

20. अब मैं 1965–66 के बजट अनुमान का जिक्र करूंगा। यातायात के स्वरूप में तेज़ और अप्रत्याशित परिवर्तनों (जैसे अनाज के यातायात में) का रेल परिवहन की मांग पर प्रभाव पड़ रहा है और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति एकसी नहीं है (जैसे इस्पात के निर्माताओं और अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा कोयले की मांग में एकाएक कमी) इन कारणों से आगामी वर्ष का बजट अनुमान तैयार करना विशेष रूप से कठिन हो गया है। अनन्तिम अनुमान के अनुसार अगले वर्ष प्रारम्भिक उपार्जक यातायात में लगभग एक करोड़ मीटरिक टन की वृद्धि होगी। इसमें पांच लाख मीटरिक टन अधिक तैयार इस्पात और कच्चा लोहा, इस्पात कारखानों के लिए कोयला सहित लगभग पचीस लाख मीटरिक टन अधिक कच्चा माल, दस लाख मीटरिक टन अधिक निर्यात खनिज और दस लाख मीटरिक टन अधिक सीमेंट शामिल है। भाड़े की वर्तमान दरों पर अतिरिक्त यातायात से आगामी वर्ष में लगभग 28 करोड़ रुपये और कुल माल यातायात से लगभग 435 करोड़ रुपये की आमदनी होगी।

रेलें यात्री यातायात में हर साल आमतौर से तीन प्रतिशत वृद्धि के लिए व्यवस्था करती रही हैं । लेकिन इस वर्ष यातायात अधिक तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए बजट वर्ष में लगभग 4 प्रतिशत वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है । किराये की वर्तमान दरों पर यात्री यातायात की आमदनी में इस प्रकार 8 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी । अन्य कोचिंग यातायात में विशेष घट-बढ़ की संभावना नहीं है और फुटकर यातायात की आमदनी में केवल उपान्तिक वृद्धि की संभावना है । इस आधार पर बजट वर्ष में यातायात से कुल 696 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी जो चालू वर्ष की तुलना में 36 करोड़ रुपये अधिक है ।

खर्च

21. 1965–66 में प्रत्याशित अधिक आमदनी से, बढ़ी हुई पूंजी पर अतिरिक्त लाभांश (11.5 करोड़ रुपये), मूल्यह्रास में अतिरिक्त व्यवस्था (दो करोड़ रुपये) और 36 करोड़ की अनुमानित रकम कमाने के लिए अधिक परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण और अतिरिक्त गाड़ियों के परिचालन का खर्च (लगभग 18 करोड़ रुपये) पूरा करना है । अन्तिम मद में खर्च का अनुमान इस धारणा पर लगाया गया है कि इस वर्ष खर्च की बड़ी मदों जैसे ईंधन और कर्मचारियों पर प्रति व्यक्ति लागत में कोई वृद्धि नहीं होगी । इस सम्बन्ध में एक दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य का भी ध्यान रखना है, वह यह है कि पहली मई, 1964 से कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा में जो रियायतें दी गयी हैं, उनके लिए और दास आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार महंगाई भत्ते में जो वृद्धि हुई है, उसके लिए 1965–66 में पूरे 12 महीनों की व्यवस्था करनी है, जबकि चालू वर्ष में इन पर केवल 6 महीने की व्यवस्था की गयी है । केवल इन दो मदों के कारण चालू वर्ष की तुलना में 1965-66 में संचालन व्यय 9 करोड़ रुपये बढ़ जाती है ।

बचत और विकास निधि

चालू वर्ष की तुलना में खर्च में कुल 40 करोड़ रुपये से अधिक की बढ़ोतरी है । इस हिसाब से वर्ष के अन्त में केवल 8 करोड़ रुपये की बचत होगी जो विकास निधि से होने वाले लगभग 30 करोड़ रुपये वार्षिक खर्च का प्रायः एक-चौथाई है । विकास निधि में केवल बचत से आमदनी होती हैं । जैसा कि मेरे पूर्ववर्ती रेल मंत्री ने पिछले वर्ष के बजट भाषण में बताया था, 30 करोड़ से लेकर 35 करोड़ रुपये तक बचत अर्जित करनी है ताकि विकास निधि से किये जाने वाले कार्यों का खर्च पूरा किया जा सके और बढ़ी हुई पूंजी पर रेलें सन्तोषप्रद प्रतिफल देती रहें । दूसरी बात यह है कि यद्यपि बजट में 30 करोड़ रुपये की बचत की व्यवस्था की गयी थी, लेकिन अब ऐसा दिखायी पड़ता है कि इस वर्ष 12.49 करोड़ रुपये से अधिक बचत नहीं होगी और यह भी निश्चित है कि अगले वर्ष सामान्यतः बचत और भी कम होगी । इन परिस्थितियों में यह विचारणीय है कि बचत को संतोषजनक स्तर पर बढ़ाने के लिए कौन से साधन अपनाये जायें ।

माल भाड़े की दरों में परिवर्तन

22. सबसे पहले मैं माल यातायात का ज़िक्र करूंगा । माननीय सदस्यों को याद होगा कि हाल के वर्षों में कुल मिला कर माल भाड़े की दरें कुछ बढ़ी हैं । आयोजना के पहले तीन वर्षों में प्रारम्भिक यातायात में 360 लाख मीटरिक टन की भारी वृद्धि हुई, जबकि इस वर्ष माल यातायात में अब तक केवल नाम मात्र की वृद्धि हुई है । अतः वर्तमान परिस्थितियों में मैंने कुछ ऐसी वस्तुओं पर भाड़ा की दर बढ़ाने का विनिश्चय किया है जिन पर इस समय

भाड़े की दर अपेक्षाकृत कम है और जिनका भारी मात्रा में यातायात होता है। अतः इनकी दरों को थोड़ा बढ़ा देने से भी राजस्व में काफी वृद्धि हो सकती है। भारी वस्तुओं में कोयला एक ऐसी वस्तु है जिसके भाड़े में हाल में एक बार से अधिक संशोधन किया गया है, इसलिए इस वर्ष इसमें कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है। यद्यपि अनाज के भाड़े की दर कम है, फिर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। केवल लोहा और इस्पात, सीमेंट, पत्थर, चूना, कच्ची धातुओं आदि भारी माल के भाड़े के वर्गीकरण में कुछ समंजन करने का विचार है जिससे इनके भाड़े में 4 से लेकर 7 प्रतिशत तक और निरापद पैट्रोलियम पदार्थों के भाड़े में लगभग 8 प्रतिशत वृद्धि होगी। लेकिन मिट्टी के तेल या निर्यात खनिज लोहे की भाड़ा-दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। साथ ही इस समय ऊंची दर और नीची दर वाली वस्तुओं के भाड़े में जो असमानता है, उसे समाप्त करने का भी विचार है। यह असमानता खतरनाक माल के अलावा उन दूसरी वस्तुओं की भाड़ा-दर को घटा कर दूर की जायेगी जो उच्च वर्गीकरण में रखी गयी हैं, खास तौर पर निर्मित वस्तुएं, जिनमें सूती वस्त्र* भी शामिल है। अब भारी माल के साथ-साथ रेलें सामान्य माल की ढुलाई के लिए भी अपनी क्षमता बढ़ा रही हैं, इसलिए सबसे ऊंची भाड़ा दरों को कम करना उचित होगा। भाड़े की दर में इन समंजनों के फलस्वरूप 6.9 करोड़ रुपये की शुद्ध अतिरिक्त आमदनी की आशा है। इससे केवल कर्मचारियों पर बढ़े हुए खर्च की आंशिक पूर्ति होती है। पिछले वर्ष इसी समय की तुलना में इस वर्ष कर्मचारियों की लागत का लगभग 32 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार रेलों को वहन करना है। इन परिस्थितियों में इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि खर्च में भारी वृद्धि को पूरा करने के लिए मैं रेल यात्रियों से भी कुछ योगदान करने को कहूं।

23. पिछले 15 वर्षों में यात्री यातायात बहुत तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था में माल यातायात की आवश्यकताओं को अग्रता के आधार पर पूरा करना ज़रूरी था, इसलिए रेलें उतनी सवारी गाड़ियां न चला सकीं जितनी भीड़-भाड़ बिल्कुल समाप्त करने के लिये ज़रूरी थीं, यद्यपि वे इसी लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं और उसे प्राप्त करने का निरन्तर प्रयास कर रही हैं। इस प्रश्न पर विचार करते समय उपनगरी यातायात और दूसरे यातायात पर अलग-अलग विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि उपनगरी यातायात न केवल बड़े-बड़े शहरों के आस-पास एक सीमित क्षेत्र में होता है, बल्कि इसमें अधिक तेज़ वृद्धि और खास तौर पर व्यस्त घंटों में इसके संकेन्द्रित होने के कारण कुछ विशेष समस्याएं उपस्थित हो जाती हैं और इसके लिए ख़ास किस्म के चल-स्टाक की ज़रूरत होती है।

उपनगरी यातायात को छोड़ कर, इस वर्ष यात्रियों की संख्या में 1951–52 के मुकाबले लगभग 30 प्रतिशत वृद्धि की संभावना है। यह सन्तोष की बात है कि रेलें सवारी गाड़ी किलो-मीटर के आंकड़ों को भी इसी स्तर तक बढ़ा सकी हैं। लेकिन यदि यह देखा जाये कि 1963–64 और चालू वर्ष में बड़ी और मीटर दोनों लाइनों पर प्रति गाड़ी औसतन अधिक सवारी डिब्बे थे, पूरी तस्वीर और भी अच्छी आती है। 1951–52 की तुलना में पिछले वर्ष कोचिंग वाहन किलोमीटर 42 प्रतिशत अधिक था, जबकि यात्री किलोमीटर में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यद्यपि गाड़ियों में भीड़-भाड़ की समस्या अभी पूरी तरह हल नहीं हुई है, फिर भी मेरे विचार में

*Cotton piecegoods.

रेलें इस बात का दावा कर सकती हैं कि सीमित साधनों और लाइन-क्षमता के भीतर 1951–52 की तुलना में, विशेषरूप से तीसरे दर्जे के यात्रियों की, रेल यात्रा को अधिक आरामदेह बनाने में उन्हें बहुत कुछ सफलता मिली है। बहुत बड़ी संख्या में जनता गाड़ियों का चलाना, लम्बे सफ़र की अधिकतर गाड़ियों में तीसरे दर्जे के दो-टायर और तीन-टायर शयन-यानों की व्यवस्था, पंखों आदि सुविधाओं से युक्त अधिक अच्छे ढंग से सवारी डिब्बे और डिब्बों में प्रति यात्री अधिक स्थान की व्यवस्था आदि कुछ उपाय हैं जो रेल-यात्रा को सुखद बनाने के लिए अपनाये गये हैं। इसके अलावा दिल्ली और देश के प्रमुख नगरों के बीच तीसरे दर्जे की वातानुकूल गाड़ियां चलायी जा रही हैं और तेज़ सवारी गाड़ियों की संख्या प्रायः दूनी हो गयी है।

कुछ वर्ष पहले रेल यात्रियों को जो असुविधाएं होती थीं, उन्हें देखते हुए आज स्थिति में बहुत सुधार हुआ है और रेलों के लिए यह सन्तोष की बात है। लेकिन इन सब सुविधाओं की व्यवस्था के लिए उन्हें जो अतिरिक्त खर्च करना पड़ा है, वह यात्री यातायात की आमदनी से बहुत अधिक है, अर्थात् यात्री यातायात की आमदनी में जो वृद्धि हुई है, वह लागत की वृद्धि की तुलना में बहुत कम है।

किराये में परिवर्तन

इस स्थिति का कारण जानने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। 1955 में 'लम्बा सफर, कम किराया' के आधार पर किराये की जो दरें लागू की गयी थीं, वे अतिरिक्त आमदनी के लिए नहीं, बल्कि लम्बे सफर के यात्रियों के लाभ के लिए थीं। 1957 में यात्री किराये पर जो कर लगाया गया (जो 1961 में रेलों द्वारा हर साल एक निश्चित रकम के भुगतान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया) वह रेलवे के लिए नहीं, बल्कि राज्य सरकारों के लाभ के लिए था। इसके अलावा यात्री किराये में 1951 के बाद केवल 1962 में सामान्य वृद्धि की गयी थी, जो लागतों की तुलना में बहुत कम है। यात्री किराये पर लगाये गये कर सहित तीसरे दर्जे के औसत साधारण किराये में केवल 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि तीसरे दर्जे का डाकगाड़ी का किराया 26 प्रतिशत, दूसरे दर्जे का 25 प्रतिशत और पहले दर्जे का 35 प्रतिशत बढ़ गया है। दूसरी ओर सवारी गाड़ियों के संचालन की लागत 1951–52 के मुकाबले 1963–64 में 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ गयी है। 1964–65 में इस लागत में और वृद्धि हुई है और कुछ कारणों से जो बताये जा चुके हैं, 1965–66 में यह अभी और बढ़ेगी।

24. अब मैं अपने प्रस्तावों का जिक्र करूंगा। सीजन टिकटों को छोड़ कर तीसरे दर्जे में कुल जितने लोग सफर करते हैं, उन में लगभग 70 प्रतिशत साधारण सवारी गाड़ी में चलते हैं और उसका किराया देते हैं और उनका सफर 50 किलोमीटर तक का होता है। 1962–63 में ऐसे यात्रियों की संख्या 80.6 करोड़ और उनका प्रतिशत 73 था। इस कोटि के तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए किराये में बहुत थोड़ी वृद्धि होगी। 6 किलोमीटर तक के लिए उन्हें अधिक किराया नहीं देना होगा। 6 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच उन्हें प्रति टिकट केवल एक पैसे से लेकर 5 पैसे तक अधिक किराया देना होगा। इस तरह के यात्रियों के लिए किराये में यही अधिकतम वृद्धि होगी। इस महत्वपूर्ण अपवाद को छोड़ कर, तीसरे दर्जे और दूसरे दर्जे में 800 किलोमीटर तक के किराये में 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी। 800 किलोमीटर से लम्बे सफर के लिए प्रतिशत वृद्धि क्रमशः

कम होती जायेगी । 1500 किलोमीटर पर प्रतिशत वृद्धि केवल 5.8 और 3000 किलोमीटर पर 3.1 रह जायेगी । इस प्रकार तीसरे दर्जे के डाक गाड़ी के किराये में वास्तविक प्रतिशत वृद्धि दिल्ली और बम्बई के बीच 6.4 और बम्बई और हावड़ा के बीच 4.6 होगी । इसके अलावा देश के एक भाग से दूसरे भाग तक लम्बे से लम्बे सफर के किराये में अधिकतम वृद्धि इस प्रकार होगी : तीसरा दर्जा (साधारण)—1 रु० 70 पैसे, तीसरा दर्जा (डाकगाड़ी)—2.00 रुपये और दूसरा दर्जा (डाक गाड़ी)—3 रुपये 60 पैसे । पहले दर्जे और वातानुकूल दर्जे में क्रमशः 1000 किलोमीटर और 1200 किलोमीटर तक के किराये में 10 प्रतिशत वृद्धि होगी और इन दूरियों से ऊपर किराये में प्रतिशत वृद्धि क्रमशः कम होती जायेगी । 1500 किलोमीटर पर प्रतिशत वृद्धि वातानुकूल दर्जे में 8.1, पहले दर्जे में 7.0 और तीसरे दर्जे के डाक गाड़ी के किराये में 5.8 होगी ।

मैं सीजन टिकटों के किराये में यह वृद्धि आनुपातिक आधार पर नहीं लगाना चाहता । वास्तव में सीजन टिकटों के किराये में कोई सामान्य वृद्धि नहीं होगी । कुछ ऐतिहासिक कारणों से सीजन टिकटों का किराया सब से कम है । इनमें केवल कुछ उपरगामी समंजन किये जायेंगे ताकि विभिन्न नगरों में सीजन टिकट के किरायों में जो असमानता है, वह कम हो जाये । बम्बई और कलकत्ता क्षेत्रों में मासिक सीजन टिकटों पर अधिकतम दूरी के लिए 50 पैसे और इससे कम दूरी के लिए कम वृद्धि होगी । मद्रास क्षेत्र में पहले दर्जे के सीजन टिकटों पर 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी ।

कलकत्ता के उपनगरी खण्डों में बहुत बड़ी लागत पर बिजली गाड़ी चलाने की व्यवस्था तेजी से की जा रही है । माननीय सदस्यों को याद होगा कि हावड़ा–बर्दवान मुख्य लाइन पर 1957 में, तारकेश्वर शाखा पर 1958 में और सियालदह नार्थ खण्ड पर 1963 और 1964 में बिजली गाड़ियों का चलना आरम्भ हुआ । हावड़ा-बर्दवान कार्ड पर इस साल अप्रैल के आसपास और सियालदह साउथ खंड के कुछ हिस्से में इस वर्ष और बाकी हिस्से में अगले वर्ष के शुरू में बिजली गाड़ियां चलने लगेंगी । यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि कलकत्ता के निकटवर्ती क्षेत्रों में इन अधिक तेज और साफ-सुथरी गाड़ियों को जनता ने कितना पसन्द किया है । बम्बई में पिछले कई वर्षों से बिजली गाड़ियां चल रही हैं । वहां अब इन गाड़ियों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ायी जा रही है । चर्च गेट और ग्रांट रोड स्टेशनों के बीच उपनगरी यातायात के लिए लाइन-क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत की योजना मंजूर की गयी है । यह सच है कि संसार के बड़े बड़े नगरों की भांति बम्बई में भी व्यस्त घण्टों में यातायात को कारगर ढंग से सम्हालना कठिन है, लेकिन उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत यथासंभव अधिक गाड़ियां चलाने की कोशिश जारी है । 1951–52 में उपनगरी यातायात के लिए जितने डिब्बे थे, उनकी तुलना में 1963–64 में उनकी संख्या दूने से भी अधिक हो गयी । अधिक गाड़ियां चलाने से जितनी आमदनी हो सकती है, उसकी तुलना में उन पर होने वाला खर्च कहीं अधिक है । ऐसी हालत में किराये में जो समंजन किया जा रहा है और जिसके कारण यात्रियों को हर सफर के लिए एक पैसा या उससे कम, अधिक किराया देना पड़ेगा, मेरा विश्वास है कि माननीय सदस्य और रेल उपयोगकर्ता भी उसे सही रूप में लेंगे ।

25. यात्री किराये में प्रस्तावित समंजनों से अगले वर्ष 13.5 करोड़ रुपये की वृद्धि की सम्भावना है । इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि इन समंजनों के फलस्वरूप यातायात में वृद्धि की दर में कुछ रुकावट आ सकती है जैसा कि 1962–63 में हुआ था ।

26. इन प्रस्तावों के ब्यौरे के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को एक ज्ञापन दिया जा रहा है । इसमें बहुत छोटे परेषणों, न्यूनतम प्रभार, सामान और ताजे फल आदि की दरों का ब्यौरा भी दिया गया है । इन सब परिवर्तनों से 21 करोड़ रुपये अतिरिक्त आमदनी की आशा है ।

बचत, 1965–66

27. किराये और भाड़े में मैंने जिन परिवर्तनों का सुझाव रखा है, उनमें केवल वर्तमान अतिरिक्त वायदों का ध्यान रक्खा गया । ये परिवर्तन जानबूझ कर बहुत कम रखे गये हैं । इनका अधिकांश भार स्वयं रेलें वहन करेंगी और उसकी तुलना में बहुत कम अतिरिक्त भार उपयोगकर्ताओं पर पड़ेगा । इसलिए 1965–66 के बजट में बचत का अनुमान केवल 29.24 करोड़ रखा गया है जब कि 1963–64 में वस्तुत: 49.24 करोड़ रुपये की बचत हुई थी और वह भी अपेक्षाकृत कम पंजी पर और खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से पहले, जिनकी वजह से भारतीय रेलों के लिए स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है । इसलिए अब कोई और रास्ता नहीं है । यदि रेलों के काबू से बाहर लागतों में वृद्धि होती है और जिसे वे बर्दाश्त न कर सकें, तो उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ रखने के लिए आगे और समंजन की आवश्यकता हो सकती है । लेकिन मैं सदन को विश्वास दिला सकता हूं कि उस हालत में फिर रेल उपयोगकर्ताओं पर केवल न्यूनतम और अपरिहार्य भार डाला जायेगा ।

निर्माण-कार्यों पर खर्च, 1965–66

28 निर्माण-कार्यों पर खर्च का बजट अनुमान 345 करोड़ रुपये है जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 20 करोड़ रुपये कम है। इस प्रकार तीसरी आयोजना में निर्माण कार्यों पर कुल लगभग 1642 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा । पिछले वर्ष बजट भाषण में बताया गया था कि करों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्तनों के फलस्वरूप लागतों में जो वृद्धि हुई है, उसके लिए तीसरी आयोजना अवधि में रेलों के लिए जो 1581 करोड़ रुपये की रकम निर्धारित है, उसे बढ़ाना होगा । इस्पात और सीमेंट की कीमतों में सांविधिक बढ़ोतरी हुई है, चल-स्टाक पर सीमा-कर और उत्पादन-शुल्क बढ़ गया है और केन्द्रीय बिक्री-कर में परिवर्तन हुए हैं । इन सबका प्रभाव रेल-पथ, चल-स्टाक आदि पूंजीगत निर्माण-कार्यों पर पड़ा है और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब अनुमान लगाया गया है कि आयोजना के वर्तमान स्थूल लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इस मद में 61 करोड़ रुपये अर्थात् लगभग 3.9 प्रतिशत और रकम की जरूरत होगी ।

कर्मचारी

कर्मचारियों की संख्या और उनका औसतन वेतन

29. 1963–64 के अन्त में भारतीय रेलों में कुल 12 लाख 70 हजार कर्मचारी थे और उनका औसत वार्षिक वेतन 1,994 रुपये था। महंगाई भत्ते में परिवर्तन और दूसरी वृद्धियों के कारण, जिनका उल्लेख मैं कर चुका हूं, एक वर्ष में प्रति व्यक्ति वार्षिक वेतन लगभग 250 रुपये बढ़ जाने की सम्भावना है। इसमें इमदादी भवन-निर्माण योजना, मुफ्त डाक्टरी इलाज, कर्मचारियों के कल्याण के लिए किये गये काम जैसे "अनुषंगी लाभ" शामिल नहीं है।

डाक्टरी सहायता

30. 1963–64 में रेलवे अस्पतालों और स्वास्थ्य-केन्द्रों में बाहरी रोगियों की दैनिक औसत संख्या में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई और मुफ्त डाक्टरी इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रति व्यक्ति खर्च 71.5 रुपये से बढ़ कर 74.9 रुपये हो गया। इस वृद्धि में अन्य बातों के साथ दवाइयों और आहार की बढ़ी हुई कीमतों, 3 अस्पतालों और 18 स्वास्थ्य यूनिटों के खोले जाने और 675 खाटों की व्यवस्था का खर्च शामिल है।

कर्मचारियों के लिये मकान

31. 1963–64 में कर्मचारियों के लिए 14,704 मकान बनाये गये। चालू वर्ष में 17,500 और बजट वर्ष में इतने ही और मकान बनाये जाने की आशा है। इस प्रकार कर्मचारियों के लिए बनाये गये मकानों की कुल संख्या करीब 4,76,000 हो जायेगी। रेलवे क्वार्टर बनाने के लिए काफ़ी आर्थिक सहायता दी जाती है। निर्माण की प्रारम्भिक लागत, ब्याजदर और मरम्मत और अनुरक्षण के खर्च में वृद्धि के कारण यह आर्थिक सहायता हर साल बढ़ती जा रही है।

कर्मचारी हित

32. कर्मचारियों के मनोरंजन और उनकी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए इन्स्टीट्यूट, क्लब और चलते-फिरते पुस्तकालयों जैसी सुविधाएं दी गई हैं। इनका काम सन्तोषजनक रहा। 1963–64 में लगभग 3,300 कर्मचारियों ने देश के विभिन्न भागों में स्थित सोलह अवकाश-गृहों का उपयोग किया। दस्तकारी केन्द्रों में रेल कर्मचारियों के परिवार की महिलाओं को बुनाई, कताई और सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाता रहा। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य यह है कि दस्तकारी सीख कर महिलाएं अपने परिवार की आमदनी बढ़ा सकें। पिछले वर्ष बारह नये प्राइमरी स्कूल खोले गये, एक मिडिल स्कूल को हाई स्कूल और एक हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी स्कूल बनाया गया। चालू वर्ष में एक हायर सेकेण्डरी स्कूल, दो हाई स्कूल और सात प्राइमरी स्कूल खालने की स्वीकृति दी गई। इस समय रेलों में कुल 731 स्कूल हैं जिनमें से दो इन्टरमीडिएट कालेज हैं। 1963–64 में 2,709 छात्र-वृत्तियां दी जा रही थीं और इन पर 8.67 लाख रुपये खर्च हुए। रेलों द्वारा संचालित इमदादी होस्टलों में रेल कर्मचारियों के 543 बच्चे भर्ती किये गये। केन्द्रीय सरकार ने एक योजना आरम्भ की है जिसके अनुसार कर्मचारी मिडिल, हाई और हायर

सेकेण्डरी स्कूलों में अपने बच्चों के लिए जो अध्यापन शुल्क देते हैं, सरकार उसकी प्रति-पूर्ति करेगी। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए आलोच्य वर्ष में दी गई यह दूसरी सुविधा है। इस योजना के फलस्वरूप रेलों में मोटे तौर पर $1\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये वार्षिक खर्च का अनुमान लगाया गया है।

कर्मचारियों के साथ सम्बन्ध

33. श्रमिक संगठनों के साथ सामान्यत: मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम रहा। स्थायी वार्तातंत्र के अन्तर्गत रेल कर्मचारियों के दोनों फेडरेशनों के साथ तिमाही बैठकों में कर्मचारियों से सम्बन्धित बहुत से महत्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श करके उन्हें तय किया गया। परिचालन और प्रशासन सम्बन्धी कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से अफसरों और कर्मचारियों की संयुक्त समितियां भी विभिन्न स्तरों पर काम करती रहीं। कुछ चुने हुए कारखानों में श्रमिकों और प्रशासन के प्रतिनिधियों की जो उत्पादन-समितियां बनायी गई हैं, वे उत्पादन की किस्म में सुधार करने और उसकी मात्रा बढ़ाने की दिशा में उपयोगी सिद्ध हुई हैं।

रेल कर्मचारी और खेल-कूद

34. खेल-कूद के क्षेत्र में रेल कर्मचारियों ने, इस वर्ष भी सराहनीय कार्य किया। हाकी, बालीबाल, वाटर पोलो, महिला टेबल टेनिस और महिला बैडमिन्टन तथा भार उठाने की जूनियर और सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को पुन: जीतने के साथ-साथ इस वर्ष रेल कर्मचारियों ने फुटबाल राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी जीती। तैराकी, बौक्सिंग, कबड्डी और पुरुषों की बैडमिन्टन राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में रेलों ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। पुरुषों और महिलाओं की राष्ट्रीय बैडमिन्टन एकल प्रतियोगिताओं में भी रेलवे के खिलाड़ी विजेता रहे और रेलवे की एक महिला खिलाड़ी को राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैम्पियन घोषित किया गया। सर्वोत्तम शारीरिक गठन के लिए एक रेल कर्मचारी को "भारत-श्री" की उपाधि से सम्मानित किया गया। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत की ओर से 22 रेल-कर्मचारियों ने भाग लिया और टोकियो के ओलम्पिक खेलों में, जो भारतीय दल गया था, उसमें 11 रेल कर्मचारी थे। 5 रेल कर्मचारी विश्वविजयी हाकी टीम के सदस्य थे। एक महिला रेल कर्मचारी ने अर्जुन पुरस्कार भी प्राप्त किया।

उपसंहार

35. जब से मैंने रेलों का कार्यभार सम्हाला है, मैं भारतीय रेलों की कार्य-क्षमता और संगठन-कुशलता से बहुत प्रभावित हुआ हूं। साढ़े बारह लाख रेल कर्मचारियों के अध्यवसाय और अनुशासन, उनके अधिकारियों के बौद्धिक-स्तर, उत्साह और कर्त्तव्यनिष्ठा और रेलवे बोर्ड के नेतृत्व, दूरदर्शी आयोजन और निर्देशन ने रेलों को सबसे बड़ा ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र में सर्वाधिक सफल उपक्रम भी बना दिया है, जिसे देख कर किसी भी संगठन को स्पर्धा हो सकती है। सदन को ज्ञात है कि भारतीय रेलें संसार की कुछ उन बड़ी रेलों में से हैं जो अपना खर्च स्वयं पूरा कर लेती हैं। माननीय सदस्य निस्सन्देह मुझसे सहमत होंगे कि सीमित साधनों के बावजूद भारतीय रेलों ने देश की विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था के महत्वपूर्ण कार्य में सराहनीय योग दिया है। हमें इस बात का विश्वास है कि

भविष्य में उनके सामने देश-सेवा के जो गुरुतर कार्य आने वाले हैं, उन्हें वे कारगर ढंग से सम्हाल सकेंगी ।

(बैंकिंग विधियां (सहकारी संस्थाओं पर लागू करना) विधेयक

BANKING LAWS (APPLICATION TO COOPERATIVE SOCIETIES) BILL

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): मैं श्री ति० त० कृष्णमाचारी की ओर से प्रस्तुत करता हूं :—

> " कि कुछ सहकारी संस्थाओं के बैंकिंग व्यापार को विनियमित करने तथा उस से संबंधित विषयों के लिये रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम, 1934 और बैंकिंग कम्पनी अधिनियम, 1949 में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय " ।

1963 के दिसम्बर मास में संसद् ने एक व्यापक संशोधन विधेयक पारित किया था और हमारा इरादा इन उपबन्धों को उन में सम्मिलित करने का था । वह विधेयक वास्तव में 1 फरवरी 1964 को लागू किया गया । राज्य सरकारों ने 1963 के दौरान उन उपबन्धों को स्वीकार नहीं किया था। फिर हम ने सारे उपबन्धों को विस्तार से राज्य सरकारों के पास स्पष्टीकरण कर के भेजा, तो उन्होंने हमारी प्रस्थापनाओं को स्वीकार कर लिया । अत: वर्तमान विधेयक उस सर्वमान्य तथा स्वीकृत प्रस्थापनाओं पर आधारित करके ही प्रस्तुत किया जा रहा है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

इस स्तर पर यह ठीक ही होगा कि सहकारी संस्थाओं तथा सहकारी बैंकों के विकास तथा प्रगति का कुछ उल्लेख विस्तार से किया जाय । उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, आसाम और बिहार में सहकारी आन्दोलन ने विशेष जोर नहीं पकड़ा । अत: इन राज्यों की उस दिशा की समस्याओं पर विभिन्न ढंग से विचार किया जा रहा है । परन्तु महाराष्ट्र, गुजरात, और मद्रास में इस दिशा की सफलतायें आशातीत और प्रभावशाली हैं ।

सभी स्तरों पर सहकारी बैंकों के ऋणों तथा अग्रिम राशियों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है । ऐसा अनुमान किया जाता है कि 1965 के अन्त तक कृषि के प्रयोजनों से वर्षवार दिये गये अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋणों की राशि कोई 400 करोड़ रुपये होगी । जब कि भूबन्धक बैंकों तथा कृषिपुनर्वित्त निगम और कृषिपुनर्वित्त निगम द्वारा दिए गये दीर्घकालीन ऋण और देय राशि मिलाकर जून 1966 के अन्त तक कोई 120 से 130 करोड़ रुपये तक हो सकती है । चौथी योजना के अन्त तक हमारे सम्मुख 650 करोड़ रुपये के तुल्य अल्पकालीन व मध्यमकालीन ऋणों का लक्ष्य है तथा जून, 1971 के अन्त तक दीर्घकालीन देय ऋणों का लक्ष्य 375 करोड़ रूपये है ।

शुद्ध रूप से कृषि प्रयोजनों के लिए अपेक्षित ऋण की तुलना में गैर कृषि प्रयोजनों के लिये अपेक्षित निधियों की आवश्यकताएं निरन्तर बढ़ती जा रही हैं। अतः भविष्य में इस सम्बन्ध में सन्तोषजनक प्रबन्ध करने होंगे तथा उस ऋण के समुचित प्रयोग के लिए भी। सहकारी बैंकों का बढ़ता हुआ महत्व ही इस विधेयक का आधार है। इन बैंकों को बड़ी बड़ी राशियों का कारोबार करना है। रिजर्व बैंक धन संबंधी नीति निर्धारित करता है और वह इस महान कार्य की उपेक्षा नहीं करता। इस लिये सहकारी बैंकों के लिये भी वही नियम आदि लागू किये जाने का प्रस्ताव है जो कि साधारणतया दूसरे सुयव्वस्थित बैंकों के लिये हैं।

हम भविष्य में सभी राज्य अथवा चोटी के सहकारी बैंकों, सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों और सभी प्रारम्भिक गैर-कृषि ऋण समितियों जिनकी प्रदत्त पूंजी और रक्षित निधि एक लाख रूपये है, पर नियंत्रण रखने का प्रस्ताव कर रहे हैं। ऐसी संस्थायें लगभग 900 हैं। सहकारी समितियों द्वारा जितना ऋण दिया जायेगा उस पर इन संस्थाओं द्वारा प्रभावशाली रूप से नियंत्रण रखा जा सकता है और इस कार्य को विनियोजित किया जा सकता है। बड़े बड़े बन्धक बैंक इतना बैंक कारोबार नहीं कर रहे हैं जितनी कि सामान्यतया उन से आशा की जाती थी। जहां तक प्रारम्भिक गैर-सरकारी कृषि समितियों का सम्बन्ध है, उन के संचालन में प्रशासन सम्बन्धी कठिनाइयां हैं। इस लिये इन संस्थाओं को नहीं लिया जा रहा है।

कृषि-समितियों अथवा भूमि बन्धक बैंकों को छोड़कर सहकारी समितियों यदि वे परिभाषा के आधार पर सहकारी बैंक नहीं हैं अथवा गैर-कृषि ऋण समितियों को एक साल के संक्रमण-कालीन अवधि की समाप्ति पर बैंक कारोबार बिल्कुल ही छोड़ देना पड़ेगा। इस बात का कोई कारण नहीं है कि ऐसी समितियों को जो मुख्यतया व्यापार में हित रखती हों अथवा उपभोक्ता समितियों अथवा बचत और उधार समितियों को जो केवल अपने सदस्यों में ही हित रखती हों और साधारण जनता में हित न रखतीहों, इस कारण कोई कठिनाई हो कि उन्हें साधारण जनता से निक्षेप लेने और उधार देने के लिये इन्कार किया जाये।

अन्य वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होने वाली शर्तों के आधार पर नियंत्रित बैंकों के निक्षेपों को भी संरक्षित किया जाना, नियंत्रण बढ़ाये जाने का एक स्वाभाविक परिणाम है। आशा की जाती है कि इस बारे में रिजर्व बैंक के प्रस्ताव राज्य सरकारों को स्वीकृत होंगे। निक्षेप बीमा निगम अधिनियम, 1961, में संशोधन करने वाले विधेयक को अंतिम रूप देकर उचित समय पर सभा में लाया जायेगा। इस विधेयक के उपबन्धों को लागू करने का दायित्व कृषि ऋण विभाग को सौंपा जायेगा।

मैं ने यह बात तो आरम्भ में ही कह दी थी कि यह अविवादास्पद विधेयक है। इस में सहकारी संस्थाओं तथा निकायों को लाभ पहुंचेगा। सदन को उसका स्वागत करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री पु० रा० पटेल (पाटन): मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। यह सहकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने वाला सिद्ध होगा। सहकारी क्षेत्र, सरकार और गैर सरकारी क्षेत्र के बीच एक अच्छा समन्वय है। इस क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है। अतः इस दिशा में सचेत

होने की आवश्यकता है । इस बात की ओर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह क्षेत्र असफल न हो ।

इस दिशा की सब से जरूरी बात यह है कि लोगों में सहकारिता के बारे में विश्वास पैदा किया जाय । इस उद्देश्य की पूर्ती के लिए किसी न किसी को तो सतर्क रहना ही होगा । जब सहकारी क्षेत्र द्वारा बैंक का कार्य किया जा रहा है तो इस क्षेत्र पर भी बैंक सम्बन्धी नियम लागू किये जाने चाहिएं ।

इसके अतिरिक्त राज्य का सहकारी विभाग सहकारी बैंकों की मूल्यों को छिपाने का प्रयत्न करता है । यह नीति गलत है । बैंक का विषय केन्द्रीय विषय होना चाहिए और सहकारी बैंकों को व्यापारी बैंकों के समान स्तर का ही समझा जाना चाहिए । ऐसा करने पर सहकारी क्षेत्र में चल रहे बैंकों के कार्य पर अधिक सतर्कता रखी जा सके । यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी बैंकों को कुछ विशेष रूप से भी रियायतें दी जानी चाहिए ।

श्री शं० शा० मोरे (पूना) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । इस से सहकारिता को काफी प्रोत्साहन मिलेगा । इसके अतिरिक्त सहकारी क्षेत्र में जो कुछ बुराइयां प्रचलित रही हैं वे भी दूर हो जायेंगी । यह ठीक है कि रक्षित बैंक को जो प्राधिकार दिये गये हैं, मेरे विचार में यह उचित ही है । इस से यह लाभ होगा कि समाजवादी समाज की स्थापना की ओर बढ़ने में सहायता प्राप्त होगी ।

यह भी है कि इस तरह दोहरा नियंत्रण रहेगा अर्थात् रजिस्ट्रार के माध्यम से राज्य सरकार का और रक्षित बैंक के माध्यम से केन्द्रीय सरकार का । मेरा यह भी सुझाव है कि प्राधिकारियों को परस्पर सहयोग और परामर्श से काम करना चाहिये । इस से प्रशासन का कार्य अधिक सुचारू रूप से चलेगा । व्यापारी बैंकों और सहकारी बैंकों पर एक ही प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए । सरकारी समितियों के साथ तो उदारता का व्यवहार होना ही चाहिए ।

श्री फिरोडिया (अहमदनगर): मैं विधेयक का स्वागत करत हूं । मेरा यह मत है कि यह अच्छा होता यदि राष्ट्रीय सहकारी संघ का भी परामर्श ले लिया जाता । वह सहकारिता का देश में सब से बड़ा निकाय है । इस पर भी मैं वित्त मंत्री के इस उद्गार से सहमत हूं कि यह विधेयक विवादास्पद नहीं है ।

मेरा निवेदन यह है कि विधेयक में लगाई गयी रोक कि इस अधिनियम द्वारा नियंत्रित बैंक रक्षित बैंक की आज्ञा के बिना अपना [illegible] या किसी दूसरी सहकारी संस्था में नहीं लगा सकेंगे, कुछ ठीक नहीं लगती । इससे सहकारी आंदोलन को प्रोत्साहन के राह में बड़ी भारी रुकावट पैदा हो जायेगी । सुझाव यह है कि सहकारी बैंकों पर यह रोक नहीं लगानी चाहिए । उसके स्थान पर यह रखा जाना चाहिए कि पंजीयक की अनुमति लेना उस हालत में जरूरी होगा जब कि सरकारी संस्थायें कुछ विशेष राशि से अधिक किसी चीज में लगाना हो ।

राज्यों द्वारा सहकारी संस्थाओं पर लगाये जा रहे प्रतिबन्धों को ध्यान में रखते हुए उन्हें कुछ अधिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए । जमा बीमा योजना को सहकारी बैंकों पर भी लागू किया जाना ही चाहिए था, अतः इस निर्णय का स्वागत है । इसे तुरन्त लागू कर देना चाहिये । यदि हमने ऐसा न किया तो व्यापारी बैंक अथवा राज्य बैंक इस पूंजी को अपनी ओर खैंच लेंगे । यह नहीं होने देना चाहिए ।

यदि स्थिति यह हो कि नगर क्षेत्रों के बैंकों का संचालन क्षेत्र एक ताल्लुक अथवा नगर अथवा जिला हो तो जिले में अथवा संचालन क्षेत्र में बैंक की शाखायें खोलने का कार्य किया जाना चाहिए। मैं मंत्री महोदय के इन सुझावों का स्वागत करता हूं कि कृषि ऋण सम्बन्धी अस्थायी समिति से सभी महत्वपूर्ण मामलों में परामर्श किया जाय । कृषि ऋण विभाग को वर्तमान विधि को लागू करने का भार सौंपा जाना चाहिए ।

मुझे आशा है कि हम जो नियंत्रण इस विधेयक द्वारा सहकारी बैंकों पर लगा रहे हैं, इससे उनके कार्य में सुधार होगा और देश की सेवा में अधिक लाभदायक सिद्ध होंगे ।

Shri Gauri Shankar Kakkar (Fatehpur) : I want to say a few things regarding this Bill which is before the House at present. There is no doubt about it that the work of the cooperatives have increased in the country. Every Cooperative Bank is having a paid up Capital worth about a lakh at least. I welcome this Bill.

I may state that the Reserve Bank charged interest at the rate of 1½ or 2 per cent from the Appex Banks but a cultivator, who is a member of the Primary Society, have to pay interest at the rate of 7 to 9 per cent. The Reserve Bank should ensure that there should not be so much disparity in the rates of interests. The interest of those for whose benefit the cooperative movement is meant for, should be always kept in mind. They should not be compelled to pay the interest at the rate of 7 to 9 per cent on short term loans.

If the Reserve Bank wanted to treat the Cooperative Banks like the non-sheduled banks, banking and charging of interest by the banks, should be under the control of the Reserve Bank. That right should not be conferred on the Registrars. It is very essential that everything pertaining to cooperation should be watched by the Reserve Bank, so that the agricultuists may reap some benefit.

I am of the opinion that there is no need for Apex Banks, they should be stopped. The result of this will be that the rate of interest will come down by 1½ to 2 per cent on loan which the members of the Primary Societies get from district and Cooperative Banks. With these suggestions, I welcome this Bill.

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur) : It is satisfying to note that the facilities which Commercial Banks are enjoying will be available to the Cooperative Societies. There is no doubt about it that the present Bill will lead to great progress in the field of Cooperation. I shall urge upon the Government to change the original Act of 1912, so that the intereference of the Government officials in the work of the cooperative may stop.

I am sure that if the change is brought about in the Act itself it will lead to the progress of cooperative movement on which the progress of the country depends. It will be in the interest of the country if the legislation applicable to the whole country should be enacted. This will rouse the country wide interest in the cooperative movement. With these words I welcome the Bill.

Shri A. S. Saigal (Janjgir) : I rise to support this Bill. It was observed that the rate of interest at which the cooperative societies get loan i really exorbitant. That should be reduced, otherwise it will not be possible for the cooperative societies to function. The Act of 1912 should be amended in the light of the changed circumstances. I must stress that the right which the Act has given to the Registrar should be given to persons who are engaged in the work of cooperative movement. This is a very important matter.

Government officials should not be allowed to interfere in the work of cooperatives. If the Government officials impose their decisions, it will thwart the progress of cooperation. The provision for the appointment of a liquidator is welcome. We should also look to this fact that in case a bank is not working properly, he should have the right to liquidate that Bank.

It has been provided in the Chapter III that the cash reserves of Scheduled Banks should be kept with the Banks. But I feel that the effect of the present enactment will be a great set-back for the open transactions, which the Banks are doing at present. A bank should deposit its surplus money if it is not invested in any business. But, if that money is invested in business, it should not be required to be deposited. With these words I support the Bill.

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur) : I support this Bill and feel sorry that it has not been brought earlier. This is also a well-known factor that there are number of bogus cooperative societies. The dishonest who are controlling such societies are making lots of money. The Government have done nothing in this matter in spite of many complaints. I am of the opinion that the present Bill when becomes an Act will enable the Government to get money out of the pockets of such dishonest people.

I am welcoming this Bill in as much as the dishonest persons would be set right and the State Ministers will also not be able to exercise their influence to give protection to the corrupt people. It has been hoped that the Central Ministers will not succumb to the influence of such dishonest persons. The present enactment should be enforced properly.

I would also like to stress that in sub-section 2 of section 1, a provision has been made in the Bill that it will come into force on such date as the Central Government may by notification in the official gazette appoint. I feel that the Bill should come into force as soon as it is passed. With these words I support this Bill.

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga) : I support this Bill. I am of the opinion that the cooperative movement should be given a fillip in the country. This should be done particularly in the backward areas. It is rightly felt that the Reserve Bank will be very helpful by having its control. I would also like to draw the attention of the Minister to this effect that so far as the opening of new branches by the cooperative banks are concerned, the Reserve Bank should pay special attention to this important aspect of this matter. If attitude of the Reserve Bank will not be sympathetic we shall have to face very difficult situation. If the cooperative banks have to come into the competition with the Commercial Bank then they stand nowhere.

At the same time I may also state that the cooperative banks also be controlled by the Agricultural Cooperative Department. This factor should also be kept in mind that when other changes, are being made, the Insurance Deposit Act should also be amended so that it may also be applicable to the

Cooperative Banks. As far as I know this fact was stated by the Governor of the Reserve Bank in the conference of the Agricultural Ministers. This thing has not been included into this Bill.

The money that is given to the Cooperative Credit Societies by the Reserve Bank is for the people. The rate of interest that is charged on this money is not more than 2 per cent. But the rate of interest, which the members of the Cooperative Societies have to pay is very high. Efforts should be made to bring it down. In this matter you can strict control over the Cooperative Societies. We should treat the Cooperative Societies in such a way that the cooperative movement should spread throughout the country.

Shri D. S. Chaudhri (Mathura): I support this Bill and feel that there is a great need of such laws which might control the cooperative growth. We should see that the laws should however, be workable. Our main purpose should be to develop the Cooperative movement. But, neither the Reserve Bank nor the State Governments are prepared to offer any practical guidance in respect of the cooperative movement. We should realize that the farmers in the country do not know of any production plans. In spite of this such plans serve as the basis for the grant of loans to them.

This is also an important factor, which should be kept in our mind that is according to the rules of the Reserve Bank, the Status of a Bank is reduced from A to B class. Consequently, the extent of loans to be granted to it is also reduced, if its realization fall short of 80%. I feel that it is not a helpful practice.

I would also like to stress that the debts on the farmers, should be converted into medium term or long-term loans, so that they were not compelled to sell their produce at uneconomic prices. I am of the opinion that if the Government want the share capital of the cooperative to increase, the Act should be applied to the banks of district level alone. Minister should also see that the Land Mortgage Banks should be renamed as Land Development Banks. We should also feel that only laws are not the only thing required, we must adopt the practical point of view.

Shri K. K. Verma (Sultanpur) : I support the Bill which is at present before the House. In spite of so many laws enacted to give encouragement to the cooperative movement, but we find corruption everywhere. The incidents are rampant that the money was misappropriated.

It has come to the notice of all of us that the money advanced to members of cooperatives is not realized and further loans are granted for the repayment of old loans. This is a strange thing and I am of the opinion that this is the main cause of the deteriorated economic condition of the farmers.

We have also seen that in spite of the provision for a democratic set up in the cooperatives, the elections are generally fictitious and guided by the inspectors and supervisors who are generally interested in the preparation of false accounts. I will urge that interference by the bureaucracy should not be allowed.

I would like to draw the attention of the honourable Minister that the Bill is good inasmuch as it provides for the control by the Reserve Bank of India. The powers which are to be given to the Reserve Bank should be properly utilised to check corruption, mismanagement and misappropriation. The cooperative movement is not doing any progress at all. If the Bill is utilized to improve

the conditions in this connection it will be very good. With these words I welcome this Bill.

Shri B. R. Bhagat : I feel that it is a matter of great pleasure that the House has very strongly supported this Bill. Even the non-official elements associated with the cooperative movement including Prof. Gadgil have given their support to this measure. The State Governments have also given their full support to this Bill. As regards the Deposit Insurance Scheme, the State Governments are being consulted and its benefits would be extended to the Cooperative Banks also.

The rural credit system have progressed well in the country except in five States in the eastern region. In this region we are making arrangements for rural credit through other agencies. As far as the developed areas are concerned, the present Bill would strengthen the position. The cooperative movement has a very good future. The suggestions made during the debate will be given due consideration. The fears expressed by Shri G. S. Kakkar regarding difficulties involved in the control provided in Section 19 were unfounded.

This is a sound banking principle that if the money is obtained for a small period and is given for a longer period, the position of the capital is weakened. This principle is applicable in the case of cooperative bankers also. Limitation on investment by Cooperative Banks in the shares of Cooperatives is necessary. However, more money can be given to Cooperative Societies for their promotional activities.

There is no restriction on Cooperative Banks, other than District Cooperative Banks, to open their branches, as had been alleged. The Reserve Bank only Coordinates the expansion programmes of the various banks for opening branches. As regards the applicability of the same standards to Cooperative Banks as to other banks, the peculiar requirements and difficulties of the Cooperative Banks, will be given due consideration.

This is also a fact that notification of a date regarding enforcement of the Act is not possible in the Act for certain preparations have to be made before actually enforcing the Act. The approval of the Maharashtra Government in connection with the Bill has also been obtained. Certain points were raised by the Maharashtra Chief Minister, the reply of which have been given by the Finance Minister. The Bill has nothing to do with the Land Mortgage Banks.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि कुछ सहकारी संस्थाओं के बैंकिंग व्यापार को विनियमित करने तथा उससे संबंधित विषयों के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1934 और बैंकिंग समवाय अधिनियम, 1949 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंडवार चर्चा करेंगे ।

खंड 2--(परिभाषायें)

श्री शिवाजी रा० श० देशमुख : वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का उद्देश्य महान है । परन्तु मुझे भय यह है कि जो कुछ वर्तमान अवस्था में इसका रूप है, उससे इस महान उद्देश्य को पूरा करने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती । इस संदर्भ में मेरा निवेदन यह है कि यद्यपि सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कुछ न्यूनतम वित्तीय नियंत्रण की आवश्यकता है । इस पर भी उनके सामान्य रूप से कार्य करने के लिए नियंत्रण के विभिन्न सिद्धांतों की आवश्यकता है । सहकारी बैंकों को रक्षित बैंक को सौंपना मेरे विचार में सहकारी आंदोलन की प्रगति के लिए घातक सिद्ध होगा । अतः इस बात पर माननीय मंत्री महोदय को गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए ।

कृषकों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रारम्भिक सहकारी संस्थायें बनाई गई हैं । विधेयक उन पर दोहरा नियंत्रण स्थापित करता है--एक राज्य सरकार का और दूसरा वित्तीय तथा बैंकिंग मामलों में रिजर्व बैंक का । रिजर्व बैंक एक बात चाहता है और राज्य सरकारें बिल्कुल विभिन्न बात चाहती हैं तो इससे असंगत स्थिति हो जायेगी ।

यह विधेयक बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग का प्रशासनिक उत्तर दिखाई देता है । यदि सहकारी संस्थायें रिजर्व बैंक के सीधे नियंत्रण में आ जायेंगी तो दूसरा परिणाम यह होगा कि वह देश में समाप्त हो जायेंगी । एक विशेष रूप--वित्तीय नियंत्रण--के अभाव के कारण बता कर रिजर्व बैंक ने कुछ बैंकों को बन्द कर दिया है । सहकारी बैंकों की विशेष स्थितियों को समझे बिना रिजर्व बैंक के निर्देश देने का कोई लाभ नहीं होगा ।

रिजर्व बैंक ने बैंक दर से 2 प्रतिशत कम पर और 2 प्रतिशत पर भी ग्रामीण ऋण दिया है । परन्तु ब्याज 10 प्रतिशत तक पहुंच जाता है जब कृषकों को ऋण दिया जाता है । क्या रिजर्व बैंक कृषकों को उसी दर से ग्रामीण ऋण देने को तैयार है जिस पर वह छोटी बैंकों के को ऋण देता है । क्योंकि रिजर्व बैंक व्यक्तिक सौदों के बारे में प्राप्त हुई घटिया रिपोर्टों पर चलेगा इसलिए वित्तीय नियंत्रण लागू करने का यह ठीक आधार नहीं होगा ।

सरकार ने सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में सारे कार्य का पूर्ण नियंत्रण रिजर्व बैंक को दे दिया है परन्तु उसने वाणिज्यिक बैंकों में निक्षेपकों के लिए कोई मूल सुरक्षा का प्रबंध नहीं किया है । सहकारी संस्थाओं सम्बन्धी संविधि को बदलते समय निक्षेप बीमा निगम अधिनियम से अलग रहने में कोई बुद्धिमत्ता नहीं है ।

इस विधेयक को वापस लिया जाय तथा इसे समुचित रूप में निक्षेप बीमा योजना के उपबंधों की प्रभुक्ति के साथ साथ समुचित समय पर प्रस्तुत किया जाय । इस विधेयक में दी गई परिभाषाओं से सहकारी बैंक नितान्त रूप से रिजर्व बैंक पर रह जायेंगे तथा उससे सारे सहकारी ढांचे पर प्रभाव पड़ेगा ।

इस विधेयक में दी गई परिभाषाओं का प्रभाव यह होगा कि सहकारी बैंक, रिज़र्व बैंक के आधीन हो जायेंगे और यह सहकारी आंदोलन की प्रगति के लिये घातक सिद्ध होगा ।

गांवों में दो प्रकार से ऋण लिया जा सकता है एक, तकावी कर्ज तथा दूसरे सहकारी संस्थाओं द्वारा । जहां तकावी समाप्त कर दी गई है, जैसे महाराष्ट्र में, वहां केवल एक ही स्रोत है और वह है

[श्री शिवाजी राव श० देशमुख]

सहकारी संस्थाओं का परन्तु यदि उन पर ऐसे नियंत्रण लगाये गये जिन से वह कर्जे देने से असमर्थ हो जांय तो यह भुवनेश्वर भावना के विपरीत होगा और इससे सहकारी कार्य समाप्त हो जायेंगे। इसलिये यह विधेयक इस रूप में वापिस ले लिया जाना चाहिये। इसके यह प्रमाण हैं कि रिजर्व बैंक ने ग्रामीण कर्जों की देखभाल करने के बजाय उन्हें नष्ट होने दिया है और उत्पादकों को दिये जाने वाले ऋणों का नियंत्रण स्वयं सम्भाल लिया है। यह सभा ऐसा कभी नहीं होने देना चाहेगी। इसलिये मेरा कहना है कि अब भी वित्त मंत्री जी विधेयक को इस रूप में वापिस ले लें इससे वह देश की, तथा विशेषकर, सहकारी आंदोलन की सेवा करेंगे।

Shri Parashar (Shivpuri) : I want to oppose the Bill and the new clause proposed to be added to it regarding definitions, because Reserve Bank has caused the cooperative movement to whither away rather than nurture it. To tighten the control of Reserve Bank over Cooperative Societies in districts will render them powerless to offer loans to the needy at the time of greatest need. I would suggest the setting up of an independent Bank for Co-operatives outside the ambit of the Reserve Bank who will look after the expansion of Cooperatives and who will be able to understand their difficulties.

I would therefore request that it would be better if some more time is allotted for consideration of this Bill in the interests of serving Cooperatives better.

Shri D. S. Patil (Yeotmal) : This Bill affects adversely the Cooperative Societies particularly in Maharashtra. The objections raised by its Chief Minister were conveyed to the Finance Minister but they have not been looked into.

The conditions imposed on Primary Agriculture Credit Societies, mentioned in clause 2, regarding giving of loans are hypothetical. Because the difficulties of growers are understood only by these Primary Societies whereas the Reserve Bank asks for prerequisits as laid down on paper. 'A' class Societies will be affected still more adversely.

Cooperative land Mortgage Bank mentioned in the Bill does not exist in Maharashtra Only land Development Banks are there.

Shri B. R. Bhagat : This very bank looks after land mortgage also.

[**श्री खाडिलकर** पीठासीन हुए
SHRI KHADILKAR *in the Chair*.]

Shri D. S. Patil : It is necessary that both the words should be included in the Bill. It was also assured that Primary Agricultural Credit Society, Cooperative Land Mortgage Bank and any other Cooperative Society will not come under Banking Laws. Do these Laws apply to Land Development Banks in Maharashtra ?

Shri B. R. Bhagat : No.

Shri Bishan Chander Seth : (Etah) : Whatever the hon. member speaking before me has said might be true of Maharashtra, but as far as I know the general administration of Cooperative Banks requires overhauling. There is no money in the Banks, only paper entries are made and crores of rupees are in jeopardy. I would, therefore welcome this Bill and overall control of Reserve Bank over these Banks to save and protect public money. The details as in Maharashtra's case might be looked into by the Finance Minister.

श्री ब० रा० भगत : मैंने माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त किये गये भय को दूर करने का प्रयत्न किया है। सहकारी आन्दोलन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का हमारा विचार नहीं है। मैं यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिला सहकारी बैंकों के अतिरिक्त अन्य सहकारी बैंकों को शाखायें खोलने सम्बन्धी कोई प्रतिबन्ध नहीं है। कुल मिला कर उनकी संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस विधान से जन हित में सहकारी क्षेत्रों को शक्तिशाली बनाने का विचार है। हम निक्षेप बीमा योजना को भी सहकारी क्षेत्रों में चालू करेंगे। इसके साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि जहां तक सहकारी बैंकों सम्बन्धी अन्य बैंकों जैसे प्रमाप लागू करने का सम्बन्ध है सहकारी बैंकों और उनकी आवश्यकताओं पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जायेगा।

इस विधेयक के सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है। यह आशंका निराधार है कि रक्षित बैंक सहकारी बैंकों को अनावश्यक हस्तक्षेप करता है अथवा करेगा। इससे तो सहकारी आन्दोलन को निश्चित रूप से प्रोत्साहन प्राप्त होगा। दोहरे नियंत्रण का भी कोई प्रश्न नहीं है। भूमि बन्धक बैंकों को भी इस विधेयक के अन्तर्गत नहीं लिया जा रहा है। इस के बारे में कानूनी सलाह कर ली गयी थी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

श्री शिवाजी राव, शं० देशमुख (परमणी) : मैं खंड 3 पर बोलना चाहता हूं। मेरा निवेदन यह है कि सहकारी बैंकों के साथ बिल्कुल वही व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए जैसा कि अन्य व्यापारी बैंकों के साथ होता है। मेरा मत तो यह है कि ऐसे सब व्यक्ति जिनके दिल में सहकारिता का हित है वे यह चाहेंगे कि इस खंड 3 को समाप्त कर दिया जाये।

सभापति महोदय : मैं खंड 3 को अलग से प्रस्तुत करता हूं।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : मेरा विचार है कि इसे वर्तमान अवस्था में सभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक पर अग्रेतर चर्चा स्थगित की जाये।"

श्री पराशर : मैं इसका समर्थन करता हूं।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

श्री ब० रा० भगत : मैं इस स्थगन प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पर अग्रेतर चर्चा स्थगित की जाय।"

लोक सभा में मत विभाजन

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 64 ; विपक्ष में 109

Ayes 64; Noes 109

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

चौतीसवां प्रतिवेदन

श्री राने (बुलडाना) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का चौतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम स्थगन प्रस्ताव की ओर आते हैं, विधेयक पर चर्चा कल जारी रहेगी ।

स्थगन प्रस्ताव

MOTION FOR ADJOURNMENT

भाषा के मामले को सुलझाने में सरकार की असफलता

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता केन्द्रीय) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि सभा अब स्थगित होती है ।" मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं ताकि हाल ही में दक्षिण में जो घटनायें हुई हैं उन पर सदन में विचार किया जाये । वहां बड़ी भयानक स्थिति का निर्माण हुआ, परन्तु हमारी सरकार वहां स्थिति का मुकाबला करने में नितान्त असफल रही ।

मेरा निवेदन यह है कि सरकार तमिलनाद में उत्पन्न हुई स्थिति और उसका जो प्रभाव दूसरे स्थानों पर पड़ा है उसे सम्भालने में बिल्कुल असफल रही है । सरकार अभिमानवश के कारण इस स्थिति का ठीक अन्दाजा नहीं लगा सकी है और जनता की भावनाओं के प्रति सहानुभूति प्रकट नहीं कर सकी है और इसके कारण ही तमिलनाद में यह उपद्रव हुए हैं । उस राज्य में जो घटनायें घटी हैं उनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए । इन घटनाओं से सरकार को सावधान हो जाना चाहिए । सतारूढ़ दल भाषा के प्रश्न की जटिलता को समझने में सदैव ही असफल रहा है । सरकार की नीतियां अस्पष्ट और अनिश्चित रही हैं । प्रधान मंत्री को इन बातों का पहले ही पता लग जाना चाहिए था कि हिन्दी किसी पर लादी नहीं जाएगी और कि इस बारे में श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए आश्वासनों का पालन किया जाएगा ।

जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार ने हिन्दी की सहायता की है यदि वह उसी प्रकार दूसरी भाषाओं के लिये भी सुविधायें प्रदान करती और यदि सरकार ने पत्र-व्यवहार के लिये केन्द्र में हिन्दी का प्रयोग न्यूनतम सीमा तक रखा होता तो आज तक हिन्दी के बारे में स्वेच्छापूर्वक समझौता हो जाता। सरकार द्वारा बिना सोचे समझे कार्य किया जाना और हिन्दी में अन्धविश्वास रखने वाले लोगों के दोषों के कारण ही आज यह स्थिति उत्पन्न हो गई है कि हिन्दी का इतना विरोध किया जा रहा है। हमारी भाषाओं को भी उचित स्थान दिया जाना चाहिए। केवल समय के साथ साथ ही बहुत संख्या में लोग हिन्दी बोलने लगेंगे और हिन्दी सारे भारत की सम्पर्क भाषा बन जाएगी।

वर्तमान संकट को दूर करने के लिये भरसक प्रयत्न किये जाने चाहिये। सम्बद्ध राज्यों में उन राज्यों की भाषाओं को सरकारी भाषा बनाने के लिये सरकार द्वारा सहायता दी जानी चाहिये और राज्यों में शिक्षा का माध्यम उनकी अपनी भाषायें होना चाहिये। दूसरी भाषाओं के विकास के लिये भी सरकार को धन संबंधी सहायता देनी चाहिये। सारे विधेयक और कागजात आदि भिन्न भिन्न भाषाओं में उपलब्ध किये जाने चाहिये। संसद् सदस्यों और विधान मंडलों के सदस्यों को यह अधिकार होना चाहिये कि वे अपनी ही मातृभाषा में भाषण दें और इसके साथ साथ अनुवाद की भी सुविधा होनी चाहिये।

हालांकि हिन्दी को अन्ततः राजभाषा बनना है परन्तु फिर भी हमें इस बारे में कोई जल्दी नहीं करनी चाहिये। भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों पर अमल होना चाहिये। सेवाओं के लिये परीक्षायें भारत की भिन्न भिन्न भाषाओं में ही होनी चाहिये और जब तक इस बारे में निर्णय नहीं हो जाता परीक्षायें केवल अंग्रेजी में ही ली जानी चाहियें। आज हमारा मुख्य कार्य यह है कि हम दक्षिण भारत की जनता को पहुंची हुई ठेस के लिए उनसे सहानुभूति प्रकट करें। जहां जहां गोलियां चली हैं वहां न्यायिक जांच होनी चाहिये। मद्रास में हुई घटनाओं से सरकार को सबक सीखना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया गया तो सरकार को शासन छोड़ना पड़ेगा।

मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा कि देश की एकता की दृष्टि से मामलों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहियें। एक प्रभावशाली भाषा नीति का निर्माण किया जाना चाहिये। देश में नेतृत्व समाप्त होता दिखाई दे रहा है। दक्षिण में हुई घटनाओं से हमें शिक्षा लेनी है। यदि सरकार ठीक ढंग से कार्य न कर सकी तो उसे अपना स्थान खाली करना होगा। दक्षिण की घटनाओं ने हमें चेतावनी दी है और मैं चाहता हुं कि अपने इस स्थगन प्रस्ताव को सदन के समक्ष प्रस्तुत करके देश का ध्यान इस चेतावनी की ओर आकृष्ट करवा दूं।

Shri Rameshwaranand (Karnal) : I rise on a point of order sir. English will not be the official language after 1965. We are living in democracy. The will of the one percent should not be imposed on 99 percent of people.

Mr. Speaker : Shri Trivedi.

Shri U.M. Trivedi (Mandsaur) **:** I feel sorry for what has happened in the South. Government also failed to duty their duty properly. Who

is to be blamed. This we have to find out. When we framed the Constitution, it was very clearly laid down that Hindi would become the official language of the Country after 15 years. The article 243 and 248 also have a clear provision to this effect. But due to certain reasons late Shri Jawaharlal Nehru brought about the Official Language Act and was passed by this House, a few years ago. After that nothing special has been done in this connection which might create any apprehensions or fear in the minds of the people belonging to the non-Hindi States. It was very clearly provided in the Official Languages Act that English will continue to be the associate language. We don't think there has been any attempt in any quarter to impose Hindi on the Non-Hindi knowing people. But this we should understand that English is not our mother tongue. If we can adopt English as our official language, what is the difficulty in adopting Hindi which is our own, as our official language.

I feel we have not done any serious attempt in this direction. We never tried to teach Hindi to our people. But one thing is certain and that is that Hindi is understood in every part of the country. If there is any language which can become the official language of our country that is Hindi. I feel that opposition to Hindi in the South is because of those who always, think in terms of Services. They fear that coming of Hindi will lower down their chances of entering into the Services. I am not Hindi speaking, I come from Gujrat, but I feel that Hindi is the only language which can really play a part of being an official language.

It may also be stated that those who had sworn by the Constitution should coolly think why and how can they oppose Hindi ; as Hindi has been accepted by the Constitution as the official language. I am of the opinion that if the Government have taken suitable steps in regard to the introduction of Hindi from the very beginning, the present difficulties would not have arisen at all. The Policy of appeasement has been all along the ruin of the country. It must be stopped forthwith.

Shri Paliwal (Hindaun) : The language issue has really become very grave. Certain elements, without reason made the situation very grave, due to the disturbances in the South. We have to consider the issue very seriously. The Government and the people have to be vigilant against the activities of those elements who want to see the country divided into North and South. These people want that disturbed conditions to prevail so that they may have an opportunity to foster their designs and thereby achieve their ulterior motives.

This should also be very clearly understood that one of the fundamental factors for the maintenance of unity and integrity of the country is a common language. While we have to see that all regional languages fully and properly develope, we have also to see that we have a language which can provide us a link between the States. Therefore, I feel that ultimately, Hindi have to take that play. English is a foreign language and cannot continue to play that role for all times to come.

With these views, I am also of the opinion that the difficulties of the non-Hindi-Speaking people should not be over-looked. They should be very sympathetically considered. The interests of the people of the South will have to be protected. Nothing should be done in haste. I wish that maximum facilities should be given to them and the time limit should be also reasonable.

The overwhelming majority of the people in this country desires that the unity of the country should be kept up at all costs. Therefore my humble submission is that the whole matter ought to be considered in a conference with a cool mind. A phased programme ought to be evolved which may be acceptable to all concerned. At the same time we must be very alert to see that the lawlessness does not spread. Government should never fail to suppress lawless elements who always try to take advantage of the situation. The activities of such elements have their reactions in other areas. People should not be made to believe that they can get their demands conceded by creating lawlessness. People who believe in such like things should be suppressed with iron hand in the interests of the unity of our beloved motherland.

श्री मनोहरन (मद्रास-दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, जनसंघ के नेता श्री त्रिवेदी जी कह रहे थे कि केवल हिन्दी ही एकमात्र राजभाषा होगी, किन्तु मैं दक्षिण भारतीयों की ओर से यह कहता हूं कि हिन्दी ही केवल एकमात्र राज भाषा नहीं हो सकती और न ही होगी। (**अन्तर्बाधायें**)

गत 20 दिनों में मद्रास तथा शेष दक्षिण भारत में जो कुछ हुआ है उसके बारे में मुझे कहना है। 25 जनवरी को मद्रास के कालेजों के 50,000 छात्रों ने हिन्दी को थोपे जाने के विरुद्ध जलूस निकाला। वे मेरे राज्य के मुख्य मंत्री जी से मिलने के लिये गए किन्तु उन्होंने बड़ी घृष्ठतापूर्वक उनसे मिलने से इनकार कर दिया। जिसके फलस्वरूप छात्र समुदाय में आवेश की लहर फैल गई। 25 तारीख की अर्धरात्रि से मद्रास राज्य में डी. एम. के. के नेताओं को बिना कारण बताये गिरफ्तार करना आरम्भ कर दिया गया, हमने 26 जनवरी 1965 को शोक दिवस के रूप में मनाने का एक संकल्प पारित किया था क्योंकि उस विशेष तिथि से ही हिन्दी को देश की राजभाषा बनाया गया। इसी कारण हमने उक्त दिन को चुनना उपयुक्त समझा। हमने हर खंड में 100 बैठकें किये जाने की घोषणा की। किन्तु विधि तथा व्यवस्था के प्रश्न पर विचार करते हुए पुलिस ने हस्तक्षेप किया और हमसे केवल एक ही बैठक करने को कहा ताकि सुरक्षा आदि की समुचित व्यवस्था की जा सके। हमने मंजूर कर लिया।

25 जनवरी की अर्धरात्रि में, वहां के कांग्रेस दल के सचिव द्वारा परिपोषित गुंडे अथवा कांग्रेसी गुंडे वैंकटेश्वर छात्रावास में घुस गए और 26 तारीख प्रातः काल पुलिस ने वैंकटेश्वर तथा ला कालेज के छात्रावासों में छापा मार दिया . . . (**अंन्तर्बाधायें**)।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। माननीय सदस्य ऐसी बातों का आरम्भ न करें जिससे कि फिर अशांति भड़क उठे। अतः वह संयम से काम लें।

श्री मनोहरन : 25 तारीख के प्रातः मदुराई में लगभग सभी हाई स्कूलों के छात्रों ने एक शांतिपूर्ण जलूस निकाला, किन्तु जिला कांग्रेस समिति कार्यालय के गुंडों द्वारा उन पर घातक हथियारों से प्रहार किया गया और छात्रों को गिरफ्तार किया गया।

27 तारीख को अन्नामलाई विश्वविद्यालय के छात्रों के जलूस पर पुलिस ने गोली चलाई। वहां कई इंजिनियरिंग तथा आर्टस कालेजों के छात्रों को ही नहीं अपितु प्रिंसिपल, प्रोफसरों आदि पर भी लाठी चार्ज किया गया तथा उन्हें बुरी तरह पीटा गया। तामिलनाद में 30,000 डी. ए. के. कार्यकर्त्ताओं को पकड़ा गया।

इन घटनाओं के तुरन्त पश्चात् मद्रास के मुख्य मंत्री ने सब कालेजों को बन्द किये जाने की घोषणा कर दी और यह भी कहा कि ऐसा किये जाने पर 5 करोड़ रुपयों का अर्जन अथवा

[श्री मनोहरन]

बचत होगी। संसार में कहीं भी आप को इस प्रकार का राजनैतिक व्यवहार देखने को नहीं मिलेगा ।

कई स्थानों पर गोलियां चलाई गयीं। सेना को सावधान किया गया। 150 से भी अधिक व्यक्ति मारे गए। अन्धाधुंध तौर पर गोलियों की वर्षा की गई। मद्रास राज्य में विधि और व्यवस्था का अन्त हो गया और वहां अराजकता फैल गई।

ऐसी हालत में तुरन्त मैंने मद्रास के मुख्य मंत्री तथा उनके क्रूर, नगण्य, हठी तथा रक्त-पिपासु मंत्रि मंडल को समाप्त किये जाने के बारे में चार तार, एक प्रधान मन्त्री को, एक राष्ट्रपति, को एक गृह-कार्य मंत्री को तथा चौथा मद्रास के राज्यपाल को भेजे।

एक माननीय सदस्य : यह आपत्तिजनक है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिये।

श्री मनोहरन : अन्त में—पांच व्यक्तियों ने स्वयं अपने प्राणों की आहुति दे दी। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप वहां के लोगों के विचारों की उग्रता तथा उनकी गहनता को समझिये ।

हम दक्षिण भारतीय —जिसमें कि मैं बंगाल, आसाम, उड़ीसा तथा लालगूत श्री मोरारजी देसाई के गुजरात के निवासियों को भी सम्मिलित कर सकता हूं—कभी भी केवल हिन्दी को ही राजभाषा नहीं बनने देंगे। अतः मैं विशेष रूप से प्रधान मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले में न्यायिक जांच करवायें।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Mr. Speaker, Sir, unfortunately I was born in a Hindi speaking state, I regret to say that Hindi has been meted out a step motherly treatment by the Government during the last seventeen years.

I vividly remember that a small anti Hindi procession of teen-agers was taken out in the city of Madras, on the 26th January, 1965. Immediately a few hours after, a bigger procession of Pro-Hindi people was also taken out. The situation was quite normal after listening to a policy broadcast by the Home Minister, Shri Nanda. But a Second birth was given to the anti-Hindi agitation by the four prominent leaders who met together at Bangalore on the occasion of the birth day of Shri Nijalingappa. The second tragic event was that the Congress President Shri Kamraj asked the people in a Public Meeting to throw away the letters received in Hindi. Now he denies his own statement and , on the other hand, says that he had simply asked the people to neglect the letters received in Hindi. He gives an inconsistant statement in Hindi speaking areas. Another reason behind this agitation is contradictory statements made by the two Union Ministers in Hyderabad. This situation would have subsided but the resignations of two Central Ministers added fuel to the fire. With due humility, Sir I would like to point out that the Prime Minister in his broadcast to the nation did not utter a signle word in sympathy for those who dedicated their lives in saving the Government property during the past recent riots in Madras.

If the Central Government changes its decisions because of the violent incidents in Madras, I wish to tell the Government in clear terms that it would result in more disastrous violence in other parts of the country which would

ultimately not leave Delhi also uneffected. In that case the entire responsibility will rest on the Government. We are being asked to observe silence in the name of integrity, we have been doing so, but, now our patience has come to an end. Today English is being imposed on us in the name of national integrity. The Government's policy to knee-down before violence cannot be supported. I regret to say that while the agitation in Madras had not come to an end, and there was no peaceful atmosphere, the Prime Minister made a declaration to hold a Conference of Chief Ministers to consider the language issue. The Parliament alone and not the Chief Ministers have the constitutional right to take a policy decision on the language issue. I, therefore, venture to submit that the proposed conference of the Chief Ministers, who belong to one party only, might be postponed otherwise it would lead to an unconstitutional convention.

Sir, in the end I would like to point out that the official Languages Act was passed by the Parliament with a view to implement the assurances given by late Shri Jawaharlal Nehru. It is, therefore, absolutely purposeless to make any further amendments, in the Constitution or the said Act. If the Tamilnad people are afraid of not getting their due quota in services of the Central Government due to the switch over to Hindi as official language, I would suggest to fix a certain quota for each State on the basis of its population .

Lastly, I would like to say that in the context of Hindi agitation we often talk of South India, but South India is not Madras alone, it consists of three other States of South as well. Besides these, there are other non-Hindi speaking States. There are various institutions in Madras itself which are opposed to the anti-Hindi agitation launched by DMK.

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय): अध्यक्ष महोदय, मद्रास में केवल पांच व्यक्तियों द्वारा आत्म बलिदान ही नहीं किया गया अपितु वहां रक्त की धारायें भी बही हैं जो कि स्वतन्त्रता के बाद की अभूतपूर्व घटना है। मैं मद्रास गया और मुझे वहां विद्यार्थियों, शिक्षित वर्ग, डाक्टरों तथा वकीलों से मिलने का अवसर मिला और मुझे वहां के लोगों की भावनाओं का पता लगा, मैंने महसूस किया कि यह रोटी और मछली का प्रश्न नहीं अपितु तामिलनाद तथा पश्चिमी बंगाल के लोगों के मान का मामला है । यह उनका अपमान है, उन्हें अपनी समृद्ध तथा विकसित भाषा पर गर्व है । पश्चिमी बंगाल में भी ऐसी स्थिति है ।

ऐसी दुखद घटनायें हो रही हैं जो कि अन्य अहिन्दी क्षेत्रों की ओर बढ़ रही हैं । मुझे हिन्दी का ज्ञान है, वह मेरी गौड़ भाषा है और मैं हिन्दी को राजभाषा बनाया जाने के बारे में बड़ा समर्थक था । किन्तु मैं देखता हूं कि आज इसके बारे में जो विरोध हो रहा है उसका मूल कारण हिन्दी के महारथी समर्थकों की बढ़ती हुई असहनशीलता तथा अस्पष्टता है । उन्होंने 'अंग्रेजी हटाओ' आन्दोलन आरम्भ कर दिया है । अंग्रेजी भाषा के प्रति घृणा का भाव रखते हैं । घृणा से घृणा उत्पन्न होती है, अतः स्वाभाविक है कि अहिन्दी भाषियों पर भी इसकी प्रतिक्रिया होगी ।

मुझे संविधान के बारे में उतना ही ज्ञान है जितना कि उसके जानकार पंडितों को । संविधान का अपनिर्वचन (गलत व्याख्या) किया जा रहा है और उसे गलत रूप दिया जा रहा है । अनुच्छेद 343(3) के अन्तर्गत अंग्रेजी का 1965 के पश्चात् भी राजभाषा के रूप में प्रयोग किये जाने पर कोई व्यापक प्रतिबन्ध नहीं है । इस उपबन्ध की भाषा स्वतः एक पूर्ण शक्ति है । अतः संविधान में परिवर्तन किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि निस्सन्देह संसद् को द्विभाषी सिद्धान्त विहित किये जाने के बारे में पर्याप्त शक्ति प्राप्त है ।

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि 1958 में बंगाल विधान मंडल के दोनों सदनों ने एक मत होकर संकल्प किया कि वे हिन्दी को एकमात्र राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। भाषा आयोग 1955 के बारे में जो संसदीय भाषा समिति बनी थी, जिसका मैं भी एक सदस्य था, उसकी बैठकों में भी हमेशा द्वेषपूर्ण वातावरण बना हुआ रहता था, तत्पश्चात् भाषा विधेयक, 1963 आया।

हिन्दी भाषा सम्बन्धी प्रतिवेदन जब इस सदन में आया तब भी हिन्दी समर्थकों द्वारा नेहरू आश्वासन को हल्का रूप दिये जाने के बारे में सरकार पर बहुत दबाव दिया जा रहा था। मैंने पण्डित नेहरू के मूल आश्वासन को सूत्रगत किये जाने के बारे में एक संशोधन भी प्रस्तुत किया था। नेहरू सूत्र तथा इस संसद् की राय के अनुसार अंग्रेज़ी का सहभाषा विकल्प भाषा के रूप में तब तक रहना अनिवार्य है जब तक कि अहिन्दी भाषी लोग ऐसी आवश्यकता समझें।

जहां तक भाषा का सम्बन्ध था, हिन्दी समर्थकों में नेहरू-सूत्र के प्रति आदर की कोई भावना नहीं थी। मैंने धारा 3 और 4 के विषय में स्वर्गीय प्रधान मंत्री को अपनी आपत्ति के बारे में एक पत्र लिखा था जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने लिखा था कि मुझे यह सूचित किया गया है कि 'सकती है' (मे--May) शब्द का अर्थ "रहेगी" (शैल--shall) से है अर्थात् अंग्रेज़ी को हिन्दी के अतिरिक्त सहभाषा अथवा विकल्प भाषा के रूप में प्रयोग में लाया जायेगा। किन्तु अब उस "सकना" (मे) का अर्थ "सकना" ही बताया जा रहा है जिसका अर्थ यह होता है कि अंग्रेज़ी का प्रयोग नहीं भी किया जा सकता है।

मैंने एक दूसरा संशोधन भी पेश किया था जिसका आशय यह था कि इस मामले का निर्णय अनुच्छेद 368 के ढंग में बहुमत से किया जाये ताकि अहिन्दी राज्यों को भी कम से कम अपनी राय प्रकट करने का अवसर प्राप्त हो। किन्तु वह भी टाल दिया गया।

मैं प्रधान मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह देश का हित तथा उसकी एकता को ध्यान में रख कर नेहरू सूत्र को क्रियान्वित करें और धारा 3 में संशोधन करें, धारा 4 को हटा दें।

श्री खाडिलकर (खेड): ऐसे समय में जब वातावरण उत्तेजना से भरा हुआ है हमें भाषा के प्रश्न के साथ साथ सरकार की भर्त्सना नहीं करनी चाहिये। तामिलनाड में जो कुछ भी हुआ है उस से देश की नीव ही हिल गई है। देश में एकता जो चीनी आक्रमण के समय देखने को मिलती थी बढ़ने के बजाय क्षीण होती जा रही है। इसलिये इस सभा के सभी सदस्यों को चाहिये कि एक दल अथवा सरकार की आलोचना न कर के इस स्थिति को मिल कर सुलझाएं। हमारे देश में बहुसमाज व्यवस्था है। इसलिये एक दूसरे की कठिनाई समझ कर अपनी भाषा के तथा दूसरी सभी कठिनाइयों को हल करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। इस समय जब हम राष्ट्र की एक भाषा बनाने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं, हमें बहुत सहनशीलता तथा संयम की आवश्यकता है। हमें एक मूल बात का ध्यान रखना है। गांधी जी ने पहले ही भांप लिया था कि यह कठिनाई सामने अयेगी जब उन्होंने कहा था कि एक समय आयेगा जब देश के लोग आपस में लड़ेंगे—दो भाषाओं पर हिन्दी तथा किसी क्षेत्रीय भाषा पर नहीं परन्तु हिन्दी तथा अंग्रेज़ी पर—और यह विवाद सुलझाने के लिए बड़ी सूझ-बूझ वाले नेतृत्व की आवश्यकता है। हमें इसी अधूरे कार्य को करना है।

11

और इस कार्य को एकता बनाये रख कर ही सम्पन्न करना होगा। देश की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान इस पर न्योछावर नहीं किया जा सकता।

इस मामले में सरकार को जल्दी में कोई निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिये और यदि ऐसा हुआ तो यह समझा जायेगा कि सरकार पर दबाव डाल कर कुछ भी परिवर्तन करवाया जा सकता है। सरकार का निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिये। हमें अपने अधिकार नहीं छोड़ने हैं। यदि हम सीधे पथ से भटक गये तो इसका अर्थ है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। हमें मुगल तथा मराठा काल का अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिये। मुझे गृह मंत्रालय तथा प्रधान मंत्री से अनुरोध करना है कि चाहे उनके विचार से हमने हिन्दी अपनाने के बारे में काफी तैयारी के पश्चात् ही यह पग उठाया हो परन्तु ऐसा नहीं है। इस पर आलोचना ठीक ही है। हम इस प्रकार भाषाएं नहीं बदल सकते। भाषा एक सबल शक्ति है जहां एक ओर यह संगठन की शक्ति है वहां यह विघटन भी ला सकती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि उत्तेजनात्मक वातावरण साफ हो जाने के बाद इस सभा तथा इसके सभी वर्गों को मिल कर इस प्रश्न पर विचार करके एक राष्ट्र भाषा बनाने की चेष्टा करनी चाहिये। हां पहले सहभाषा का प्रश्न भी विचाराधीन आयेगा। परन्तु अब अन्त में हर भारतीय देश भक्त यही चाहेगा, चाहे वह दक्षिण का हो अथवा उत्तर का हो, कि हमें अपने व्यवहार में अपनी ही भाषा बरतनी चाहिये चाहे इसमें 50 वर्ष ही क्यों न लग जायें।

कोटा प्रणाली को मैं नहीं चाहता। यह भी सुझाव दिया गया है कि द्विभाषा प्रणाली को ही स्थायी रूप दिया जाये। मेरा अनुरोध है कि भाषाओं की एक राष्ट्रीय संस्था स्थापित की जानी चाहिये जहां आदिवासी क्षेत्रों की भाषाओं से लेकर सभी सुविकसित भाषाओं का अध्ययन कराया जाये। इसके पश्चात् हमें एक नीति बनानी होगी। मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि यह सभा ही भाषा नीति निर्धारित करने के लिए सर्वशक्ति सम्पन्न संस्था है।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : मैं इस अवसर पर अपने तथा अपने दो अकाली साथियों की ओर से बोल रहा हूं न कि स्वतंत्र दल की ओर से। मैं इस मामले में सरकार पर तीन घोर असफलताओं का दोष लगाता हूं और वे ये हैं : इस मामले पर जन विचारधारा को न समझना, गलत राजनैतिक पूर्वानुमान तथा जातिवाद और प्रदेशवाद।

संविधान का अट्ठारहवां अध्याय तीन या चार उपधारणाओं पर आधारित है और यदि मेरे पास समय होता तो मैं यह सिद्ध कर देता कि यह उपधारण किसी भी तरह अपने आप में तथ्य न हो कर विवादस्पद है। परन्तु सरकार ने इन्हें सिद्धान्त समझ लिया है जिसके परिणामस्वरूप ही यह संकट आया है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं।

गलत राजनैतिक पूर्वानुमान के बारे में मुझे यह कहना है कि सरकार समझती है कि हिन्दी को राजभाषा के रूप में लागू करना एक सराहनीय सरकारी मामला है जिस से कोई भावनात्मक प्रभाव या उत्तेजना नहीं होगी। और न ही सरकार ने हिन्दी के अहिन्दी भाषी जनता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के बारे में सोचा और इस प्रकार देश की एकता तथा संगठन को चुनौती के बराबर होने वाले भावात्मक विस्फोट को भांपने में असफल रही है। तीसरे दोष के बारे में मुझे यह बताना है कि हिन्दी को राजभाषा बनाये जाने पर पंजाबी की क्या दशा होने वाली है। 1930 में जब पंजाब विश्वविद्यालय आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पंजाबी को सब से पुरानी भाषा बताया। इसका एक लिखित साहित्य है इसकी एक सच्ची तथा स्वाभाविक वर्णमाला है। 1947 तक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भी औपचारिक

[श्री कपूर सिंह]

रूप से यह माना कि यह 3 करोड़ भारतीयों की मातृभाषा है । परन्तु 1948 कांग्रेस इस निर्णय से विमुख हो गई और पंजाब में हिन्दुओं ने भी अपनी मातृभाषा हिन्दी घोषित कर दी ।

भाषा का प्रश्न एक राजनैतिक तथा सांस्कृतिक प्रश्न है । यह प्रशासनिक तथा भाषाई प्रश्न नहीं है । हिन्दी भाषा न हो कर जातीय तथा क्षेत्रीय अधिकार का नारा है । यह उस दृष्टि-कोण की अलामत है जिसने हमें एक हज़ार वर्षों दूसरों के अधीन रखा इसको संगठन शक्ति पर जहां संदेह है वहां हमारी सक्रिय एकता के लिए यह स्पष्ट रूप से नाशक शक्ति सिद्ध हो रही है जैसा दक्षिण में हुए उपद्रवों से पता चलता है ।

इसलिये भारत को फिर पीछे की ओर नहीं खींचा जाने दिया जा सकता और इसलिये एक सुसंगठित देश एक संयुक्त राष्ट्र तथा एक आधुनिक अग्रदृष्टि रखने वाले हिन्दू राष्ट्र के हितों के लिए हिन्दी का परित्याग कर दिया जाना चाहिये ।

Shri Bhagwat Jha Azad(Bhagalpur) : It has been stated here that the Language Policy of the Government is uncertain and it has been wrongly implemented. This factor is responsible for the incidents in Madras. In this connection, I have only to state that we should understand one thing in this connection and that the Language Policy of the Government has not been finally decided by Hindi-speaking people only. If issue was thoroughly considered by all the people of the entire country. The members of the various political parties and all the educationists of the country were a party to this decision. The matter was finally decided after discussions in which representatives of all the States, including Madras, Kerala, Mysore, Maharashtra and Gujarat took full part. Then this is also a fact that Hindi has not become the official language of the country all of a sudden on the 26th January on the request of a particular province. The matter was discussed in several conferences. The Chief Ministers of all the States also discussed this problem in one conference and endorsed the decision taken earlier.

Taking into consideration the difficulties of non-Hindi-speaking people, it is provided in the Official Languages Act that English will continue as an associate language along with Hindi even after the 26th January, 1965. Every step in regard to the Language Policy of the Government is taken with the approval of the Parliament. I am of the opinion that whatever happened in Madras is engineered by the left wing of the Communist party, the D.M.K. party and by those anti-national elements who wanted a division of the country on the basis of language. The main cause of the trouble in the South is the misleading propaganda done by the English newspapers. People were told that Hindi was going to be imposed on them. They were given this impression that they will not be allowed to use their own language. Our Government have made abundantly clear that, although Hindi would become the official language of the country from the 26th January, 1965, Engl!sh could be used as long as the people of the South wanted.

I strongly feel that this assertion that the language policy of the Government is undecided is absolutely wrong and illfounded. Our Prime Minister has many a times reiterated the assurances given by the late Shri Jawaharlal Nehru. The whole country have faith in those assurances. If the Government felt alarmed at the violent activities of certain people, and thereby

effected any change in any law, this attempt will be very strongly opposed by all the same elements in the country.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : भाषा का विवाद बड़े गम्भीर रूप में हमारे समक्ष है। मेरा मत है कि विभाजन के पश्चात् भारतीय राष्ट्र की एकता के लिए भाषा विवाद सबसे बड़ा चुनौती है। यह एक भावनात्मक विद्रोह था। यदि हिन्दी भारत की स्वतन्त्रता की लड़ाई की प्रतीक थी तो इसको सरकारी भाषा बनाये जाने पर विरोध नहीं होना चाहिये। हिन्दी सब की इच्छा से ही सरकारी भाषा बनाई गई थी, इसलिये इसे अवश्य ही देश की सरकारी भाषा बने रहना चाहिये। हिन्दी के प्रति विरोध भाषावादी हठधर्मी के कारण बढ़ा है। इस विरोध का दूसरा कारण गड़बड के कारणों को समझने में सरकार की असफलता है।

अनुच्छेद 351 के अन्तर्गत हिन्दी को प्रोत्साहन देना एक संवैधानिक दायित्व था। सरकार ने इस बारे में जो कुछ किया है उसे स्पष्ट किया जाना चाहिये। अहिन्दी भाषी लोगों की हिन्दी लागू करने के बारे में जो गलत आशंकाएं हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिये। एक उचित मनोवैज्ञानिक वातावरण बनाया जाना चाहिये। सभी राज्यों में भाषा की एक अकादमी होनी चाहिये जिसमें देश की सभी भाषाओं को पढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिये। भाषाओं के अनुवादार्थ संस्थाएं स्थापित की जानी चाहियें जिससे एक-विचार तथा सम ध्येय की भावना उत्पन्न हो।

हिन्दी जानने वाले विद्यार्थी एक अन्य भारतीय भाषा सीखें केवल तभी अहिन्दी भाषी लोग यह समझेंगे कि हिन्दी उन पर थोपी नहीं जा रही है। इस समस्या को हल करने के लिए हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये। हिन्दी भाषी अथवा अहिन्दी भाषी लोगों पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जानी चाहिये। सारे राष्ट्र को हिन्दी स्वीकार करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिये। यह कहना गलत है कि अंग्रेज़ी यहां स्थायी रूप से रहेगी। यह भी गलत है कि देश में हिन्दी के अतिरिक्त और कोई भाषा नहीं रहेगी। हमें इजराइल से यह सीख लेनी चाहिये कि अंग्रेज़ी का भारी प्रभाव होने पर भी उन्होंने अपनी हिब्रीऊ भाषा का विकास कर लिया। क्या हमारा ही देश ऐसा है यहां पर कि भारत की अपनी भाषा राजभाषा नहीं हो सकती। इसका कारण शायद यही है कि हमने इस समस्या की ओर गत 17 वर्षों में कोई ध्यान नहीं दिया।

मद्रास में हिन्दी अनिवार्य नहीं की गई। केरल, आंध्र तथा मैसूर में हिन्दी को अनिवार्य किया गया था। मद्रास में जो भी आज स्थिति है उसका उत्तरदायित्व कांग्रेस पर है। हमें आज की गम्भीर स्थिति पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। हमें देश की एकता को हमेशा समक्ष रखना चाहिये और कोई भी भाषा किसी पर थोपी नहीं जानी चाहिये।

श्रीमती यशोदा रेड्डी (करनूल): सब से पहले मुझे हिन्दी प्रेमी भाइयों को आश्वासन देना है कि हम दक्षिणवासी हिन्दी के विरुद्ध नहीं हैं और हम अंग्रेज़ी के बदले हिन्दी को राजभाषा चाहते हैं। जब मद्रास में दंगे हुए मैं वहीं थी। दिल्ली से स्थिति का अनुमान लगाना वहां जा कर मामले को समझने से भिन्न है। ठीक अथवा गलत मैं समझती हूं ठीक ही हमने हिन्दी को राजभाषा बनाना माना था क्योंकि हम में देशभक्ति की भावना थी। परन्तु जैसा श्री भागवत झा आज़ाद जी ने कहा है कि मद्रास के लोग समझते हैं कि उनकी भाषा समाप्त की जा रही है इसलिये वहां

[श्रीमती यशोदा रेड्डी]

संकट पैदा हुआ है। ऐसा नहीं है। हर राज्य की भाषा कैसे राजभाषा बन सकती है यह हर कोई समझता है। यह तो विद्यार्थियों की इस भावना के कारण हुआ कि अंग्रेज़ी जो वह 20 साल तक अपनी पढ़ाई में प्रयोग करते रहे हैं जो आगे चल कर उन्हें जीविका अर्जन के काम आयेगी हटाई जा रही है और हिन्दी जो उन्हें आती नहीं है लागू की जायेगी। एक बात मुझे सरकार को बतानी है कि किसी को भी देश को छिन्न-भिन्न करने के लिए स्थिति से अनुचित लाभ उठाने न दिया जाय, बल्कि सरकार को देश के एकाकार करने के लिए इस अवसर से लाभ उठाना चाहिये।

हिन्दी बीस वर्ष पूर्व दक्षिण में भी पढ़ी जाती थी क्योंकि हम सोचते थे कि यही हमारी राष्ट्र भाषा बनेगी तब बहुभाषीय प्रदेश होते थे और हम हिन्दी को देश को एकता में बांधने वाली भाषा समझते थे। परन्तु फिर भाषा के आधार पर प्रदेश बनाये जाने लगे और इससे हिन्दी पृष्ठभूमि में चली गई और एक प्रादेशिक भाषा बन गई। सच यही है और हमें इसका सामना करना होगा। सच तो यह है कि अंग्रेज़ी ने ही काश्मीर से कन्याकुमारी तक सबको एक तार में बांध दिया है। गत 15 वर्षों में हिन्दी ने क्या प्रगति की है क्या हम इसको तामिल और तेलगू जैसी भाषाओं के समान स्तर तक भी ला सके हैं। हिन्दी का विरोध इसलिये नहीं हो रहा है कि इसे हम चाहते नहीं परन्तु इसलिये कि हिन्दी प्रेमी इसे हर ओर फैलाना चाहते हैं परन्तु जब अंग्रेज़ी 200 वर्ष तक चलती रही और देश की 1 या 2 प्रतिशत जनता से अधिक तक ही पहुंच सकी तो 15 वर्षों में हिन्दी सभी अहिन्दी-भाषी लोगों द्वारा कैसे सीखी जा सकती है? अगर हम अंग्रेजी को बनाये रखना चाहते हैं तो इसीलिये कि हमें देश की एकता से प्यार है और हम सहनशील हैं। हमें स्वर्गीय श्री नेहरू जी के आश्वासनों के बारे में गारंटी दी जा रही है। हमें श्री नेहरू में बड़ी श्रद्धा थी। हमें वर्तमान प्रधान मंत्री में और भी अधिक श्रद्धा है। यदि सरकार नेहरू जी के आश्वासनों से फिर जाना नहीं चाहती तो इन्हें कानूनी रूप क्यों नहीं दे देती? हमें और कुछ नहीं चाहिये। यह सरकार का कर्तव्य है कि वह हमें सन्तुष्ट करने के लिए ऐसा करे क्योंकि हमें हानि हो रही है तथा हम अल्पसंख्या में हैं। मेरा विचार है कि अंग्रेजी लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में जारी रहनी चाहिये क्योंकि समझदारी को जनसंख्या के हेतु त्याग नहीं दिया जा सकता। हमें इसके लिये सबसे अच्छे व्यक्ति चाहियें। हमें हिन्दी सीखने का अवसर दीजिये, समय दीजिये। कोई अवधि सीमित किये बिना स्वर्गीय प्रधान मंत्री जी के आश्वासनों को कानूनी रूप दीजिए और शेष कार्य हम पर छोड़िये। केवल यही हम चाहते हैं।

Shri Madhu Limaye (Mongher) : It is a sad fact that the record of Government during the past 18 years has shown that it has bowed to the pressure of violence and bloodshed and it had acted only after such disturbances took place though the matter was just and proper and should have been acceded to before the disturbances took place. The creation of linguistic states of Andhra and Maharashtra are cases in point where it compromised where their demands were conceded after wide spread bloodshed was exhorted to. Similarly in Goa, its legislature has voted for its merger but the centre has not moved so far to accede to their demand, perhaps till people do not resort to violence there. I feel that this violent agitation has taken place the responsibility of which rests on those leaders in Congress, besides the opposition parties and DMK, who have been instigating people on the language issue and this aggravated the issue. I condemn those elements in congress including those two ministers who enacted drama by resigning and then withdrawing their resignation on this issue. They have tried to show that this disturbance was between pro-Hindi and anti-Hindi elements in the country. I do not belong to

Hindi-speaking area and my mother-tongue is Marathi and I love it as much as others and therefore the allegation of partisan attitude cannot apply to me. I do not understand why this problem has been ascribed to belong to Anti & Pro-Hindi.

The concession given by the Centre to use regional languages alongwith English in States is wrong because we have seen that even after 18 years the regional languages are not being used in educational and other spheres, and then it is said that our languages are not developed. How do you expect these languages to develop unless we use them in all the spheres, educational and legal. To retain English means that one or two percent people who know English want to keep up their authority over the country. In the erstwhile state of Hyderabad, Urdu was being used in Gwalior, Hindi was used and in Baroda, Gujarati was being used before the integration of States, but after that English had been imposed throughout the country. It is quite clear therefore that the conflict is not between Anti & Pro-Hindi elements, but it is due to certain elements particularly in the Centre and in the ruling party too who want English to remain the medium in the country on one pretext or the other. Therefore Shri Shastri's plea that English alongwith the regional languages could be used in states is not a proper thing to do and the people of our country should oppose this with tooth and nail. As in Kerala where President's rule exists to day and the Central Government is reported to have ordered the use of English alongwith Malyalam. In Andhra, Maharashtra and Bengal there are complaints that their respective languages have not developed as they ought to have been. In non-Hindi States, people do not want Hindi, let them not have it but at least let their own regional languages be used compulsorily there and English should be completely banned and ousted from the states. I have also to suggest that restrictions should be imposed on English medium in schools and only regional languages should be used there. English should be made an optional subject rather than a compulsory one and Hindi may also be made optional if there is opposition to Hindi. It might not be imposed on anyone.

The Government's policy at the centre is not quite clear. On the one hand all the one national languages and on the other there is restriction on their use here. When we wish that the President may deliver his address in Telugu instead of English our Prime Minister says that Constitution does not allow that. I have to say that Constitution does not prevent this also. Had the President done as we wished the people in the South would also have thought that their language is being honoured alongwith Hindi.

I have to give some suggestion regarding the future. The Prime Minister should, instead of calling a conference of leaders of all Parliamentary parties, should invite all the leaders of all parties alongwith educationists and other non-party representatives and then peacefully and calmly consider this matter. The Chief Ministers Conference might be postponed, and might be held only after the All-Party Conference had reached a formal decision and Parliament had discussed this decision.

श्री नी० चं० चटर्जी (बर्दवान): मैं यह बताना चाहता हूं कि यह भय केवल मद्रास या दक्षिण भारत में ही नहीं है परन्तु सारे देश को, उसकी ग्रखण्डता को खतरा है ग्रौर इसलिये इस सभा के सभी ग्रंगों को उपयोगी सुझाव देने चाहियें जिससे भाषा का प्रश्न हल किया जा सके।

श्रीमान मैंने दोनों पक्षों के कट्टरपंथियों का एक सम्मेलन बुलाया था ग्रौर उसका विचार था कि ग्रखिल भारतीय स्तर पर एक वांछनीय ग्राधार पर राष्ट्रीय समझौते की ग्राशा है। यह कहना

[श्री नी० चं० चटर्जी]

हमारी भूल होगी कि यह दंगे एक राजनैतिक दल द्वारा करवाये गये हैं या कुछ उन्मत अथवा बिगड़े हुये युवकों ने ही एसा किया है। यह तो वहां की भावना को समझने में भारी भूल करने के समान होगा। मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि मद्रास, आंध्र आदि के अतिरिक्त देश के दूसरे भागों में भी जैसे बंगाल में लोगों में बड़ी अशांति है आज यदि हिन्दी को अंग्रजी के बजाये थोपा गया तो यह भारत के लिये विनाशकारी सिद्ध होगा ।

मैं कानूनी व्यक्ति होने के नाते कह सकता हूं कि देश में वैधानिक तथा विधि सम्बन्धी एकता ही देश की सबसे सबल संगठन शक्ति है । उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में यदि अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी लागू कर दी जाय तो न केवल महा-न्यायवादी (अटोर्नी जनरल) बल्कि बहुत से न्यायाधीश काम छोड़ देंगे और हम जैसे व्यक्ति भी अपना काम बन्द कर देंगे और इससे तबाही होगी । **(अन्तर्बाधायें)**

एक पड़ौसी राज्य में जिससे हमारा घनिष्ट सांस्कृतिक सम्बन्ध और मित्रता रही है, 52,000 बंगाली भाषा भाषी व्यक्तियों पर सभी प्रकार के अत्याचार किये गये और उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया। एक महान कांग्रेसी नेता, पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने यह चाहा था कि पश्चिम बंगाल का दूसरे पड़ौसी राज्य में विलय हो जाये परन्तु इस बात को ठुकरा दिया गया ।

दक्षिण के अथवा पश्चिम बंगाल के अथवा उड़ीसा आदि अन्य अहिन्दी भाषी राज्य के लाखों लोगों को सन्तुष्ट करने के लिये यदि संविधान में संशोधन कर दिया जाये तो उसमें क्या हानि है ? संविधान में इससे पहले भी 17 बार संशोधन किया जा चुका है । यह भाषा समस्या भी इतनी ही गम्भीर है जितनी कि भारत की एकता को चीन अथवा पाकिस्तान के खतरे की बात। अन्य प्रयोजनों के लिये किये गये संशोधनों की भांति इस प्रयोजन के लिये भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है ।

श्री रघुनाथ सिंह : जब आप हिन्दू महासभा के प्रधान थे तब आपने ही हिन्दी को राष्ट्र-भाषा बनाने के लिये संकल्प पारित किया था । **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : बुद्धिमान लोग सदैव एक बात पर नहीं रहते ।

श्री नी० चं० चटर्जी : हमें वास्तविकता को देखना है कि वास्तव में स्थिति क्या है । हमेशा के लिये पुराना फार्मूला नहीं चल सकता । दक्षिण के लोगों के दिलों में यह बात घर कर गई है कि उन पर हिन्दी लादी जा रही है और अंग्रेजी को थोड़े समय के लिये नहीं अपितु हमेशा के लिये हटाया जा रहा है और यह सब तुरन्त ही होने वाला है । पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसी ही हालत है । अतः मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे शीघ्र ही एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाएं और उसमें इस बात पर विचार करें कि दो राष्ट्रभाषाएं हों या कानूनी गारंटी दी जानी चाहिये या फिर संवैधानिक गारंटी दी जानी चाहिये ।

राष्ट्र की एकता के लिये और अहिन्दी भाषी राज्यों को खुश करने के लिये हमें उन पर हिन्दी नहीं लादनी चाहिये और उन्हें यह आश्वासन देना चाहिये कि जब तक वे नहीं चाहेंगे उन पर हिन्दी लादी नहीं जायेगी और यह कि अंग्रेजी राजभाषा के रूप में जारी रहेगी ।

श्री जी० भ० कृपालानी (अमरोहा) : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझ सकता कि अंग्रेजी को भारत से कैसे हटाया जा सकता है । सभी राज्यों के प्रशासन अंग्रेजी को रखना चाहते हैं । यदि अंग्रेजी को हटाने का आदेश दे भी दिया गया तो अन्य कई आदेशों की भांति इसकी भी अवहेलना की जायेगी ।

इससे पहले उत्तर प्रदेश और बिहार में 80 प्रतिशत सरकारी काम काज अंग्रेजी में किया जाता था। यदि किन्हीं प्रशासनों में काम प्रांतीय भाषाओं में किया भी जाता था तो बाद में वहां पर भी काम अंग्रेजी में किया जाने लगा था।

शिक्षा के मामले को लीजिये। हम अपने बच्चों को कन्वेन्ट अथवा मिशनरी स्कूलों में भेजना अधिक पसन्द करते हैं और यदि हमारे पास कुछ अधिक पैसा होता है तो हम उन्हें इंगलैंड अथवा अमरीका भेजते हैं।

फिर हम में एक चाह है। हम सब आधुनिक बनना चाहते हैं। अंग्रेजी के बिना हम आधुनिकता को नहीं पहुंच सकते। अंग्रेजी को आधुनिकता का प्रतीक समझा जाता है। प्रत्येक आधुनिक वस्तु प्रगतिशील होती है। आधुनिकता की अन्य बातों के साथ साथ बाल अपराध भी भारत में आना चाहिये क्योंकि यह आधुनिक है। हमारी सब बातें आधुनिक हैं। यहां की महिलाएं भी अंग्रेजी तरीके से हंसना पसन्द करती हैं।

दक्षिण के लोगों को कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिये। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि उनकी बुद्धि उत्तर के लोगों से बहुत तेज़ है। सचिवालय में लगभग प्रत्येक सचिव या मेनन है या आयंगर है या नायर है। यदि उन पर हिन्दी लाद भी दी गई तो भी वे परीक्षाएं पास कर लेंगे। सभी परचे भाषा के नहीं होते, और भी विषय होते हैं। मुझे विश्वास है कि वे हिन्दी भी बहुत शीघ्र सीख जायेंगे। उनको कोई भय नहीं होना चाहिये।

दक्षिण के लोगों को गणराज्य दिवस जैसे पवित्र अवसर पर दंगे नहीं करने चाहियें थे और इसको शोक का दिन बनाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये था। डी० एम० के० दल के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिये था। यदि उनका ख्याल था कि लोग उनके साथ हैं तो उनको सभी दलों के नेताओं को बुला कर सम्मेलन करना चाहिये था और इस प्रश्न पर शांतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिये था।

गृह मंत्री जब मद्रास गये तो उनको राजाजी से बातचीत करनी चाहिये थी, वहां के लोगों को समझाना चाहिये था कि अंग्रेजी इतनी जल्दी जा नहीं सकती है। फिर भी यदि डी० एम० के० दल प्रदर्शन करता तो उसे करने देते। जनता फिर उनका साथ नहीं देती। क्योंकि मैं वहां गया था और भाषा के प्रश्न पर बोला था और लोगों ने मेरे विचारों को माना था।

श्री चटर्जी ने संविधान में संशोधन करने के बारे में कहा। ऐसा करना सबसे अधिक हानिकारक होगा। संशोधन के लिये आपके पास पर्याप्त बहुमत नहीं है तो इससे दक्षिण और उत्तर के लोगों का झगड़ा और भी बढ़ेगा।

यह आश्वासन देने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अंग्रेजी रहेगी। आजकल बच्चे अम्मा या आपा नहीं कहते अपितु मम्मी और पापा कहते हैं। अंग्रेजी इंगलैंड से जा सकती है परन्तु भारत से नहीं जा सकती। हमारे कुछ मित्र, जैसे मेरे मित्र श्री मुकर्जी 99 प्रतिशत अंग्रेजों से अधिक अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। ऐसी भाषा कैसे जा सकती है। ज्यादा पढ़े जाने वाले सभी समाचारपत्र अंग्रेजी में छपते हैं। हमारे सभी स्टेनो और टाइपिस्ट दक्षिण से ही होंगे। इसी प्रकार सभी सचिव और अवर सचिव दक्षिण से होंगे। प्रधान मंत्री और गृह मंत्री द्वारा दिये गये सभी आश्वासन हमारे लिये काफी होने चाहियें। यह हमारी बदकिस्मती है कि यह भाषा हमेशा के लिये रहेगी। मैं हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोगों से अनुरोध करूंगा कि भगवान के लिये अपने बालकों को हिन्दी स्कूलों में भेजें और

प्रशासन का काम हिन्दी में करें। इसलिये इस पर बहस करना बेकार है । क्योंकि वर्षों तक स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं आयेगा ।

अंग्रेजी ने हमारे समाज को दो भागों में बांट रखा है । एक ओर शिक्षित जो अंग्रेजी जानते हैं और दूसरी ओर अशिक्षित जो अंग्रेजी नहीं जानते । अंग्रेजी के कारण हमारे देश में अमीर और गरीब में इतना बड़ा अन्तर है । यदि किसी व्यक्ति को हिन्दी, संस्कृत अथवा फार्सी का बहुत अच्छा ज्ञान है और अंग्रेजी नहीं आती है तो उसे शिक्षित नहीं समझा जाता । जो व्यक्ति थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल लेता है उसे पढ़ा लिखा समझा जाता है । भगवान के लिये गरीब लोगों की ओर देखो । यदि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जायेगा तो हम उनको ज्ञान की गंगा से वंचित कर देंगे । इसलिये हिन्दी भाषी क्षेत्र के लोगों से मेरा अनुरोध है कि वहां पर अंग्रेजी को न चलने दें । आप हिन्दी लोगों के कट्टरपने की बात करते हैं । मैं कहता हूं कि मुझ समेत हम सब कट्टर हैं जिनको अंग्रेजी को प्यार करने की बीमारी है ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : भाषा के प्रश्न पर दक्षिण भारत में जो दंगे फसाद हुए और जन धन की हानि हुई उस पर मुझे भारी दुःख है ।

आचार्य विनोबा भावे के स्वास्थ्य पर हमें चिन्ता थी । सौभाग्य से अब व्रत तोड़ दिया गया है क्योंकि स्थिति अब शांतिपूर्ण है ।

हमारे आपस में कुछ भी मतभेद हों, यदि हम एक राष्ट्र के रूप में ज़िन्दा रहना चाहते हैं तो हमें अपने सभी मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से दूर करना चाहिये । किसी भी देश की प्रगति के लिये ये बुनियादी बातें हैं । यदि आज देश के भाग में हिंसात्मक कार्यवाहियां होती हैं तो ये कल देश के अन्य भागों में भी हो सकती हैं । यह एक छूत का सा रोग है और इससे हमारी देश की अखण्डता को खतरा हो सकता है । भाषा, अर्थव्यवस्था और सब अन्य बातें वास्तव में गौण हैं और मुख्य चीज़ देश की अखण्डता है ।

आज के समाचारपत्र में जन संघ ने इसी प्रकार की कार्यवाहियां करने की धमकी दी है--प्रत्येक साइनबोर्ड आदि को जोकि अंग्रेजी में लिखा हो काला करने की ।

मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि हिन्दी की रक्षा करने अथवा किसी भी ज्यादती के प्रति-विरोध प्रकट करने का यह उचित तरीका नहीं है ।

श्री नि० चं० चटर्जी ने कहा कि केवल मद्रास में ही नहीं ये दंगे तो बंगाल में भी हो रहे हैं परन्तु मैं पूछता हूं कि इन के पीछे क्या धारणाएं हैं । ये सब बातें गलत धारणाओं पर हुई हैं । यदि उन के जैसे महान् व्यक्ति ऐसी बातें करेंगे तो क्या होगा । इन गलत धारणाओं को जब साधारण व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता है तो उसके बहुत खतरनाक नतीजे निकलते हैं ।

हमें सब से पहले यह देखना है कि क्या हमारी नीति में कोई खराबी थी । संविधान में सारी बातों का उपबन्ध है । विभिन्न अवस्थाओं पर, एक आयोग नियुक्त किया गया था, फिर एक संसद् समिति नियुक्त की गई थी, उनकी सिफारिशें दोनों सदनों द्वारा स्वीकार की गई थीं और फिर हमारी नीति से संबंधित सभी बुनियादी बातों को लेकर राज भाषा अधिनियम बनाया गया था । क्या हम इस नीति से विचलित हुए हैं ? नहीं ।

अब नीति की क्रियान्विति का प्रश्न उठता है । यह कहना सर्वथा गलत है कि हिन्दी लागू करने में बहुत जल्दबाजी की गई है । इस के विपरीत या अलबत्ता कहा जा सकता है कि हिन्दी के लिए अब तक जो कुछ किया गया है वह ना के बराबर है । संविधान के उपबन्ध के अनुसार हिन्दी को 26 जनवरी को आना ही था और इसलिए इस में जल्दबाज़ी का प्रश्न ही नहीं उठता ।

फिर एक प्रश्न यह उठता है कि हम यहां पर जो कुछ कर रहे हैं लोग बाग उसको समझें इसके लिये सरकार ने क्या किया । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि प्रधान मंत्री का रेडियो पर भाषण पहले होना चाहिये था । प्रधान मंत्री ने अपना भाषण एक विशिष्ट परिस्थिति में दिया था । परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हम चुप चाप बैठे थे ? गत वर्ष मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भाषा के प्रश्न पर एक राय से निर्णय किया गया था । छोटी-छोटी बातों का काफी प्रचार किया गया था । जो निर्णय किये गये थे उनका पूरा ब्योरा समाचार पत्रों को दे दिया गया था । समाचार-पत्रों में लगभग अनुकूल टिप्पण प्रकाशित हुए थे । उस समय यह स्थिति थी और तत्पश्चात् कोई बात नहीं हुई है ।

फिर 23 जनवरी को मैं मद्रास में था । वहां मुझे बाताया गया कि यह गृह-मंत्रालय ने एक परिपत्र जारी किया है जिसके कारण वहां घबराहट फैल रही है । मैं ने इसका स्पष्ट रूप से खण्डन किया ।

समाचार पत्रों में श्री भक्तवत्सलम का उल्लेख किया गया कि उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया । उन्होंने आन्दोलन कर्त्ताओं से अनुरोध किया कि वे गणराज्य दिवस——जैसे पावन अवसर पर यह शोक न मनायें और इसके लिये कोई और दिन नियत कर लें । अतः नीति के संबंध में गलतफहमी की कोई बात नहीं थी ।

दो अवसरों पर यह कह दिया था कि हिन्दी के संबंध में ऐसी कोई बात नहीं की जा रही है जो उनको अस्वीकार्य हो और जिससे उनको असुविधा पहुंचे ।

यह जो नीति थी इस पर विभिन्न भाषाओं पर मद्रास संविधान सभा में चर्चा की गई थी और न केवल मद्रास सरकार की परन्तु सभी दल इस नीति से सहमत थे । जो कुछ किया गया है सभी दलों की सहमति से किया गया है न कि श्री भक्तवत्सलम की सहमती से ।

एक प्रश्न यह उठाया जाता है कि सरकार ने इन सब बातों का पहले से अनुमान क्यों नहीं लगाया । परन्तु, मैं पूछता हूं कि किस चीज का अनुमान लगाते ? क्या इस बात का अनुमान लगाते कि एक भीड़ के आन्दोलन के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर मारकाट होगी । ऐसा अनुमान कौन लगा सकता है ? डी० एम० के० दल को ही ले लीजिये यह कोई नया आन्दोलन नहीं था । संविधान को जलाने, उसको समुद्र में फेंकने और दूसरी बातों को करने के बारे में यह दल काफी समय से करता चला जा रहा है ।

जब विभाजन का प्रश्न उठाया गया तो उन्हों ने अपनी कार्यवाहियां बन्द कीं । यह दल देश में तोड़-फोड़ की कार्यवाही करना चाहता है ।

मुझ से पूछा गया कि मैं राजाजी से क्यों नहीं मिला । उसी समय मेरे एक साथी राजा जी से मिले थे और राजा जी ने उन्हें क्या कहा, मुझे यह सब बताने की आवश्यकता नहीं है ।

अब सरकार पर यह जो आरोप लगाया जाता है कि सरकार को यह नहीं करना चाहिये था, वह नहीं करना चाहिये था या सरकार ने यह नहीं किया, वह नहीं किया। इन सब बातों के सम्बन्ध में मैंने मानने योग्य तर्क दे दिये हैं। यह सा ी जो गड़बड़ी हुई है एक ऐसे आन्दोलन के कारण हुई है जो काफी समय से चल रहा था और जिस से निपटने के लिए किसी अन्य तरीके को अपनाना चाहिये था। मैं मानता हूं कि हमने छात्रों को इन लोगों के हाथों में क्यों पड़ने दिया । इसके भी कारण हैं ।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी): जब सब तरफ गड़बड़ी थी तो आप क्या कर रहे थे ?

अध्यक्ष महोदय : वह बता रहे हैं . . . **(अन्तर्बाधा)**

श्री नन्दा : यह लोक तंत्र की विशेषता है ।

श्री जी० भ० कृपालानी : आप कहते हैं कि लोगों ने आप को नहीं समझा। आपने अपने साथियों को ही पूरी बात नहीं समझाई । फिर लोग क्या समझते ? अब भी समय है, आप समझा दीजिये ।

श्री नन्दा : बात यह है कि ज्यों ही कोई गड़बड़ी होती है हम तुरन्त कार्यवाही नहीं कर सकते ।

श्री जी० भ० कृपालानी : मंत्री महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते ? हमने बार बार इस प्रश्न को दोहराया है ।

श्री नाथ पाई (राजापुर): हम इस प्रश्न को सुबह से पूछ रहे हैं।

श्री जी० भ० कृपालानी : आप मेरे प्रश्न से बचना क्यों चाहते हैं ? आपके साथी गलती पर थे या नहीं ? यदि वे गलती पर थे तो उनके त्यागपत्र स्वीकार कर लिये जाने चाहियें। यदि उनकी गलती नहीं थी तो लोगों की शिकायत करना ठीक ही है कि सरकार न अपना दृष्टिकोण ठीक से नहीं बताया ।

श्री नन्दा : प्रश्न यह है कि हमने कार्यवाही क्यों नहीं की ? श्री भक्तवत्सलम ने कार्यवाही की। डी० एम० के० के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। भाषा के प्रश्न पर जहां तक लोगों के हितों के संरक्षण करने का प्रश्न है मद्रास सरकार ने सभी संभव कदम उठाये हैं और वहां पर विधि तथा व्यवस्था कायम की है।

श्री मुत्तु गोंडर (तिरुपतूर) : 10 व्यक्तियों की जानें लेने के लिये और लोगों पर यह सब दाव और पीड़ा लाने के लिये आपको मद्रास के मुख्य मंत्री अच्छा खिलोंना मिल गये ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्थों के रवैये पर मुझे आश्चर्य हो रहा है ।

श्री नन्दा : एक समय पर यह प्रश्न उठाया गया था कि प्रधान मंत्री के आश्वासनों को क्रियान्वित नहीं किया गया है । परन्तु ऐसी कोई बात नहीं है । स्वयं अधिनियम में ही इन आश्वासनों को दिया गया है । प्रधान मंत्री ने भी इन आश्वासनों को अपने रेडियो के भाषण में दोहराया है । 23 और 26 तारीख के अपने रेडियो के भाषण में मैं ने कहा था कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों की अनुमति के बिना अंग्रेजी को हटाया नहीं जायेगा ।

वास्तव में इस प्रस्ताव में कोई बहस करने की बात नहीं थी । फिर भी मैंने सोचा कि जो थोड़ा बहुत सन्देह है उसे दूर कर देना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि भविष्य में हम सब शांति बनाये रखने के लिए प्रयत्न करेंगे ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : श्री नन्दा ने बहस में कुछ सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों की सराहना की परन्तु साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा कि बहस में उत्तर देने की कोई बात नहीं थी । श्री नन्दा ने भाषा के प्रश्न पर जो गम्भीर स्थिति हो गई है उसका ठीक स्वरूप सभा के सामने नहीं रखा है ।

श्री नन्दा ने बहुत सी कार्यवाहियों का उल्लेख किया कि हमने मद्रास में यह किया और वह किया । परन्तु इन सब बातों से क्या फायदा ? इस देश की अखण्डता को भारी चोट पहुंची है । मैं पूछता हूं कि लोगों में जो बेचैनी पैदा हो गई है जो दोष उत्पन्न हो गया है उसको दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री नन्दा ने बताया कि हम अपनी नीति से जरा भी विचलित नहीं हुए हैं । यह भी मान लिया कि उन्होंने सभी मुख्य मंत्रियों से परामर्श किया है । परन्तु इन सब बातों का परिणाम क्या निकला ? अशांति न केवल अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में ही है अपितु हिन्दी भाषी क्षेत्रों में भी है । इस अशांत वातावरण को शांत बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है ? मद्रास में स्थिति ठीक करने के लिए आप क्या कर रहे हैं और इस मामले में जो दीर्घकालीन समस्यायें पैदा हो रही हैं उनको सुलझाने के लिये क्या किया जा रहा है ?

बहस के दौरान हम में से कई सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिये हैं । परन्तु श्री नन्दा उत्तर देना ठीक ही नहीं समझते ।

तामिलनाड में लोगों को जिन्दा जलाया गया, लोगों पर गोलियां चलाई गई । ये ऐसी बातें हैं जिनकी न्यायिक जांच होनी चाहिये । ये मामले श्री मनोहरन अथवा मद्रास तक ही सीमित नहीं हैं । मद्रास की बार एसोसियेशन ने कुछ मांगें की हैं । क्या हम उनकी इसलिये अवहेलना करना चाहते हैं कि दिल्ली में सरकार सत्तारूढ़ है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस मामले में क्या कर रही है । सरकार को न्यायिक जांच का आश्वासन देना चाहिये । यह एक सिद्धान्त की बात है कि जहां पर गोली चलाई जाये वहां न्यायिक जांच होनी चाहिये । श्री नन्दा ने इस तरफ कोई इशारा नहीं किया है कि इस मामले में दीर्घकालीन उपाय किये जायेंगे ।

सभा में बार बार सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि सरकार को देश के सभी दलों से परामर्श करना चाहिये और न केवल राजनैतिक व्यक्तियों से ही अपितु सांस्कृतिक प्रतिनिधियों से भी बातचीत करनी चाहिये ।

हमारी सरकार केवल शासन करने की इच्छा रखती है। वह लोगों के दुःख और दर्द और उनके सीने में जो चोट है उसको नहीं देखना चाहती। यदि आज की सरकार अपनी गद्दी छोड़ देती है तो देश को कोई भारी नुकसान नहीं होगा। ऐसी सरकार के होते हुए भगवान ही जाने इस देश का क्या बनेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सभा अब स्थगित होती है।"

सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 39 ; विपक्ष में 196

Ayes 39 ; Noes : 196

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

he motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : अभी सभा स्थगित नहीं होती। श्री भगत अपने विधेयक पर बोलें।

बैंकिग विधियां (सहकारी संस्थाओं पर लागू करना) विधेयक—जारी

BANKING LAWS (APPLICATION TO COOPERATIVE SOCIETIES) BILL—*contd.*

श्री ब० रा० भगत : मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और खण्ड 3 पर बहस हो रही थी।

अध्यक्ष महोदय : हम कल इस पर चर्चा जारी रखेंगे।

इसके पश्चात् लोकसभा शुक्रवार, 19 फरवरी, 1965/माघ 30, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, the February 19, 1965/Magha 30, 1886 (Saka)

GMGIPND—LS III 2426 (Ai) LS— 10-6-65—600.